CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. VI, Third Session, 2014/1936 (Saka) No. 20, Friday, December 19, 2014/Agrahayana 28, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 385	4-55
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 386 to 400	56-105
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600	106-531

^{*}The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPI	ERS LAID ON THE TABLE	532-551
ASSE	ENT TO BILLS	552
COM	IMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 1 st Report	553
COM	IMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION 1 st and 2 nd Action taken Reports	553
	IMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES SCHEDULED TRIBES (i) 1 st Report (ii) Statement	553 554
COM	IMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 1 st and 2 nd Reports	554
STAN	NDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 4 th Report	554
STAN	NDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT 1 st to 4 th Reports	555
	NDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE EMPOWERMENT 1 st to 6 th Reports	555
OT A N	•	333
	NDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC EVANCES, LAW AND JUSTICE 73rd Report	556
STAT	TEMENTS BY MINISTERS	
(i)	Status of implementation of the recommendations contained in the 59 th Report of the Standing Committee on Finance on 'Current Economic Situation and Policy Options', pertaining to the Ministry of Finance	
	Shri Arun Jaitley	556

(ii)	Status of implementation of the recommendations contained in the 98 th , 99 th , 102 nd , 109 th and 114 th reports of the Standing Committee on Commerce, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry	
	Shrimati Nirmala Sitharaman	557
(iii)	Grant of bail to the mastermind behind 26/11 Mumbai terror Attack by a Pakistani anti-terror court.	
	Shrimati Sushma Swaraj	588
GOVE	CRNMENT BILLS - Introduced	
	(i)Electricity (Amendment) Bill, 2014	558
	(ii)The Constitution (One Hundred and Twenty-Second Amendment) Bill, 2014	674-682
	(i) Re: Alleged grant of bail to mastermind behind 26/11 Mumbai terror Attack by a Pakistani anti-terror court	559-573
(i	i) Re: Failure of the Government to introduce the Constitutional Amendment Bill on the India Bangladesh Land Boundary Agreement	576-577
MEMI MAST	E MINISTER'S RESPONSE ON SUBMISSIONS BY BERS REGARDING ALLEGED GRANT OF BAIL TO 'ER MIND BEHIND 26/11 MUMBAI TERROR ATTACH PAKISTANI ANTI-TERROR COURT	« 581
	LUTION: CONDEMNING GRANT OF BAIL CCUSED CONSPIRATOR OF MUMBAI ATTACK	600-601

1 J	2-673 4-606
Shri Santosh Kumar 60	
	7 (1(
Shri Abhijeet Mukherjee 60	7-616
Shri Virender Kashyap 61	7-619
Shri Mallikarjun Kharge 62	0-625
Shri Kaushalendra Kumar 62	6-627
Shri Thota Narasimhan 62	8-630
Dr. Yashwant Singh 63	1-633
Shri Ajay Tamta 63	4-635
Shri Bodh Singh Bhagat 63	6
Shri Bhairon Prasad Mishra 63	7
Shri Gajendra Singh Shekhawat 63	8
Dr. Pritam Gopinath Munde 63	9
Shri Kapil Moreshwar Patil 64	0-642
Shri C.R. Chaudhary 64	3-644
Shri Daddan Mishra 64	5-650
Shri Prasanna Kumar Patasani 65	1-653
Shri Ram Prasad Sarmah 65	4-655
Dr. Kulmani Samal 65	6-657
\mathcal{E}	8-667 2-673
MOTION RE: FOURTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 68	2
AND RESOLUTIONS	<i>_</i>
PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS (i) Implementation of recommendations of National Commission on Farmers 6	83-712
	583-685
•	586-687
. ,	588-689

19.12.2014 5

Shri Laxmi Narayan Yadav	690-691
Shri Mullappally Ramchandran	692-694
Shri Jay Prakash Narayan Yadav	695-696
Shri Bhairon Prasad Mishra	697-698
Shri C.R. Choudhary	699-700
Dr. Arun Kumar	701
Shri Nana Patole	702
Shri Kaushalendra Kumar	703
Shri A. Anwhar Raajhaa	704-706
Dr. Sanjeev Balyan	707-711
Shri Raju Shetty	710-712
Resolution – Withdrawn	712
(ii) Scheme for development of technical skills amongst youth to enable them to contribute towards making India a modern country and achieving the goal of 'Make in India'	
Shri C. R. Patil	713
HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re:Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana	
Shri Tathagata Satpathy	
Sin Tunagata Surpatny	714-718
Shri Chaudhary Birender Singh	714-718 728-732
Shri Chaudhary Birender Singh ANNEXURE – I	
Shri Chaudhary Birender Singh ANNEXURE – I	728-732
Shri Chaudhary Birender Singh ANNEXURE – I Member-wise Index to Starred Questions	728-732 727
Shri Chaudhary Birender Singh ANNEXURE – I Member-wise Index to Starred Questions Member-wise Index to Unstarred Questions ANNEXURE – II	728-732 727
Shri Chaudhary Birender Singh ANNEXURE – I Member-wise Index to Starred Questions Member-wise Index to Unstarred Questions ANNEXURE – II	728-732 727 722-726

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Prahlad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K. H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

T	OK	CA	BH	A D	FR	A r	$\Gamma \mathbf{F}$	C
	UN.	$\mathcal{D}A$	ADII A	4 D	LD.	А	I Ca	7

LOK SABHA

Friday, December 19, 2014/Agrahayana 28, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान ने जो टैरिस्ट को छोड़ दिया है ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You can raise it in 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have received two-three Adjournment Motion notices. वह 12 बजे आपको बोलने के लिए अलाउ करूँगी। Yes, I will.

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष महोदया, 26/11 की घटना के लिए जो कारणीभूत लोग थे जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, उनमें से एक लखवी को पाकिस्तान में आज फिर बेल मिली है क्योंकि वहाँ के वकीलों ने और समय ले लिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस बारे में दो-तीन और लोगों ने नोटिस दिया है। मैं शून्यकाल में अलाउ करूँगी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you, Kharge *ji*, not now, after the Question Hour.

... (Interruptions)

डॉ. किरीट सोमैया: मुम्बई में बहुत से लोग मारे गए थे। ...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): मैडम, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो खड़गे जी, किरीट जी तथा अन्य माननीय सदस्य भी उठाना चाहते हैं। मुझे बताया गया कि बहुत लोगों ने नोटिस दिया है।

मैडम, मैंने विदेश मंत्री जी से बात की है। अभी बंग्लादेश के राष्ट्रपित जी आए हैं। उनके साथ विदेश मंत्री जी का कार्यक्रम है, इसलिए आज वे इसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएँगे। मंडे को वे इस बारे में स्टेटमैंट देंगे और खड़गे जी ने जो अभी कहा है, यह विषय भी मैं मंत्री जी को कनवे कर दूँगा। मंडे को इस बारे में स्टेटमैंट भी होगा और चर्चा भी होगी। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : It is an important issue.... (*Interruptions*) श्री एम. वैंकैया नायडू : आप क्वैश्चन आवर के बाद बोलें। ...(<u>व्यवधान</u>) The President of Bangladesh is here.... (*Interruptions*) What I am submitting is, if the Speaker wants to allow you after the Question Hour, I have no problem.

HON. SPEAKER: You can raise it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Other Members also want to say something. But if you want response from the Government, the concerned Minister is preoccupied with an appointment with a foreign dignitary, the President of a neighbouring country. That being the case, she will not be able to come now to the House. That is what I discussed with her. If the Speaker decides afterwards to give you an opportunity, from the Government side, we have no problem.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपको भी मैंने बोला है कि आपका सबका एडजर्नमैंट मोशन मिला है। There will be no adjournment; I will allow you in 'Zero Hour'.

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : मैडम, आप जब बोलते हैं, तभी वे सुनते हैं। आप अगर बोलेंगे, तो ही वे सुनते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Jai Prakash ji, I have received your notice also for Adjournment Motion. I am not allowing it. लेकिन आपको उठाने के लिए मौका दूँगी। ... (Interruptions)

11.04hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 381, Prof. A.S.R. Naik

(Q.381)

PROF. A.S.R. NAIK: Madam, researchers have revealed that India is one of the worst fluorosis affected countries with over 10 lakh people suffering from this disease. A large number of people in India depend on groundwater for drinking purpose and water at many places is rich in fluoride. Only one per cent of fluoride is admissible, but exposure to very high fluoride over a prolonged period of time results in acute to chronic skeletal fluorosis and makes people permanently and totally disabled.

Most of the fluorosis-affected people are found in my Telangana State, mainly in Nalgonda district. There are 59 mandals in this district. Out of these 59 mandals, people of 58 mandals are suffering from this disease.

I would like to know from the Union Government as to whether there is any proposal with the Government of India to provide safe drinking water to fluorosis affected habitation.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष जी, फ्लुओरोसिस की बीमारी की समस्या देशभर में 14132 हैबिटेशंस में है। ग्राउंड वॉटर में 1 एमजी प्रति लीटर और 1.5 प्रति लीटर तक परिमिसिबल है। लेकिन जब इससे एक्सीड कर जाता है और लगातार इसकी ड्रिंकिंग की जाती है, तो उससे फ्लुओरोसिस की बीमारी होती है। लगभग 1.17 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। 230 डिस्ट्रिक्ट्स में यह बीमारी फैली है। सबसे ज्यादा यह बीमारी राजस्थान में है। राजस्थान के बाद अब आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में भी सबसे ज्यादा बीमारी है। Telangana and Andhra Pradesh States are equally affected with this disease. Out of 10 districts, 9 districts are affected in Telangana. That is very correct. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ फ्लुओरोसिस के तहत हमने इसे लिया। That was in 2008-09. But in 2013-14, we brought it under the umbrella of the National Health Mission. नेशनल हैल्थ मिशन के तहत हम इसमें काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें एक सर्वे किया जाता है। We are establishing diagnostic facilities,

management for fluorosis cases including treatment and surgery, rehabilitation and health education. इसके साथ-साथ इसके लिए मैन पॉवर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आईसीएमआर भी एक टॉस्क फोर्स बनाकर इसके सर्वे और मैनेजमेंट आफ दि केसिस के साथ-साथ प्रिवेंशन कंट्रोल और डिफ्लोरेशन टेक्नीक्स पर वर्क आउट कर रहा है। हैल्थ विभाग की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ मिनिस्ट्री आफ डिंकिंग एंड सैनिटेशन इसे सप्लीमेंट कर रही है।

The hon. Member has asked the question whether we are going to give them safe drinking water facility, the Ministry of Drinking Water and Sanitation has decided to adopt two strategies. One of them is the long-term strategy, where we are going to give them water, from distant areas, through pipe. This will take time to get commissioned. As you know, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि हम सारे भारत को स्वच्छ पानी पिलाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 तक हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर लगभग 14 हजार से अधिक हैबिटेशंस को कवर कर रहे हैं। इस वर्ष 4008 हैबिटेशंस को कवर कर रहे हैं। By the year 2017, we will cover 14,000 plus habitations.

जहां तक तेलंगाना का सवाल है there are 9 districts which are affected. Out of 9 districts, 3 districts have been taken into the Programme. सेफ वॉटर की दृष्टि से हम आर.ओ. लगा रहे हैं और आर.ओ. के माध्यम से शार्ट टर्म स्ट्रेटेजी में हम इसे वर्क आउट कर रहे हैं और 4008 हैबिटेशंस को इस साल कवर करेंगे।

PROF. A.S.R. NAIK: Madam, the State Government of Telangana, under the leadership of hon. Chandrashekar Rao, is planning to eliminate the fluorosis problem through water grid and provide safe drinking water.

I would like to know from the hon. Minister as to whether they are going to support this scheme by providing financial assistance.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि यह प्रोग्राम एनपीपीसीएफ के तहत चल रहा था। Now, this has been taken under the umbrella of the National Health Mission. I assure you that under the National Health Mission we are going to give funds. But it is the State Government's participation which is needed because the State plan, the Project Implementation Plan is to be planned at the district level. When it is done at the district level, it has to be cleared by the

State Project Implementation Plan. Then, it will come to us. I assure that you will get necessary funds for it. As it is, there are nine districts at the moment. Three districts are covered. We are going to cover the remaining six districts also in the coming days.

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदया, फ्लोरिसिस से संबंधित प्रश्न का मंत्री जी से जो जवाब मिला है, उसमें बहुत अच्छा जवाब दिया गया है। फ्लोरिसिस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने की वज़ह से लोगों को यह होती है। इससे लोगों को हिड्डियों की बीमारी होती है, जिसकी वज़ह से दांत खराब होते हैं, ज्वायंट्स खराब होते हैं, कमर खराब होती है और व्यक्ति कूबड़ हो जाता है। उसकी पूरी ज़िन्दगी नरक हो जाती है।

महोदया, मैं राजस्थान के करौली-धौलपुर से सांसद हूं। मैं राजस्थान के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि इस फ्लोरिसिस की समस्या से देश में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है तो वह राजस्थान है। जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि राजस्थान के 22 जिले फ्लोरिसिस प्रभावित है, जबिक सच्चाई यह है कि पूरा राजस्थान फ्लोरिसिस प्रभावित क्षेत्र में आता है। इनके आंकड़ों में 48,84,613 लोग फ्लोरिसिस से प्रभावित बताए गए हैं, जबिक सच्चाई के आंकड़े इससे बहुत अधिक हैं। मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया है कि एनपीपीसीएफ द्वारा फ्लोरिसिस बीमारी के कंट्राल के लिए 7.98 करोड़ रुपये पिछले वर्ष हमें दिए गए।

स्पीकर मैडम, ये पैसे बीमारी के कंट्रोल के लिए दिए गए हैं। मैं मंत्री जी से बहुत खुश हूं कि इन्होंने इसकी मूल समस्या पर ध्यान दिया। बीमारी होने के बाद उसका समाधान करना अलग चीज़ है, लेकिन पानी में जो फ्लोराइड की समस्या है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी की यह भावना है कि हमें पूरे देश को शुद्ध पेय जल पिलाना है, मंत्री जी उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल देने के लिए पाइपलाइन सप्लाई की बात कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये राजस्थान में सबसे पहले ऐसा कौन-सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिससे पूरे राजस्थान को शुद्ध पेयजल की सप्लाई मिल सके? जिन क्षेत्रों में अभी शुद्ध पेयजल के लिए पानी की पाइपलाइन सप्लाई नहीं है, क्या मंत्री जी उन क्षेत्रों में आर.ओ. प्लांट लगा कर राजस्थान को शुद्ध पेयजल पिलाने की कोई योजना रखते हैं? अगर वे ऐसी कोई योजना रखते हैं तो यह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम स्पीकर, मैं माननीय सदस्य की चिंता के साथ हूं। इनकी चिंता ज़ायज है। जैसा मैंने कहा कि राजस्थान इससे मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है। इसके 33 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी में फ्लोराइड लेवल हाई पाया गया है, जिसमें से 23 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा यह एनपीपीसीएफ प्रोग्राम चल रहा है। इन्होंने जो कहा, वह बिल्कुल सही कहा है कि हम एनपीपीसीएफ प्रोग्राम के तहत क्योरेटिव पार्ट को तो देखते हैं, but we will have to take care and address the preventive part

और प्रिवेंटिव पार्ट के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। जैसा मैंने कहा कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, यह आदरणीय प्रधान मंत्री जी की किमटमेंट है। Andhra Pradesh, Rajasthan and Telangana are high priority areas for eradicating fluorosis. इसलिए हम इनमें आर.ओ. प्लांट्स लगा कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटजी है। हम लौंग टर्म स्ट्रैटजी पर भी वर्क-आउट कर रहे हैं। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म स्ट्रैटजी में 4,008 हैबिटेशंस इस साल कवर होंगे। We will cover 14,000 habitations by 2017.

महोदया, माननीय सदस्य का जो करौली डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने इसी वर्ष क्योरेटिव पार्ट के लिए 45 लाख रुपये दिए हैं। इसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टैंट, लैब टेक्नीशियंस को भी वहां प्लेस कर दिया गया है। हम 23 डिस्ट्रिक्ट्स से बढ़ कर 33 डिस्ट्रिक्ट्स को जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉयोरिटी एरिया में ले लेंगे।

DR. SHASHI THAROOR: Thank you, Madam Speaker. I think, we have already covered a lot of the medical ground on this issue but I was concerned that until his answer just now, the Minister, neither in his statement or nor in his earlier remarks, had mentioned the aspect of ground water because that is so fundamental in our country. That is where the contamination comes from and the ground water problem is indeed the main source of this.

One of the things I am concerned about, Madam Speaker, is that in many of our coastal districts including Thiruvananthapuram, we have serious problems of contaminated ground water. It is the contamination that actually results in this difficulty. There was a survey conducted by the Ministry of Drinking Water and Sanitation. It was done only in 19 States and Union Territories this year in April. They have already found 14,133 habitations, and the remaining States and UTs have not even been surveyed yet. So, the Minister's plans, as mentioned to this House, are quite inadequate for the purpose of the reach that is required. In Kerala, for example, the National Programme for Prevention and Control of Fluorosis actually covers only two districts, Palakkad and Alappuzha which are receiving funds whereas there are 102 habitations and three lakh people exposed to excessive fluoride level. So, I would like to ask this question to the Minister. First of all, can he expand the survey and the National Programme for Prevention and Control of Fluorosis to all the

remaining districts that are affected, including, in particular, Thiruvananthapuram and other coastal districts? Thank you very much, Madam Speaker.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Certainly, I assure the Member that we can go for a survey. It is an on-going process. It is a continuous process. We keep on doing it. I assure the Member that certainly Thiruvananthapuram will also be taken into consideration.

SHRI RAM PRASAD SARMAH: Madam, Assam is one of the worst affected States so far as fluorosis is concerned. Water is contaminated. Children are born handicapped. Parents have gone handicapped with cracked bones and decomposed teeth. So, I want to ask the hon. Minister whether there is any plan to extend the benefit of providing clean water to the district, particularly of Nowgaon, and other districts in Assam which is the worst affected State in the country.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam Speaker, it is covered under the 14,000 habitations. In that, his area is also covered. We will take care of it. Certainly, as the Member has said, I will personally see to it that RO water is provided to them.

(Q. 382)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, देश में कृषि का महत्व सिर्फ अनाज पैदा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध किसान और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था से भी है। देश का कृषि क्षेत्र तथा उसकी चिन्ता सदैव हमारे प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। आज पूरे विश्व में कृषि का गुजरात पेटर्न अपने आप में एक मिसाल है।

अध्यक्ष महोदया, देश में अत्यधिक वर्षा, अल्प वर्षा और ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण लेना पड़ता है। ऐसे में किसान संस्थागत तथा साहूकारों के ऋण पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए काफी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि देश के किसान आज भी सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। एक उद्योगपित जब कार के लिए लोन लेने के लिए जाता है तो उसको सात से आठ परसैंट ब्याज पर कार मिल जाती है, लेकिन किसान जब ट्रेक्टर लेने के लिए जाता है तो उसको 13 से साढ़े 13 परसैंट इंटरस्ट पर ट्रेक्टर मिलता है। किसान का बेटा जब विदेश में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको 14 परसैंट ब्याज पर बैंक से राशि प्राप्त होती है। इस तरह से ब्याज दरों में बहुत सारी असमानता बनी हुई है। किसान बैंक से कुछ भी सामान लेता है तो उसको कुछ न कुछ वस्तु गिरवी रखनी पड़ती है, जब कि उद्योगपित को कार लेने के लिए कोई सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज दरों की असमानता के कारण किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबता चला जाता है। उसकी ब्याज की राशि काफी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज दरों में और ग्रामीण बैंकों की ब्याज दरों में तथा जो क्षेत्रीय एवं सहकारी बैंकों की ब्याज दरों में किसानों को समान राशि पर ऋण उपलब्ध कराने की क्या पहल करेंगे? जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों को जीरो परसैंट ब्याज दर पर ऋण की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, क्या इस तरह की शुरूआत केन्द्र सरकार के द्वारा की जाएगी?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए उन्होंने जो बातें उठाई हैं, उनसे मैं बिलकुल अवगत हूं और मुझे सहानुभूति भी है। हम लोगों ने सरकार के माध्यम से कई सारी उपलब्धियां अपने किसान भाइयों और बहनों को पहुंचाई हैं। इनमें से पांच-छ: मैं आपको बताता हूं। पहले मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि आज के समय किसान क्रेडिट कार्ड और किसान लोन जो हम लोग देते हैं, उसमें उनको सात परसैंट का ब्याज देना होता है। जो लोग उसका ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, उनका इंट्रेस्ट सब्वेंशन के कारण 7 नहीं 4 प्रतिशत हो जाता है। जो आपने बात उठाई कि लोग 14 परसेन्ट, 13 परसेन्ट ब्याज दे रहे हैं,

ऐसा हकीकत में नहीं है। अगर आप स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं, यानी अगर आपके पास ढ़ाई एकड़ से कम जमीन है और आप समय पर अपना ब्याज दे रहे हैं तो आपको 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। पहली बात तो यह है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जन-धन योजना के माध्यम से जो उपलब्धियाँ किसान भाईयों और बहनों को दिलवाई हैं, उससे उनको और भी बहुत सुविधाएं मिली हैं। एक तो बिना किसी पैसे के वे लोग अपना खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के बाद उस पर उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है और पाँच हजार रूपए का ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है। साथ ही साथ हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध किया है, जो आपको मालूम है कि कई सालों से किसानों को मिलता रहा है और आज के समय में 14 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिसे वर्किंग कैंपिटल कहते हैं यानी आपको अगर सीड्स आदि लेना हो, फर्टिलाइजर आदि लेना हो तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसकी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। कई और मुद्दे हम लोग ला रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि किसानों को और सुविधा मिलेगी। जैसे कि हम लोगों ने ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप्स भी लागू किए हैं, जिसके द्वारा लोग मिल जुलकर क्रॉस कोलैट्रलाइजेशन के माध्यम से और भी वे लोग ऋण ले सकते हैं।

नाबार्ड के माध्यम से जहाँ अगर कोई आपको, जैसे माननीय सदस्य ने ओलावृष्टि की बात की, अगर कोई डिजास्टर आता है तो नाबार्ड के माध्यम से और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के माध्यम से उन लोगों को सुविधा जल्द से जल्द हम लोग देते हैं। इस तरीके से जो किसानों को हम लोग मदद दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। अगर और भी कोई अच्छे सुझाव हमारे आदरणीय सदस्यों की तरफ से, आप लोग जरूर उन्हें पेश करिए। हम लोग उसको जरूर लेकर देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से और सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, किसान कोई भी ऋण लेता है तो उसमें बीमा की राशि काट ली जाती है। उसकी फसल नष्ट होने पर बीमा की जो राशि उसे मिलनी चाहिए, वह किसान को मिल नहीं पाती है। इसी तरह से नाबार्ड से किसानों को राशि उपलब्ध कराने की बात कही, कहीं पर भी किसानों को नाबार्ड से राशि प्राप्त नहीं हो रही है। इसी तरह से कृषि यंत्रों पर ब्याज दर कम करने की कोई पहल आपके द्वारा की जाए।

मैं अपने दूसरे प्रश्न में जानना चाहता हूं कि जब किसानों के लिए कर्ज माफी का अवसर आता है तो प्रदेश सरकारों के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा और सहकारी बैंकों के द्वारा किसान की ऋण माफी करने की पहल की जाती है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा इस तरह की पहल किसानों की कर्जमाफी के लिए नहीं की जाती है। जिस तरह से किसानों को सहायता देने के लिए

कर्जमाफी की पहल की जाती है, केन्द्र सरकार के द्वारा भी राज्यों के साथ समन्वय करके कोई एक समन्वय नीति क्या ऋण माफी के संबंध में बनायी जाएगी?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने फिर से एक अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के समय आप अगर फाइनेंशियल सेक्टर देखेंगे तो कई सारी ऐसी संस्थायें हैं जो किसानों के लिए मौजूद हैं, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं। उनका काम ही यही है कि किसानों को किसी तरह से मदद दी जाए। नाबार्ड से उनको चलाया जाता है। बहुत ज्यादा क्रेडिट फ्लो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग ...(व्यवधान) यह रीजनल रूरल बैंक्स में भी दिया जाता है। आज के समय आप देखिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो हम कर रहे हैं, 18 परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में जा रहा है। हर साल सात लाख करोड़ क्रेडिट एग्रीकल्चरल सेक्टर में जा रहा है। अगर आपको विशेष रूप से मालूम हो कि किसी एक राज्य में या दूसरे राज्य में लोगों को यह सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप हमें बता दें, हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें कोई सिस्टिमिक फेल्योर है या कुछ और है तो हम उसे कर सकते हैं। आप देखिए कि क्रेडिट फ्लो कितना जा रहा है, लोगों को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और कंसेशनल रेट पर अगर नहीं मिल रहा है, अगर आप सिस्टिमिक लेवल पर देखेंगे तो ये सब उपलब्धियां इस समय प्राप्त हैं।

जैसा मैंने कहा कि अगर कहीं एपोजोडिक फेल्योर्स हो रहे हैं या कोई संस्था ठीक नहीं चल रही है, तो उस पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप हमें वह बता देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सिस्टिमकली आप आप देखेंगे तो सिस्टम इस समय ठीक-ठाक चल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस, डिजास्टर रिलीफ पर हमें और भी ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश गया था, जहां चार साइक्लोन आए थे। वहां हम लोगों ने बातचीत की, क्योंकि, खासकर उधर चार साइक्लोन आए थे और लोगों को बहुत तकलीफ हुयी थी, वहां हम और क्या चीज उपलब्ध कर सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से इसके लिए वे लोग कुछ सोच रहे हैं। आपको पता है कि वहां एक फार्मर्स रिलीफ नामक संस्था उन्होंने बनायी है। ...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: किन राज्यों में उपलब्ध करायी गयी?

श्री जयंत सिन्हा: हर राज्य में उपलब्ध की जा रही है क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स हर स्टेट में बनाए गए हैं। जैसा मैंने कहा है कि कहीं आपको एपीजॉडिक फेल्योर दिखता है तो आप हमें बताइए, हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। पर, सिस्टमवाइज देखेंगे तो कई सारी संस्थाएं हैं, काफी क्रेडिट जा रहा है, इन्टरेस्ट सब्वेन्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। आप पूरी तरह से देखेंगे, होलिस्टिकली देखेंगे तो आपको ये सब नजर आएंगे।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के जवाब से लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना-2008 का उल्लेख किया है। काफी बड़ी संख्या में किसान साहूकारों के चंगुल में फंसे हैं, वे उस योजना के तहत लाभ नहीं पा सके और आत्म हत्या के लिए मजबूर हो गए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उन किसानों को साहूकारों के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जो साहूकार बिना लाइसेन्स के या मनमाने ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कर उनका शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जी फार्मर्स सूसाइड के बारे में जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर हम आंकड़े देखें तो वहां स्पष्ट होता है कि जो फार्मर्स सूसाइड लोकलाइज्ड है। वह तीन-चार राज्यों में है, जहां अकाल के कारण, कोई क्लाइमैटिक कारण, जैसा मैंने अभी आंध्रप्रदेश का जिक्र किया है, जगह-जगह पर हम लोगों को दिखाई देता है कि फार्मर्स सूसाइड का मामला काफी बढ़ा हुआ है। हम लोग वहां विशेष रूप से डिजास्टर रिलीफ, क्रॉप इन्श्योरैन्स, जैसी चीजें ला रहे हैं ताकि हम लोग लोकलाइज्ड एरिया में फार्मर्स सूसाइड के मामले को ठीक तरह से देख पाएं।

साथ ही साथ उन्होंने साहूकारों की बात की है। अगर आप इस समय आंकड़ों को देखेंगे तो किसानों का 75 प्रतिशत ऋण फाइनैंशियल इंस्टीट्युशंस से आ रहा है, यानी कि वह रीजनल रूरल बैंक्स, बैंक्स या माइक्रो फाइनैन्स इंस्टीट्युशंस से आ रहा है। ये सब उपलब्ध हैं। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 25 प्रतिशत ऋण साहूकारों के माध्यम से आ रहा है। जब नेशनल सोशल सर्वे ने जांच की तो उन लोगों को पता चला। जहां-जहां अभी भी लोग साहूकारों के चंगुल में हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप उनको बताएं की जन धन योजना या फाइनैंशियल इंस्टीट्युशंस हैं, जैसे माइक्रो फायनैंस इंस्टीट्युशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ज्वाइंट लैंडिंग ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से उनको उपिंधयां मिल सकती है और साहूकारों के चंगुल से वे लोग बाहर निकल सकते हैं। हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।

DR. P. VENUGOPAL: Madam Speaker, I would like to know whether funds would be made available in time by the Centre to save farmers in the drought-prone rural areas, who are being pushed into the jaws of greedy moneylenders. In fact, most of these poor farmers are waiting for loans from agricultural cooperative societies. In Tamil Nadu, the State Government has already released its share of contribution to the agricultural cooperative societies to

extend loan facilities, whereas the Centre is yet to release funds for the subsequent three years amounting to Rs. 10,000 crore.

How soon would the funds be released which will save the farmers from moneylenders, apart from loan waiver which may be extended to at least small farmers who have taken loans from agricultural cooperative societies?

SHRI JAYANT SINHA: As far as the matters specifically to Tamil Nadu are concerned, we will definitely look into that and we will get back to the hon. Member on that.

But I will step back here for a second and talk system-wide for a moment. As I have said earlier, we have a number of financial institutions that are set up to cater to the needs of our farmers. As I said, the flow of agricultural credit has been expanding rapidly. It is Rs. 7,00,000 crore a year, which is a very significant amount of money, as I mentioned earlier. At the same time, we have ensured because of priority sector lending targets that the RBI is monitoring the flow of credit to a variety of financial institutions that have been set up to service specifically the needs of farmers. In addition to that, the RBI has also along with the regulation of the micro-finance institutions which it has stepped up in doing, is now bringing into existence payment banks and the idea of payment banks is to be able to provide payments to farmers that they are coming through credit institutions or other payment mechanisms. We are, in fact, through this effort of extensively deepening financial intermediation, trying to ensure that financial credit is available to each and every farmer that we can. As we consider this full range of alternatives, particularly including Jan dhan Yojana which is now covering more than eight crore farmers, we are very confident that we will be able to extend credit and appropriate products and services right down to the last person.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : अध्यक्ष महोदया, विगत तीन सालों से महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में सूखा और ओले गिरने से किसानों पर प्राकृतिक आपदा आती है। यह किसानों की आत्महत्या का कारण है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता देने हेतु कृषि मंत्रालय के अधीन विभाग बनाने पर विचार कर रही है?

श्री जगंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, आपको मालूम ही है कि अखबारों और मीडिया में इसकी चर्चा हरदम होती रही है। इसके कई कारण हैं। एक कारण है कि हमें मालूम है कि वहां कई बार ड्राउट आए हुए हैं और सिंचाई का प्रयोजन नहीं है। इन सब मामलों का समाधान सिर्फ क्रैंडिट से नहीं है बल्कि सिंचाई से भी है। आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि सिंचाई योजना को भी काफी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगर हम वहां सिंचाई पहुंचा देंगे तो जो अकाल आता है और फिर पानी नहीं मिलता जिसके कारण किसानों को बहुत तकलीफ होती है, इससे इसका समाधान हो सकेगा। हम सिंचाई के माध्यम से वहां की तकलीफ का किसी तरह हल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब डिज़ास्टर होता है यानी क्रॉप फेल्योर होते हैं, खासकर ड्राउट वगैरह होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रॉप इंस्योरेंस स्कीम है, नाबार्ड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, हर मुख्य मंत्री भी उस समय कुछ न कुछ रिलीफ देते हैं। ये तीन-चार ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम किसानों को जल्द से जल्द रिलीफ पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस टाइप के फेल्योर्स, प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। उस समय हमें जल्द से जल्द उन्हें सुविधा पहुंचानी होगी। हमारा इतना बड़ा देश है, इतने किसान हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। इसलिए उस समय रिस्पौंसिवनैस और इंस्योरेंस की जरूरत है, क्रैंडिट की जरूरत नहीं है। उन सब माध्यमों को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं।

SHRI M.B. RAJESH: The National Sample Survey Organisation data shows that 48.6 per cent of farmer household are in debt and the Census, 2011 shows that 42 per cent of farmers want to quit agriculture, if an alternative job is given to them. So, this shows the gravity of debt burden on farmers. We had an excellent report produced by the National Commission on Farmers headed by famous agricultural scientist Dr. M.S. Swaminathan and that report had recommended in ensuring institutional credit not more than four per cent. So, in the answer, the Minister has not mentioned anything about the National Commission on Farmers' recommendation. So, my specific question through you Madam is that whether the Minister will assure the House that the Government will implement the recommendations of Swaminathan Commission and the credit at the rate of 4 per cent interest would be ensured to the farmers.

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, I would tell the hon. Member that if you are a small and marginal farmer which means that you have land holdings of less than two and a half acres, and if indeed you are prompt in your repayment of debt, in effect the interest rate that you are receiving right now is 4 per cent. So, that is indeed available to farmers. Over and above that, there are programmes in the States that enable the interest rate to come down even further. So, we are providing those kinds of interest regimes, those kinds of subsidies to our farmers. We have ample credit flowing into the agricultural sector because of the priority sector lending. I told you that it is seven lakh crore. The RBI is expanding financial inclusion. The *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* is there. Certainly, if there are good recommendations coming out of this National Commission of Farmers, we will certainly look into that as well.... (*Interruptions*)

Hon. Members should be re-assured that whether it is the hon. Finance Minister, the hon. Prime Minister or myself, as I said, I am a representative from a rural backward area. These problems are uppermost in our minds. We are taking speedy and aggressive action in these ways. They can be assured that we will not, in any way, let down our farmers.

I will say one additional point to our hon. Members. It is not as if debt in itself is bad. It is a question of how you handle the debt and whether you take the debt against sufficient assets. Now, if the hon. Members have had a chance to peruse the data, they will find that, by and large, people have taken debt in a way that is sensible, that is appropriate. Yes, there are isolated instances and there are certain geographic areas where it has been a problem. Certain States have experienced that problem. But it is in the interest of all of us to identify those localised areas and to deal with them appropriately as opposed to trying to convince everybody that this is a national crisis, which of course, it is not.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इस पर बहुत सारे लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, खेती की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, इस पर ऑलरेडी डिस्कशन आ रहा है। We can, through that, also raise it.

... (Interruptions)

(Q.383)

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR: Madam Speaker, NCC has proved itself as an organization nurturing discipline, nationalistic and focused youth. However, the enrolment in NCC has been optional. Many of the schools have not included it as a part of their curriculum. So, through you, I would like to ask the hon. Defence Minister whether the Government is considering to make the NCC compulsory in every school in the country.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, NCC is optional as of now. The problem is, if I make it compulsory, the number that will be required will be in crore, probably around ten crore whereas the current capacity is 13.8 lakhs. In the next two years, we are increasing it to 15 lakhs. I have also proposed increase in this further. But it will not be infrastructure-wise and physically possible to make it compulsory to every school, in view of the large number.

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR: Madam, my second supplementary to the hon. Minister would be this. Many a time, we believe in quota system. For instance, in colleges and university level admissions, we have the sports quota as well as the marks for that purpose. Therefore, I would like to ask whether the Government would consider having the NCC quota for the purpose of arriving at the marks of the students in the schools as well as the colleges.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, NCC quota does exist for officer cadre. Around ten to 12 per cent of those who are recruited into rank and file are coming from the NCC stream. So, there are marks given to various certifications for recruitment in the Army and other wings.

KUMARI SUSHMITA DEV: Madam, at paragraph '(h)', the hon. Minister has stated that there are various programmes which introduce fresh impetus to coaching potential candidates to join the defence forces. I am very happy to read that. The recruitment of women in the Army and the benefits after they join the Army, the role they play in the Army has been a cause of much debate. I would like to ask the hon. Minister this question. Various Governments have

been sensitive to gender Budget also. Is there any programme, through the NCC, which encourages women to join the defence forces? Is there any such programme being run by this Government? Is the Defence Ministry willing to give any additional budget to encourage young women to join the Army?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, the question is on NCC and I would like to indicate that girl cadets form 26 per cent of the total NCC enrolment. They are around three lakh in number. I will certainly favour additional enrolment of girls in NCC as well as wherever possible in the Army. श्री हरीश मीना: अध्यक्ष महोदया, यह सर्वविदित तथ्य है कि एन.सी.सी. के माध्यम से देश-प्रेम, राष्ट्र भक्ति व अनुशासन की भावना युवाओं में पैदा होती है। राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है और इसका 1400 किलोमीटर एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है। हमारे कुछ युवा राष्ट्र विद्रोही भावना से ग्रस्त हैं।

में मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन इलाकों में कम से कम जितने सरकारी कालेज और स्कूल्स हैं, वहां एन.सी.सी. कम्पलसरी कर दी जाये, ताकि भ्रमित युवकों को सही रास्ते पर आने में सहायता मिल सके।

श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदया, जब प्राइवेट मैम्बर बिल चल रहा था तो उस समय गवर्नमैंट ने कहा था कि मिलिट्री एजुकेशन कम्पलसरी करने के बारे में एक सोच चल रही है। हमने एक कमेटी भी वहां फॉर्म की है, जिसके माध्यम से एनरोलमैंट कैसे बढ़ाया जाये, उस पर सोच चल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि दो महीने में हम सोचकर बॉर्डर स्टेट्स में particularly in areas which are generally feedstock for army recruitment वहां एन.सी.सी. की कम्पलशन लिमिटेड लैवल पर करने की कोशिश करेंगे subject to the infrastructure. लेकिन यह नम्बर काफी बढ़ना चाहिए, इस बारे में सरकार सहमत है।

(Q.384)

SHRI THOTA NARASIMHAM: Madam Speaker, India's overall shipbuilding industry comprises 27 shipyards of which six are in Central public sector, two are under State Governments, and 19 in the private sector. However, not all of these shipyards are involved in naval ship building. Of the six shipyards in the Central public sector, four are under the administrative control of the Ministry of Defence and are known as Defence PSU shipyards. Although these four shipyards are primarily responsible for constructing naval ships, some other yards both in the public and private sectors are also involved in naval ship building. Madam, I want to know from the hon. Defence Minister through you, how the ship-building industry wants to improve its efficiency.

In Andhra Pradesh, the Hindustan Shipyard at Visakhapatnam is in a financial crisis due to lack of orders. I would like to know if there is any proposal to give orders for building submarines at Hindustan Shipyard, Visakhapatnam.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, the aspect mentioned by the Member is correct. Hindustan Shipyard does have a problem. It is a taken over shippard from the Ministry of Shipping and it is a loss incurring company. Currently the financial and HR restructuring of the company is under process. They already have orders worth Rs.3,256 crore. Their production, however, was only of Rs.453 crore for financial year 2013-14 as against a target of Rs.750 crore. But they are facing financial crisis. There is no problem with the orders. We can offload more orders. But I think there are certain issues which need to be sorted out like efficiency, production capability and overheads. In one particular tender I was observing that their quote is around Rs.1,000 crore whereas the L1 by a private sector company was about Rs.450 crore. So you can understand the quantum of overheads which have piled up. I have already had one briefing with it. I assure the hon. Member that very soon I will go into the restructuring of Hindustan Shipyard Limited to make it more efficient as well as to reduce the overheads. What is happening is that overhead of existing staff is being loaded on whatever quote they make. I think that is not the correct

way of calculating them. They should actually calculate for that. The rest can be separately worked out. But more orders are being considered for LPD project that is Landing Platform Dock and two special operational vessels, one submarine under Project P-75(1). These are future projects but in the meantime I am also working out whether some works of GRE, Garden Reach can be offloaded on them so that they have work. I am aware of the financial crisis they are facing. I am looking into it so that there is no real crisis developing.

HON. SPEAKER: The Member can now ask the second supplementary question.

SHRI THOTA NARASIMHAM: Madam, my second supplementary question is, what are the steps being taken by the Government for research and development in specialized areas like submarine warfare and allied weapon systems?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: The Government has already worked out complete capacity assessment of various shipyards also. I would also like to share with the House that in certain projects we have reached quite a substantial indigenous content; for example, in P-17 project we are around 61 per cent; in P-15A we are around 60 per cent; in P-28 corvette project we are 90 per cent, in P-15B destroyer of higher class project 75 per cent and in P-75 Scorpene submarine we are 21 per cent. We are trying to increase the indigenous content and DRDO including the Metallurgical Lab, Hyderabad is actively participating with the Navy and naval shipyards in upgrading both the capacity and the capability.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI: Not present.

श्री सुल्तान अहमद : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने स्टेटमेंट में कहा है कि इंडीजिनस नैवल वैसल बनाते हैं और सिर्फ मारीशस, श्रीलंका को पेट्रोल वैसल्स, ऑफ शोर एंड फास्ट पेट्रोल दिए जा रहे हैं। सरकार ने 49 परसेंट एफडीआई एलाऊ किया है। एफडीआई आया है या नहीं, मैं इसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है कि हम नैवल इक्विपमेंट और नैवल हथियार कितनी मात्रा में इम्पोर्ट कर रहे हैं? इसका इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट परसेंटेज क्या है?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I gave the general indigenous content of a ship. If the hon. Member wants the exact information, I will provide it to him but that does not form part of this question.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Hon. Speaker Madam, it is often observed that Indian Navy is an under-invested area. I would like to draw the attention of the House to the fact that in terms of under-sea combat arms, we are still lagging behind from our neighbouring country. India only holds 13 conventional submarines and one nuclear submarine, whereas China has more than 56 conventional submarines and 5 nuclear submarines. As per China's maritime silk route idea, India is being virtually cordoned because China has been expanding its sphere of influence in Gwadar, in Sittwei, in Maldives, in Bangladesh, Sri Lanka etc. We have now possessed the nuclear triad after acquiring the Arihant. But I would like to know from the Government, what kind of strategy, especially in view of the flexing of naval muscle by our neighbour, that you are going to adopt. It is a matter of serious concern, because we are lagging behind in terms of both conventional and nuclear submarines.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: The question is basically on ship-building ability of the Indian shipyard. But I can tell only one thing that we are not importing or any order on foreign shipyard has been placed by us. Everything that the Navy is doing is indigenous. The comprehensive order – some components may be imported – of all the shipyards including Kochi and others is for about Rs.70,000 crore, whereas the delivery capacity at this moment is for about Rs.7,000 crore. ... (*Interruptions*) I am coming to that. So, the capacity has to be enhanced.

As far as the policy of China is concerned, it is a separate question, but I would like to only say that we are responding to it. There are six submarines which are being done under Scorpene and there is another project of six more conventional submarines. Regarding nuclear, obviously I am not in a position to disclose it to the House because of sensitivity of the issue, but we are progressing quite well on this.

His overall question was about strategy. His reply comes in the form of Prime Minister's visit to various countries and building up good relations with the neighbouring countries, the details of which cannot be divulged here. But I assure him that India is also doing a counter-measure along the sea borders or maritime areas of the country.

श्री निशिकान्त दुवे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने जवाब में डिफेन्स प्रोडक्शन पॉलिसी के लिए कहा है। प्रधानमंत्री जी का जो " मेक इन इंडिया " प्रोग्राम है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। नेवी की क्या मजबूती होनी चाहिए। मंत्री जी गोवा से संबंध रखते हैं। गोवा किस तरह से परतंत्र हुआ था, यह उन्हें खुद ही पता है, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुम्बई में जो ब्लास्ट हुआ, अटैक हुआ, तो नेवी इस देश के लिए कितना जरूरी है, लेकिन नेवी से संबंधित जो प्रोजैक्ट चल रहे हैं, सेल्फ सिफिसिएंट होने के लिए जो प्रोजैक्ट चल रहे हैं या " मेक इन इंडिया " के लिए जो प्रोजैक्ट चल रहे हैं, वे सारे बहुत ही पीछे चल रहे हैं। उनमें पी-75 है, पी-751 है, माइन स्वीपर है और अभी आकाश का प्रक्षेपण किया गया है क्योंकि वारफेयर की आवश्यकता है, लेकिन आकाश प्रक्षेपास्त्र में सीकर्स नहीं हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम सेल्फ सफिसिएंट हो गये, मीडियम रेंज के मिसाइल बना लिये, जो नेवी में भी इक्विप्ड होगा, जो एयर में भी इक्विप्ड होगा। मेरा यह कहना है कि " मेक इन इंडिया " में पी-75, पी-751, माइन स्वीपर, आकाश और फ्रांस से जो मैत्री का समझौता किया गया है, इन सारे चीजों के लिए " मेक इन इंडिया " में आपकी क्या स्ट्रैट्जी है, इन सारे प्रोजैक्ट्स के बारे में मंत्री महोदय की क्या सोच है?

श्री मनोहर परिकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पूरे डिफेन्स को एनकैम्पस करने वाला सवाल पूछा है, लेकिन मैं प्रश्न से जुड़ा हुआ संक्षिप्त रिप्लाई दे रहा हूँ। माइन स्वीपिंग का जो मामला है, उससे संबंधित जो कांट्रैक्ट हुआ था तो कांट्रैक्ट होने से पहले कैंसल कर दिया गया है because of some difficulties which as per the integrity bond, some problems were brought to the notice. But we are considering to give the project to Goa Shipyard in whole. पहले इसमें 8 में से 2 बाहर बनाकर लाने का सवाल था, लेकिन अभी पूरे 8 या थोड़ा नम्बर बढ़ाकर भी we are considering to give it to Goa Shipyard and they should acquire the technologies themselves. As regards two Seekers, I will not comment because that does not form part of Navy. लेकिन जो प्रोजैक्ट्स डिले हो रहे हैं, उनके बारे में कम्प्लीट रिव्यू करके, कम से कम डिले हो, some delays were there because of technical nature of the project. Obviously, जो कन्वैंशनल सबमरिन के प्रोजैक्ट्स हैं, उनका हम लोगों ने रिव्यू लिया है और डिले कम से कम हो, इसकी गारंटी कर ली है।

श्री अरिवंद सावंत : महोदया, हाल ही में, मुम्बई में, मझगांव डॉक-लिमिटेड, जो अपनी पीएसयू है, उसके जिये कोलकाता नाम के डिस्ट्रोयर की इनोग्रेशन माननीय प्रधान मंत्री और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, अरुण जेटली साहब के हाथ से मुम्बई में हुई थी।

Madam Speaker, the question is that the Mazagon Dock Limited is constructing the submarines/vessels but they are constructing them with the conventional technology. But right now, we need the modern technology. The question has been raised just because the other private shipyards have already gone for the modern technology which is not there with the Mazagon Dock Limited. Are we going to do something so that Mazagon Dock Limited also goes for modern technology of global standards so that they can manufacture new vessels and submarines?

श्री मनोहर परिकर : वह हमारा स्कोर्पियन सबमरिन मॉडर्न टैक्नोलॉजी का है, probably the Member wants to distinguish between conventional submarine and nuclear submarine.

SHRI ARVIND SAWANT: The Navy does not give designs on time to Mazagon Dock Limited. Therefore, they are not able to prepare it on time. If the Navy gives the SCOPE, it is a technical word they use, and the design on time to Mazagon Dock Limited, they will be able to do it. Will you ensure it?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I think the delay is not too much. Originally, it was supposed to be delivered in November 2014. But next year we are getting the first submarine. The reviews are being done on a priority

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The Cochin Shipyard is competent and capable of building naval ships in an effective manner. Last year, the Cochin Shipyard made a profit of Rs.196 crore. The only suffering is because of lack of orders. Now the hon. Minister has already stated regarding LPD. The Defence is planning to construct four LPDs, out of which, two LPD orders have already been given to Visakhapatinam Shipyard.

basis.

So, my simple question to the hon. Minister is whether the Cochin Shipyard will also be taken into consideration in giving the orders of LPD and other defence equipment.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, the Cochin Shipyard has been given the biggest project, that is, indigenous aircraft carrier which is being built there. I agree that the Minister for Shipping, Shri Nitin Gadkari, had written to me and some Members have also approached me. We are considering taking Cochin Shipyard for some orders so that they are comfortable on the order position. But as of now, the indigenous aircraft carrier is being built in Cochin.

(Q.385)

SHRI B.N. CHANDRAPPA: Madam Speaker, the hon. Minister while giving reply to Q.No.181 on 15th September, 2014 had said that pending the Cabinet decision about revamping the Planning Commission, old system would remain in place for implementation of the social sector schemes.

In view of this, I would like to know from the hon. Minister how he is going to ensure effective implementation of the social sector schemes in the present scheme of things.

12.00 hrs

RAO INDERJIT SINGH: Madam, Speaker, central welfare schemes to the States devolves *via* two major channels -- one is central assistance to States and the other is the Centrally-sponsored schemes. In 2008, the Government at that time, thinking perhaps that they were not effectively able to monitor these schemes and the funds that devolve on States, a pilot project, called the Central Planned Scheme Monitoring System was put up for five States. Since this pilot project was effective they have extended it to all States and to all Ministries and is now being called the Public Financial Management System. This system from one place in Delhi, one place in the State, one place in the district headquarter is able to monitor more or less all schemes either centrally-sponsored schemes or block grants that have been devolved on the respective States.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House will now take up Papers to be laid on the Tableof the House.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report and Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Institute of Chartered Accountant of India published in Notification No. 1-CA(5)/65/2014 in Gazette of India dated 29th September, 2014, under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

[Placed in Library, See No. LT 1404/16/14]

(2) A copy of the Annual Report and Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Institute of Company Secretaries of India published in Notification No. F. No. 104/34/Accts. in Gazette of India dated 25th September, 2014, under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980.

[Placed in Library, See No. LT 1405/16/14]

(3) A copy of the Annual Report and Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Institute of Cost Accountants of India published in Notification No. G/18-CWA/9/2014 in Gazette of India dated 24th September, 2014, under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

[Placed in Library, See No. LT 1406/16/14]

(4) A copy of the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. No. A-12015/1/2014-HR/CCI in Gazette of India dated 24th November, 2014 under sub-section (3) of Section 64 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 1407/16/14]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Declaration and Payment of Dividend)
 Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.
 397(E) in Gazette of India dated 12th June, 2014.
- (ii) The Companies (Miscellaneous) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 506(E) in Gazette of India dated 18th July, 2014.
- (iii) The Companies (Specification of definitions details) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 507(E) in Gazette of India dated 18th July, 2014.
- (iv) The Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 537(E) in Gazette of India dated 24th July, 2014.
- (v) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 590(E) in Gazette of India dated 14th August, 2014.
- (vi) The Companies (Corporate Social Responsibility Policy)

 Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.
 644(E) in Gazette of India dated 12th September, 2014.
- (vii) The Companies (Appointment and Qualification of Directors)Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.671(E) in Gazette of India dated 18th September, 2014.
- (viii) The Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 722(E) in Gazette of India dated 14th October, 2014.
- (ix) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 723(E) in Gazette of India dated 14th October, 2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 1408/16/14]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) G.S.R. 568(E) published in Gazette of India dated 7th August, 2014 making certain amendments in Schedule VII of Companies Act, 2013.
 - (ii) G.S.R. 627(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2014 making certain amendments in Schedule II of Companies Act, 2013.
 - (iii) G.S.R. 741(E) published in Gazette of India dated 24th October, 2014 making certain amendments in Schedule VII of Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1409/16/14]

- (8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) The Companies (Removal of Difficulties) Fifth Order, 2014 published in Notification No. S.O.1820(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.
 - (ii) The Companies (Removal of Difficulties) Sixth Order, 2014 published in Notification No. S.O.1894(E) in Gazette of India dated 24th July, 2014.
 - (iii) The Companies (Removal of Difficulties) Seventh Order, 2014 published in Notification No. S.O.2226(E) in Gazette of India dated 4th September, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1410/16/14]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 642 of the Companies Act, 1956:-

- (i) The Company Law Board (Fees on Applications and Petitions)

 Amendment Rules, 2014 published in Notification No.

 G.S.R. 772(E) in Gazette of India dated 3rd November,
 2014.
- (ii) The Companies (Central Government's) General Rules and Forms Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 815(E) in Gazette of India dated 18th November, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1411/16/14]

(10) A copy of the (Hindi and English versions) of the Mid-Year Economic Analysis, 2014-2015, under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 1412/16/14]

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1413/16/14]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1414/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1415/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1416/16/14]

- (4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1417/16/14]

- (5) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2013-2014 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-
 - (i) Population Research Centre (Institute for Social and Economic Change), Bangalore.

 [Placed in Library, See No. LT 1418/16/14]
 - (ii) Population Research Centre (Maharaja Sayajirao University of Baroda), Vadodara.

 [Placed in Library, See No. LT 1419/16/14]
 - (iii) Population Research Centre (Utkal University),
 Bhubaneswar.

 [Placed in Library, See No. LT 1420/16/14]
 - (iv) Population Research Centre (Centre for Research in Rural and Industrial Development), Chandigarh.

 [Placed in Library, See No. LT 1421/16/14]
 - (v) Population Research Centre (Punjab University), Chandigarh. [Placed in Library, See No. LT 1422/16/14]
 - (vi) Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi.

[Placed in Library, See No. LT 1423/16/14]

(vii) Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad.

[Placed in Library, See No. LT 1424/16/14]

(viii) Population Research Centre (Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Gandhigram.

[Placed in Library, See No. LT 1425/16/14]

(ix) Population Research Centre (Guwahati University), Guwahati.

[Placed in Library, See No. LT 1426/16/14]

(x) Population Research Centre (University of Lucknow), Lucknow. [Placed in Library, See No. LT 1427/16/14] Population Research Centre (Patna University), Patna. (xi) [Placed in Library, See No. LT 1428/16/14] (xii) Population Research Centre (Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune. [Placed in Library, See No. LT 1429/16/14] (xiii) Population Research Centre (Dr. Harisingh Gour University), Sagar. [Placed in Library, See No. LT 1430/16/14] (xiv) Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla. [Placed in Library, See No. LT 1431/16/14] Population Research Centre (University of Kashmir), (xv) Srinagar. [Placed in Library, See No. LT 1432/16/14] Population Research Centre (University of Kerala), (xvi) Thiruvananthapuram. [Placed in Library, See No. LT 1433/16/14] (xvii) Population Research Centre (Mohanlal Sukhadia University), Udaipur. [Placed in Library, See No. LT 1434/16/14] (xviii) Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam. [Placed in Library, See No. LT 1435/16/14]

(6) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the above mentioned Population Research Centres, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1436/16/14]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2013-2014.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1437/16/14]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pasteur Institute of India, Coonoor, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pasteur Institute of India, Coonoor, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1438/16/14]

- (9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 32 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012:-
 - (i) The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences,
 Banglaore Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R.
 759(E) in Gazette of India dated 29th November, 2013.
 - (ii) The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences,Banglaore Regulations, 2013 published in Notification No.G.S.R. 760(E) in Gazette of India dated 29th November, 2013.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 1439/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1440/16/14]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronic Limited, Bangalore, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Bharat Electronic Limited, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1441/16/14]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1442/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Applied Manpower Research, Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Applied Manpower Research, Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1443/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cantonment Boards for the year 2013-2014.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cantonment Boards for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1444/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1445/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1446/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2013-2014.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Unani Medicine, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1447/16/14]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ayurveda, Jaipur, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1448/16/14]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1449/16/14]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1450/16/14]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1451/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1452/16/14]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1453/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1454/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1455/16/14]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1456/16/14]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1457/16/14]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1458/16/14]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1459/16/14]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1460/16/14]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1461/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2014 together with Auditor's Report thereon:-
 - (i) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal [Placed in Library, See No. LT 1462/16/14]
 - (ii) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun [Placed in Library, See No. LT 1463/16/14]
 - (iii) Bangiya Gramin Vikash Bank, Berhampore [Placed in Library, See No. LT 1464/16/14]
 - (iv) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer [Placed in Library, See No. LT 1465/16/14]
 - (v) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Raebareli [Placed in Library, See No. LT 1466/16/14]
 - (vi) Bihar Gramin Bank, Begusarai [Placed in Library, See No. LT 1467/16/14]
 - (vii) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur[Placed in Library, See No. LT 1468/16/14]
 - (viii) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur
 [Placed in Library, See No. LT 1469/16/14]
 - (ix) Deccan Grameena Bank, Hyderabad [Placed in Library, See No. LT 1470/16/14]
 - (x) Dena Gujarat Gramin Bank, Gandhinagar [Placed in Library, See No. LT 1471/16/14]
 - (xi) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar [Placed in Library, See No. LT 1472/16/14]

(X11)	Gramin Bank of Aryavart, Lucknow
	[Placed in Library, See No. LT 1473/16/14]
(xiii)	Himachal Gramin Bank, Mandi
	[Placed in Library, See No. LT 1474/16/14]
(xiv)	J&K Grameen Bank, Jammu
	[Placed in Library, See No. LT 1475/16/14]
(xv)	Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad
	[Placed in Library, See No. LT 1476/16/14]
(xvi)	Kerala Gramin Bank, Malapuram
	[Placed in Library, See No. LT 1477/16/14]
(xvii)	Kaveri Grammena Bank, Mysore
	[Placed in Library, See No. LT 1478/16/14]
(xviii)	Langpi Dehangi Rural Bank, Diphu
	[Placed in Library, See No. LT 1479/16/14]
(xix)	Madhya Bihar Gramin Bank, Patna
	[Placed in Library, See No. LT 1480/16/14]
(xx)	Madhyanchal Gramin Bank, Sagar
	[Placed in Library, See No. LT 1481/16/14]
(xxi)	Malwa Gramin Bank, Sangrur
	[Placed in Library, See No. LT 1482/16/14]
(xxii)	Marudhara Gramin Bank, Jodhpur
	[Placed in Library, See No. LT 1483/16/14]
(xxiii)	Mewar Aanchalik Gramin Bank, Udaipur
	[Placed in Library, See No. LT 1484/16/14]
(xxiv)	Manipur Rural Bank, Imphal
	[Placed in Library, See No. LT 1485/16/14]
(xxv)	Meghalaya Rural Bank, Shillong
	[Placed in Library, See No. LT 1486/16/14]
(xxvi)	Mizoram Rural Bank, Aizawl
	[Placed in Library, See No. LT 1487/16/14]

(xxvii) Nagaland Rural Bank, Kohima
[Placed in Library, See No. LT 1488/16/14]
(xxviii) Narmada Jhabua Gramin Bank, Indore
[Placed in Library, See No. LT 1489/16/14]
(xxix) Pallavan Grama Bank, Salem
[Placed in Library, See No. LT 1490/16/14]
(xxx) Pandyan Grama Bank, Virudhunagar
[Placed in Library, See No. LT 1491/16/14]
(xxxi) Pragathi Krishna Gramin Bank, Bellary
[Placed in Library, See No. LT 1492/16/14]
(xxxii) Prathama Bank, Moradabad
[Placed in Library, See No. LT 1493/16/14]
(xxxiii) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
[Placed in Library, See No. LT 1494/16/14]
(xxxiv) Odisha Gramya Bank, Bhubaneshwar
[Placed in Library, See No. LT 1495/16/14]
(xxxv) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor
[Placed in Library, See No. LT 1496/16/14]
(xxxvi) Sarva UP Gramin Bank, Meerut
[Placed in Library, See No. LT 1497/16/14]
(xxxvii) Sarva Haryana Gramin Bank
[Placed in Library, See No. LT 1498/16/14]
(xxxviii) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot
[Placed in Library, See No. LT 1499/16/14]
(xxxix) Tripura Gramin Bank, Agartala
[Placed in Library, See No. LT 1500/16/14]
(xl) Utkal Grameen Bank, Balangir
[Placed in Library, See No. LT 1501/16/14]
(xli) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun
[Placed in Library, See No. LT 1502/16/14]

(xlii) Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Coochbehar [Placed in Library, See No. LT 1503/16/14]

(xliii) Vananchal Gramin Bank, Dumka

[Placed in Library, See No. LT 1504/16/14]

(xliv) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

[Placed in Library, See No. LT 1505/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Economic Service Section-Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Economic Service Section-Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1506/16/14]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1507/16/14]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976:-
 - (i) S.O.1855(E) published in Gazette of India dated 17th July, 2014 regarding dissolution of Marudhara Gramin Bank and Mewar Aanchalik Gramin Bank by reason of amalgamation.
 - (ii) S.O.1856(E) published in Gazette of India dated 17th July, 2014 regarding shifting of Head Office of Maharashtra Gramin Bank from Nanded to Aurangabad.

(iii) S.O.2718(E) published in Gazette of India dated 20th October, 2014 regarding change of name of Deccan Grameena Bank as Telangana Grameena Bank and change of area of operation of Telangana Grameena Bank.

- (iv) S.O.2719(E) published in Gazette of India dated 20th October,2014 regarding change of area of operation of Andhra PradeshGrameena Vikas Bank.
- (v) S.O.2812(E) published in Gazette of India dated 3rd November,2014 regarding dissolution of Gurgaon Gramin Bank andHaryana Gramin Bank by reason of amalgamation.

[Placed in Library, See No. LT 1508/16/14]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
 - (i) The Securities and Exchange Board of India [KYC (Know Your Client) Registration Agency] (Second Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/05/23483 in Gazette of India dated 11th August, 2014.
 - (ii) The Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) (Amendment)
 Regulations, 2014 published in Notification No. LADNRO/GN/2014-15/08/1491 in Gazette of India dated 15th
 September, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1509/16/14]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-
 - (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 487(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Tenth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 798(E) in Gazette of India dated 13th November, 2014.

- (iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 799(E) in Gazette of India dated 13th November, 2014.
- (iv) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourteenth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 800(E) in Gazette of India dated 13th November, 2014.
- (v) The Foreign Exchange Management (Remittance of Assets)(Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No.G.S.R. 803(E) in Gazette of India dated 14th November, 2014.
- (vi) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security by a Person Resident Outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 828(E) in Gazette of India dated 21st November, 2014.
- (vii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifteenth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 829(E) in Gazette of India dated 21st November, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1510/16/14]

- (7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1511/16/14]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, for the year 2013-2014.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1512/16/14]

- (9) (i) A copy of the 25th Liquidator's Report (Hindi and English versions) on voluntary winding up of IIBI to the equity shareholders of IIBI (under Members' voluntary winding up) for the quarter ended 30.09.2014.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the voluntary winding up of IIBI to the equity shareholders of IIBI (under Members' voluntary winding up) for the quarter ended 30.09.2014.

[Placed in Library, See No. LT 1513/16/14]

(10) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority (Health Insurance) (First Amendment) Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./7/90/2014 in Gazette of India dated 24th November, 2014 under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 1514/16/14]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (11th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O. 2874(E) in Gazette of India dated 10th November, 2014, together with an explanatory memorandum.

- (ii) The Bank Term Deposit (Amendment) Scheme, 2014 published in Notification No. S.O. 2906(E) in Gazette of India dated 13th November, 2014, together with an explanatory memorandum.
- (iii) S.O. 3014(E) published in Gazette of India dated 28th November, 2014, together with an explanatory memorandum notiffying a resident, being an applicant under Section 245N for the purpose of chapter XIX-B of the Income Tax Act.
- (iv) The Income-tax (12th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O. 3015(E) in Gazette of India dated 28th November, 2014, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 1515/16/14]

- (12) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-
 - (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 32 of 2014)(Department of Revenue-Direct Taxes)-Appreciation of Third Party (Chartered Accountant) Reporting in Assessment Proceedings for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1516/16/14]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 33 of 2014)-Department of Revenue (Indirect Taxes-Central Excise)-Central Excise Administration in Automotive Sector for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1517/16/14]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 35 of 2014)-Army, Ordnance Factories and Defence Public Sector Undertakings for the year ended March, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1518/16/14]

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 37 of 2014)-Performance Audit of Indira Awaas Yojana, Ministry of Rural Development for the year ended March, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1519/16/14]

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 31 of 2014) (Performance Audit)-Management of Goods Trains in Indian Railways for the year ended March, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1520/16/14]

(vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 34 of 2014)-Air Force and Navy for the year ended March, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1521/16/14]

(13) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the first quarter of financial year 2014-2015, under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 1522/16/14]

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1523/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1524/16/14]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2011-2012.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2011-2012.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 1525/16/14]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1526/16/14]

- 5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1527/16/14]

12.02 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table the following 3 Bills passed by the Houses of Parliament during the Third Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 25th November, 2014:-

- 1. The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2014;
- 2. The Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 2014;
- 3. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2014.

12.02 ½ hrs

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 1st Report

SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): Madam, I beg to present the First Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Twenty-ninth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Public Undertakings on Food Corporation of India partially based on C&AG Report No. 7 of 2013 (Performance Audit) on storage management and movement of food grains in Food Corporation of India.

12.03 hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION1st and 2nd Action Taken Reports

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन और समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.03 ½ hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(i) 1st Report

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): अध्यक्ष महोदया, विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(ii) Statement

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित "पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन और बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही क्रेडिट सुविधाएं" विषय पर 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अंतिम विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.05 hrs

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 1st and 2nd Report

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): माननीय अध्यक्षा जी, 'मैं कन्याओं के विशेष संदर्भ में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन' और 'पुलिस बल में महिलाओं की कार्य दशा' विषयों पर समिति के क्रमश: 20वें और 21वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तृत करती हूं।

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE 4th Report

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय अध्यक्षा जी, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (16वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMEMNT 1st to 4th Reports

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

- (1) First Report on Demands for Grants (2014-15) of the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).
- (2) Second Report on Demands for Grants (2014-15) of the Department of Land Resources (Ministry of Rural Development).
- (3) Third Report on Demands for Grants (2014-15) of the Ministry of Panchayati Raj.
- (4) Fourth Report on Demands for Grants (2014-15) of the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

1st to 6th Reports

श्री रमेश बैस (रायपुर): माननीय अध्यक्षा जी, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तृत करता हूं:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (नि:शक्तता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
- (5) "संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014" संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(6) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014" संबंधी छठा प्रतिवेदन।

12.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE 73rd Report

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Madam, I beg to lay the Seventy-third Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the Repealing and Amending Bill, 2014.

12.07 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 59th Report of the Standing Committee on Finance on 'Current Economic Situation and Policy Options', pertaining to the Ministry of Finance *

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam Speaker, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 59th Report of the Standing Committee on Finance on 'Current Economic Situation and Policy Options', pertaining to the Ministry of Finance.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 1528/16/14

12.08 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 98th, 99th, 102nd, 109th and 114th reports of the Standing Committee on Commerce, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam Speaker, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the following reports of the Standing Committee on Commerce, pertaining to the Ministry of Commerce and Industry:-

- (1) 98th Report on Export of Food Grains Premium Non Basmati Rice and Wheat.
- (2) 99th Report on Export Promotion of Agriculture and Processed Food Products.
- (3) 102nd Report on Performance of Plantation Sector Tea and Coffee Industry.
- (4) 109th Report on Performance of Plantation Sector Tea and Coffee Industry.
- (5) 114th Report on Functioning of India Trade Promotion Organisation.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 1529/16/14, 1530/16/14, 1531/16/14, 1532/16/14 and 1533/16/14 respectively.

12.09 hrs

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i)Electricity (Amendment) Bill, 2014*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL):

Madam Speaker, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003."

The motion was adopted.

SHRI PIYUSH GOYAL: I introduce** the Bill.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, the Bill should be referred to the Standing Committee as was discussed yesterday in the meeting.... (*Interruptions*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय अध्यक्षा जी, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने में सरकार को कोई आपित नहीं है। आप भेज दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

डॉ. किरीट सोमेया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्षा जी, यह मुस्लिमों का बहुत ही बड़ा मुद्दा है।...(व्यवधान)

^{*} Published in the Gazettee of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 19.12.2014

^{**} Introduced with the recommendation of the President

माननीय अध्यक्ष: सोमैया जी, आपका भी नोटिस है। आपको भी बोलने का समय दे दूंगी। ...(व्यवधान)

12.10 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: alleged grant of bail to mastermind behind 26/11 Mumbai terror attack by a Pakistani anti-terror court

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्षा जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमने उठाया है और सारे सदन के सदस्य भी बड़े चिंतित हैं क्योंकि दो दिन पहले ही 132 बच्चों की हत्या पाकिस्तान में कर दी गई थी।उसके बाद पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ जी ने कहा था कि हम टैरेरिज्म को रोकने के लिए हम हर कदम उठाएंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे। यह वादा भी उन्होंने किया था।

लेकिन दो दिन के बाद उनका दूसरा चेहरा आज हमें दीख रहा है, जो हमारे सामने आया है। जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है, जकी-उर-रहमान लखवी, उन सात लोगों में से एक एक्यूज्ड है। उसकी बेल के बारे में जब पूरे पाकिस्तान में वकीलों की हड़ताल हो रही थी तो उस वक्त यह विषय रावलिपंडी एंटी-टैरिस्ट कोर्ट में पेश करके बगैर बहस के अगर उन्हें बेल दी जाती है और सरकार भी उधर ध्यान नहीं देती है तो इसे क्या कहना चाहिए और किस ढंग से इसे कंडैम करना चाहिए। यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

दूसरी चीज यह है कि कांस्टेन्टली ऐसे केसिज के बारे में, जो लोग 26/11 में 166 लोगों को मारकर गये थे, जिन्हें इस लखवी ने ट्रेनिंग दी थी तो उन्होंने ही ...(व्यवधान) आपने अगर साइड किया तो मुश्किल होगी। क्योंकि यह बड़ा इश्यु है और सिर्फ मुम्बई वाले ही नहीं, बल्कि सारे देश के लोग इस पर चिंतित हैं और उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या रुख है। क्योंकि टेलिफोन पर प्रधान मंत्री जी की बात हो गई, जब 132 बच्चों की मौत हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री का इसके बारे में क्या विचार है? क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्योंकि उनकी बात टेलिफोन पर हुई थी और क्या नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मिलकर टैरिरेज्म को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहते थे या उनसे और क्या बातें हुईं। इस सदन को प्राइम मिनिस्टर अगर बतलायेंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी इस देश की जनता के ऊपर वह करेंगे। यह हमारी मांग है। अब आप यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारी कोई पोलिटिक्स नहीं है और हम पोलिटिक्स करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यदि ऐसे एक-एक करके लोग छूटते गये तो टैरिस्ट्स का हौसला और भी बढ़ता जायेगा और हर जगह ऐसे ट्रेनिंग कैम्प खुलते जायेंगे। सारी दुनिया में ऐसे टैरिस्ट्स का फैला हुआ जाल है और आपने देखा होगा कि टैरिस्ट्स ने हर साल दो हजार से लेकर 22 हजार तक लोगों को मारा है और आज

आठ-दस सालों में अगर हम उनकी संख्या देखेंगे तो लगभग एक लाख के आसपास होगी। दुख की बात यह है कि हम यहां यूनानिमसली रेजोल्यूशन लाये, आपने लाकर कंडैम किया और हमने यह कहा कि पाकिस्तान की इस दुखद घटना में हम सभी एक हैं और सारी दुनिया के लोग एक हैं। लेकिन उसके दो दिन के बाद ऐसे टैरिस्ट को रिहा करना और सिर्फ पांच लाख रुपये की बेल पर अगर वह उसे रिहा कर देते हैं तो यह बड़ी मुश्किल स्थिति है, इसमें प्रोसीक्यूशन का फेल्योर है। हमारी सरकार किस हद तक इसका परस्युएशन करेगी, क्योंकि वहां के एम्बेसेडर से इसके बारे में डे-टुडे जांच करना और मालूमात करना यह हमारा कर्तव्य होता है। मैं यह नहीं कहता कि वहां जाकर हमारे वकील कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने उन्हें बहुत से एविडेन्स दिये थे, हमारे निकम साहब, जो मुम्बई के एडवोकेट थे, उन्होंने भी एविडेन्स दिये थे। लेकिन उन्होंने किसी ऐविडेन्स को नहीं सुना और वह वहां की कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ।

इसलिए हम एक सैमिस्टर स्टेटमेंट इसके बारे में आपसे मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर आ कर अगर स्टेटमेंट देंगे तो अच्छा होगा। ...(व्यवधान) I am not debating or scoring any point over you. We are all concerned about it. जितनी चिंता आपको है, उतनी ही चिंता हम सबको भी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बेहतर यह होगा कि प्राइम मिनिस्टर यहां आ कर अपनी बात रखें तो सभी को मालूम होगा, सारी जनता को भी यह मालूम होगा। हर वीक तो आप रेडियो पर मन की बात करते हैं, कम से कम देश के लिए क्या बात है, यहां पर आ कर बताएं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात पूरी हो गई, अब किरीट सोमैया जी आप बोलें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shrimati Kavitha Kalvakuntla, Shri Godam Nagesh, Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju and Shri Bhagwant Mann are permitted to associate with the matter raised by Shri Mallikarjun Kharje during 'Zero Hour' today..

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैया नायडू): मैडम, यहां सबसे मेरा अनुरोध है कि यह बहुत गंभीर और नाजुक मामला है। हमारे पड़ोसी देश में जो हो रहा है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए एक मैसेज ऐसा चाहिए कि पूरा सदन एक हो कर इस विषय में एक स्वर से बोले। इसलिए कमेंट, साइड कमेंट, रिनंग कमेंट किसी को नहीं करना चाहिए। इंटरनैशनल लैवल पर भी लोग इसको देख रहे हैं। स्पीकर महोदय जिनको मौका देंगे, वे सभी लोग बोलें और केवल इसको निंदा करें और इसके बारे में क्या करना चाहिए, वहां तक सीमित करें तो बेहतर होगा। जैसा मैंने सुबह कहा बंग्लादेश के प्रेसिडेंट आए हैं, वे

प्रधान मंत्री के साथ भी मिल रहे हैं और मंत्री जी के साथ में मिल रहे हैं। मगर बहस पूरी होने के बाद मैं उन लोगों से चर्चा कर के इस पर कैसे और कब रिस्पांस देना है, वह मैं आपको बताऊंगा।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी जब बता रहे थे, उस समय मुझे वह पल और क्षण याद आ रहा था कि 26/11 की उस रात को मैं सीएसटी स्टेशन के बाहर उस चौक पर खड़ा था और मेरे सामने गोलियों की बौछार हो रही थी। यह जो ज़की उर रहमान लखवी, उनके शागिर्द ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये क्या हो रहा है? क्यों हंस रहे हैं? क्या बात है? यह गलत तरीका है? आप चाहते क्या हैं?

...(व्यवधान)

खॉ. किरीट सोमैया : मैडम, मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि जब ये लखवी के शागिर्द वहां पर गोलियों की बौछार कर रहे थे, तब मैं वहां जनता के साथ खड़ा था। मेरे सामने हेमंत करकरे वहां से निकल कर उन आतंकवादियों का सामना करने के लिए कामा हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ क्षणों बाद उस अस्पताल के बगल के जीटी अस्पताल में जो दूसरे शहीद विजय सारसकर हैं, उनका मृत देह लाया गया। आज मुझे वह हेमंत करकरे, उनका परिवार, उनकी पत्नी जो चल बसी हैं, याद आते हैं। जब हमारी कोर्ट में कसाब पर मुकदमा चल रहा था, तब अनेक बार हमने मांग की थी कि उस गुनहगार को हमें सौंपा जाए। मगर पाकिस्तान ने हमें वह नहीं सौंपा। पाकिस्तान ने कहा कि हम न्याय करेंगे, हम उसके ऊपर प्रोसिडिंग चलाएंगे सिर्फ इतनी बातें की और आज उसको जमानत के ऊपर छोड़ दिया। आज इतने परिवार बर्बाद हो गए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, विजय सारसकर हों या हेमंत करकरे हों, उनकी शहादत, आज इस सदन को उनकी शहादत को याद कर के एक स्वर में पाकिस्तान से यह कहना चाहिए कि जो भी गुनहगार हैं, उन्हें तुरंत हिंदुस्तान के न्यायालय में हाज़िर किया जाए। पाकिस्तान पर मुकदमा चलाया जाए और जो हाल कसाब का हुआ है, वही हाल सिर्फ लखवी ही नहीं, उनके साथ में जो भी मास्टरमाइंड हैं, उन सबके किए जाएं। यह मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम सब की जो भावनाएं हैं, हिंदुस्तान की जो भावनाएं हैं, विदेश मंत्रालय ने तो वह पाकिस्तान सरकार से व्यक्त की हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा यह भी व्यक्त करना चाहूंगा कि सदन आज जो भाव व्यक्त करे, वह विदेश मंत्री स्वयं या सरकार का कोई उचित अधिकारी यह भाव पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ तक पहुंचाए कि हमारे जो हाल हुए हैं, वे आपके भी होने लगे हैं, इसलिए आतंकवाद का मुकाबला हम एक साथ मिल कर करें। मेरी यही प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी और श्री अर्जुन राम मेघवाल को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदया, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब दो रोज़ पहले पेशावर में इतने बच्चों की मौत आतंकवादियों के हाथों हुई है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरा विश्व, हमारा पूरा देश, हम सबने राजनीति, देश, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर इसका कंडेम किया। आतंकवाद से कोई समझौता कोई भी अगर करता है तो बाद में उसे भुगतना भी पड़ता है। किसी भी बहाने आतंकियों के साथ कोई भी समझौते की जगह नहीं है।

मुम्बई में 26/11 को सरहद पार से लोग आए और हमारे लोग आतंकी हमले का शिकार हुए। अभी किरीट सोमैया जी ने कहा, हेमंत करकरे, सलास्कर, कामते और ऐसे हमारे बहुत से, सिर्फ हमारे सुरक्षाकर्मी ही नहीं, हमारे नागरिक, विदेशी पर्यटक और बेगुनाह लोगों को मारा गया। हम जब यह माँग कर रहे हैं कि जो अपराधी पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे वह हाफिज सईद हो, चाहे लखवी हो, उनको हमारे हाथ में दिया जाए। अगर पाकिस्तान उन्हें सजा नहीं सुना सकता है तो हिन्दुस्तान की सरजमीं पर हम उनको सजा सुनायेंगे। यह तब हो रहा है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि दिल दहल गया पाकिस्तान का और हम तब तक यह जंग लड़ते रहेंगे, जब तक आखिरी टेरिस्ट पाकिस्तान में जिंदा रहेगा। उसके बाद यह काम बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। अगर पूरा पाकिस्तान टेरिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है तो फिर वहाँ पर लखवी को जमानत मिलने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि हमारी भावना है कि एकजुट होकर पूरे देश की तरफ से, अगर दक्षिण एशिया में हमें दहशतगर्दी से लड़ना है तो हम किसी भी हिस्से में चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, किसी की जमीन को भी हम टेरिस्टट को इस्तेमाल करने नहीं देंगे।

पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर हमले ने जैसे हमारा दिल झिझोड़ दिया है, हमारे लोगों की जो हत्या हुई, वह पाकिस्तान के दिल को भी दहलाने वाला है। अमन पसन्द लोग चाहे वे सरहद के उस पार हों या सरहद के इस पार हों, हमें एक साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। इस बात को आप हमारे देश की संसद के जिए पाकिस्तान की संसद को भी बतायें कि अगर उनकी जुडीशियरी में अभी भी ऐसी कमजोरी है कि वहाँ की दहशतगर्दी को वे पनाह देते हैं तो वहाँ की संसद, कम से कम वहाँ की जनता के प्रतिनिधि इस बात को दोहराएं कि हम दहशतगर्दी से कोई समझौता नहीं करेंगे। SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Yesterday was a very

unfortunate day. When I was watching the television, I saw that on the basis of evidence, a court of Pakistan had come to a conclusion that the charges were not established. Indian Government had handed over the evidences which

conclusively prove their allegation itself. Unfortunately, such evidence was discarded. Without attributing any aspersion on the Judiciary – I am using the very legal term – I would say that the entire findings of the court of Pakistan was totally perverse and ignored the evidences which were handed over by the Indian Government.

Therefore, I, through you, Madam, request the hon. Ministers who are present here, that this should taken up very seriously and immediately with the Pakistan Government. An immediate appeal should be preferred against this judgement. All steps should be taken for that purpose. I appeal to the hon. Minister to inform the Pakistan Government of our action. Our Attorney General may be sent there for the purpose of argument against the accused. I know limitation is there. Therefore, this request can be made – if it is needed, our Attorney General of India will go and argue the matter against the accused in that case. We should condemn in a very stricter language and criticize the judgement of the Pakistan court.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदया, एक बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर विाय पर और देश की सुरक्षा के विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। महोदया, 26/11 की बात आई, उसके पहले भी मुम्बई में हादसे होते रहे हैं।

रेल में बम विस्फोट हुए। 26/11 में तो जैसे हमारे किरीट सोमैया जी ने कहा, कामटे, करकरे और सालसकर और सबसे महत्वपूर्ण जो कांस्टेबल था तुकाराम ओम्बले, उसने आतंकवादियों को पकड़ा, तभी तो कसाब मिला और कसाब के पकड़े जाने की वजह से सारी दुनिया को पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा नज़र में आया। आज ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। दुर्भाग्यवश कल-परसों जो पाकिस्तान में हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ, इतना सदमा पहुँचा कि क्या उन बच्चों का कुसूर था। इतना होने के बावजूद, सारी दुनिया दुखी थी। उस माँ की तरफ जब हम देखते थे तो लगता था कि जिस माँ ने अपना बच्चा खोया, जिस पिता ने अपने बच्चा खोया, जिसने अपना भाई खोया, उनके घर में, उनके परिवार में क्या दुख रहा होगा। उन बच्चों का क्या कुसूर था? ऐसे माहौल में कोर्ट ने निर्णय दिया और जो हमारे 26/11 के आरोपी थे, उनको रिहा कर दिया। अब वह तो ज़ख्म पर नमक छिड़कने वाली बात है। मैं सदन के माध्यम से सरकार को कहूँगा कि इसके बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शरीफ साहब जो वहाँ के प्रधान मंत्री हैं, उनसे बात करें और फिर दोबारा केस ओपन करें। जैसे अभी माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी ने एशिया की बात कही, मुझे तो लगता है कि पूरी

दुनिया को इस मुद्दे पर इकट्ठा होना चाहिए। यह बहुत डैस्टर्डली एक्शन है। इस पर पूरी दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए सारे आतंकवादियों के खिलाफ, कभी कभी बहुत दिमाग में यह बात आती है।...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। इस बात को लेकर उसको रिहा कर दिया है और इसका इल्ज़ाम सईद हाफिज़ हमारे माननीय प्रधान मंत्री पर लगा रहे हैं। यह तो और भी दुख की बात है। वह सरेआम टीवी पर आकर यह बात कहता है जिसके खिलाफ हमारी सरकार को चुप करके नहीं बैठना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इसको लेकर न सिर्फ एशियन कंट्रीज़, Let it go to the UN also. But, somewhere we have to stop it. It is creating problem in Afghanistan, Balochistan, Syria, Iran, Iraq; it is creating a problem throughout the world. Extremists are creating problem throughout the world. उसको हम जितना डिप्लोर करें, जितनी उसकी निन्दा करें वह कम है।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Madam, the release of the most wanted terrorist Lakhvi by the Pakistan Government exposes the dual nature of Pakistan today. Not only our country, but the entire world is watching Pakistan and we all understand that. But to strictly condemn from our side and make sure that India is serious about the intentions of containing terrorism inside our territory, we need to send a serious message from the Parliament.

Through you Madam, I would request the Government to bring about a resolution which, I am sure, all the parties will support unanimously. Let us make a resolution from our Parliament strictly condemning the action and also the situation to be taken under control. I would request for a resolution to be brought in from the Government side. Thank you.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ जो घटना घटी, उसके बाद लगातार वहाँ से, उनके देश से सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, देश के राजनीतिक व्यक्ति ने भी जिस तरीके से रॉ को, प्रधान मंत्री जी को या यहाँ की सरकार को जिस तरीके से उन्होंने निशाना बनाया है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उसके संदर्भ हमारे देश के प्रति सही नहीं हैं। मैं सिर्फ कंडेम करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। पाकिस्तान का दोहरा चित्र हमेशा दिख रहा है। खास तौर से कोर्ट और वहाँ के जो सदस्य हैं, वहाँ के जो प्रधान मंत्री हैं, जो भी बने हैं, उनका हमेशा से दोहरा चित्र रहा है। इस दुनिया को वहाँ के जो दो चित्र हैं और वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देकर जो तालिबान को पैदा किया और हिन्दुस्तान हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, पूरे हिन्दुस्तान के साथ

पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर इस तरह की घटना के खिलाफ निन्दा तो करनी ही चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश को पूरी दुनिया से बात करके, एक माहौल तैयार करके आतंकवाद की समाप्ति के लिए, उसके सफाये के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, हम ऐसा महसूस करते हैं। हम सदन के मार्फत मरे हुए लोगों के प्रति संवेदना के साथ इस बात की निन्दा करते हैं कि जो मुम्बई घटना के अभियुक्त को छोड़ा गया, उसको अविलंब गिरफ्तार करें और उसे भारत को सौंपें, मैं ऐसा चाहता हूँ।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): मैडम, एक ऐसा दहशतगर्द जिसने मासूम हिन्दुस्तानियों का कत्ल किया और पाकिस्तान की अदालत ने उसको ज़मानत पर रिहा किया, मुझे अफसोस होता है कि कैसी अदालत है और कैसी जेल है कि एक दहशतगर्द जेल में रहते हुए भी बाप बन जाता है। इससे अंदाज़ा होता है कि वहां की अदिलया हमें इंसाफ दिलाने के लिए कितनी गंभीर है। मैं आपके ज़िरए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि इस बात का सख्त नोट लें। पाकिस्तान के सिफारतकार को यहां बुलाकर अपना एहतजाज दर्ज करें और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दबाव डाला जाए बेनल अकवामी सतह पर अकवामे मत्तहदा का दहशतगर्द है। जब मुम्बई में हमला हो रहा था, तब ज़की-उर-रहमान लखवी कराची में हाफिद सईद के साथ था। कसाब ने कन्फेशन किया था कि ज़की-उर-रहमान लखवी से उसकी बात हुई, हाफिद सईद से उसकी बात हुई। हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ ज़की-उर-रहमान लखवी, बिल्क हाफिज सईद को भी भारत सरकार के दबाव के जिएए वहां की हकूमत हिरासत में ले, जिससे कि जो मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ, उसका हम पूरा बदला ले सकें।

आखिरी बात मैं आपके जिए से हुकूमत को बताना चाहता हूं कि दिसम्बर में अफगानिस्तान से अमरीका तिख्लिया कर रहा है। इस सिलिसिले में भी हुकूमत को बहुत संजीदगी से गौर करना है कि क्या हम उस माहौल को सामने रखकर कोई तैयारी कर रहे हैं या नहीं।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on this important issue.

Terrorists are the common enemies of all countries. In 26/11 bomb blast they have cruelly killed so many people in India. But unfortunately, the Government of Pakistan – I do not know the reasons behind it – is very liberal with terrorists. In our Indian mythology, there is one story of Bhasmasur. Now, Pakistan is facing the consequences of what they have done. It is a very great threat to all human beings not only of India but around the world.

Our country should take a lead against terrorism. We should fight against it on every international platform. We should also expose and condemn it.

I would like to salute all our soldiers through this august House. **माननीय अध्यक्ष :** कृपया इस संदर्भ में अपनी बात एक वाक्य में कहकर सहभागी बनें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि कल जो घटना पाकिस्तान में घटी है कि लखवी जैसे आतंकवादी को बेल दी गई है। इससे यह साफ हो गया है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों से मेल-मिलाप करके दुनिया में यह साबित करना चाहता है कि आतंकवाद को हम बढ़ावा देंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान सरकार से बात करें कि पाकिस्तान अपना रुख स्पष्ट करे कि आखिरकार वह क्या चाहता है।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Madam, terrorism, wherever it may be, we should fight it with iron hands. There is no doubt about it. But the lukewarm attitude adopted by the Government of Pakistan is highly objectionable. That attitude of the Government of Pakistan resulted in getting bail to Lakhvi. It is our duty to fight terrorism wherever it exists.

I would like to request this House to pass a Resolution to condemn such kind of incidents.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I stand here to express my anguish. The manner in which Lakhvi has been allowed to go on bail as far as this information goes, it is because of a lawyer's attitude that he was seeking time and that is how the court had allowed him to go on bail

In our sub-Continent, it seems that courts have become the lawyers' paradise, especially, in Pakistan. When such a sensitive incident has taken place in Peshawar, there is a need that the Pakistan Government should have taken action against those who are imprisoned or convicted in terrorist activities.

As far as we come to understand from media report is that still Pakistan has not learnt any lesson after the Peshawar incident. The expectation was that Pakistan would change its course of utilising terrorism as a means of foreign policy and as a means of defence policy. But with this attitude of letting out

Lakhvi from jail demonstrates that they still believe there are some good terrorists, there are some good Taliban and there are some bad Taliban. I hope and believe, perhaps, that this is not true but it seems that Pakistan is going to utilise Hafeez and Lakhvi against the Taliban of Afghanistan and they want to make an inroad into Afghanistan. In that respect, I think, our Government should be more doubly conscious and not only keep watch on whatever Pakistan is doing in the far-off northern State of Afghanistan and in their own country but also take active steps to pressurise the Pakistan Government to mobilise its armed forces and also its mechanism in judiciary to bring down all the terrorist activities and also prosecute them as per the rule of law.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, terror and terrorism is a crime against humanity. There is no justification for terrorism. The world experience also goes to show that whoever promotes terror and terrorism are being finished by the same evil force. Here also, in Pakistan after having the Peshawar incident of killing of more than 120 children, it is really regrettable. Even then, Pakistan is not learning lessons after the incidents and experiences which they are facing.

Madam, my submission to this august House is that beyond all the political differences, the entire House should unanimously condemn this act of the Pakistan Government in allowing Lakhvi to go on bail. That should be condemned. It is highly objectionable. In this case, this august House should give a message to the whole world that India is united in fighting the evil forces of terrorism.

श्री तारिक अनवर (किटहार): अध्यक्ष महोदया, दो दिनों पहले पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा 132 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद ऐसा लगा था कि पाकिस्तान की आंख खुलेगी। वहां के प्रधान मंत्री ने अपने बयान में यह कहा था कि अब आतंकवादियों से अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री को इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसे हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन, इसके दो ही दिनों के बाद वहां की अदालत का जो फैसला आया है, जिसमें मुम्बई हमले के आतंकवादी को ज़मानत पर रिहा किया गया है, यह मामला इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जो बात कही थी, उसमें सीरियसनेस कम है, गंभीरता कम है। भारत सरकार को इस मसले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे आतंकवादियों को अगर किसी भी

19.12.2014 74

तरीके से शह मिलता है तो आतंकवाद से लड़ने का जो संकल्प है, चाहे वह हमारे देश का हो या पाकिस्तान का हो, मैं समझता हूं कि उसमें कमी आएगी। इसलिए भारत सरकार को पाकिस्तान से मज़बूती के साथ बात करनी चाहिए। यहां जो सुझाव आए हैं, इस मामले में हम सब एक हैं कि हिन्दुस्तान के ऊपर हमला करने वाले जो भी आतंकवादी हैं, अगर उन्हें इस तरह से रिहा किया जाता है या पनाह दिया जाता है तो भारत उसे किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, यहां की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष महोदया, अभी-अभी पाकिस्तान में जिस तरह से निर्ममता पूर्वक 132 बच्चों की हत्या हुई थी, पूरे विश्व में शोक की लहर थी। वहां माताओं ने अपने बच्चे खोए थे, लेकिन यहां समाचार माध्यमों में समाचार को देखते हुए हमारे देश के भीतर माताएं रो रही थी। पूरा विश्व स्तब्ध था। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी टेलीफोन से बात करके उनके इस बड़े दुख में सहभागी होने की बात की थी। ऐसा लगता था कि इस आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान के रवैये में परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत अफसोस है कि दो दिन के भीतर ही जो रवैया सामने आया है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। 26-11 का जो मास्टरमाइंड जकीउर्रहमान लखवी था, उसको जिस तरह से वहां की अदालत ने यह कहते हुए कि अभियोजन के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए उसको जमानत पर रिहा किया है, वह बहुत ही दुखद है।

अध्यक्ष महोदया, मैं अधिक समय न लेते हुए इतना कहना चाहता हूं कि 26-11 की घटना के बाद जो आरोपी जिन्दा पकड़ा गया था, कसाब, उसने अपने बयान में यह बताया था कि लखवी ही वह शख्स था, जो सेटेलाइट फोन के जिए लगातार निर्देश दे रहा था। उसी ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी। भारत के द्वारा तमाम सबूत जो पाकिस्तान को सौंपे गए थे, 2009 में उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तब से लेकर अभी तक 46 गवाह वहां पर पेश हो चुके हैं और उन सभी 46 गवाहों ने इस बात को स्वीकार किया है कि लखवी समेत वे सारे लोग, छ: बाकी के लोग उस घटना के मुख्य आरोपी हैं। 15 गवाह अभी बाकी हैं. संभावना है कि वे भी लखवी के खिलाफ में ही गवाही देने वाले हैं। ऐसी स्थित में पाकिस्तान को ओर किस तरह के सबूत चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, पूरा सदन एकमत एवं एकजुट है, चिन्तित है। इसलिए सदन से आज एक ही आवाज जानी चाहिए, एक ही संदेश देना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का हम पूरी ताकत और क्षमता के साथ विरोध करेंगे। धन्यवाद।

श्री चिराग पासवान (जमुई): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जोकि दलगत राजनीति से, जात-पात, धर्म, मज़हब और देश की सीमाओं से उठ कर होते हैं। टेरेरिज़्म और आतंकवाद

के खिलाफ हमारी जंग, उनमें से एक ऐसा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ दिन पहले हमने देखा, जिस तरीके से पेशावर में 132 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। उसके खिलाफ पूरा देश, पूरी दुनिया एकजुट हुई। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जी का भी वक्तव्य आया, उससे भी एक बार के लिए भावना जागी और खास तौर पर हम भारतवासियों को इस बात का विश्वास हुआ, क्योंकि उनके खुद के घर में इतनी बड़ी साजिश रची गई है, इतनी बड़ी घटना घटी है तो शायद पहली बार पाकिस्तान भी एकजुट होकर गंभीरता से कुछ ऐसे कड़े कदम उठाएगा, जोकि देश एवं दुनियाभर में फैले हुए आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा। परन्तु हमने देखा कि जिस तीरीके से दो दिन के भीतर ही एक ऐसा वाक्या होता है, जिस तरीके से 26-11 के आरोपियों को वहां से बरी किया जाता है तो उधर शायद दिखता है कि पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है, वह कहता कुछ है और करता कुछ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। इसमें लिबर्टी के लिए कहीं पर कोई स्कोप नहीं है। हमें एकजुट होकर बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी न सिर्फ निन्दा करनी चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पेशावर में जो घटना हुई, उन बच्चों को याद करते हुए, 26-11 के शहीदों को याद करते हुए, उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों जो कुछ भी पाकिस्तान एवं आस्ट्रेलिया में हुआ, पूरी दुनिया आतंकवाद से चिन्तित एवं पीड़ित है। पाकिस्तान की तरफ से खतरनाक अपराधियों को छोड़े जाना, उससे भी ज्यादा चिन्तित है।

मैं कड़े शब्दों में इन घटनाओं की निन्दा भी करता हूं और जितने भी माननीय सदस्यों ने आज जो अपने-अपने वक्तव्य दिए हैं, मैं उनके साथ अपने आप को एसोसिएट भी करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Thank you, Respected Madam. This is a very sensitive issue. We have to create confidence among our people, and for this purpose the Government of India has to take concrete action regarding the Pakistan issue. This is our humble request on behalf of our Party. Thank you.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, this is a very serious issue. I am not going to make any statement

Madam, this is a very serious issue. I am not going to make any statement because I have sent a word to the Minister of External Affairs as well as the hon. Prime Minister. Once the engagement, which I had mentioned, is over, they may be coming here. So, I think that it would be better if we hear it from them. But my point is that I am happy -- as the Parliamentary Affairs Minister - that the entire House has spoken in one voice, and has reflected the mood of the nation. This itself is a message to Pakistan.

As Mr. Owaisi has said that the present context has to be seen in the context of US withdrawing from Afghanistan, and the related Taliban activities is also a major concern for the entire region. This also has to be kept in mind as all these are very sensitive matters.

As regards other suggestions given by Members, I have prepared a note and I will be giving it to the Minister of External Affairs for a detailed study. Thereafter, whatever future steps are to be taken has to be taken through the Ministry of External Affairs.

The entire House is aware that on the same night the hon. Prime Minister spoke to the Pakistan Prime Minister to convey our sorrow, and also express our solidarity to the people of Pakistan in the hour of crisis where 140 children were killed / massacred. I thought, Madam, speaking for myself, that after that incident there will be a change in the attitude of all the people, leaders, and various wings of administration including the Army in Pakistan, and they will be taking this as a beginning of uniting all the people against terrorism. Unfortunately, the indication has been otherwise, as rightly said by Shri Kharge, by releasing a person who is wanted in the 26/11 incident and against whom so much evidence is piling up every day. So, they have sent a wrong signal. Whether the House should pass a Resolution or ... (*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, we should pass a Resolution. ... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: So, I would appeal to the Chair to ask the Secretariat to draft a Resolution, and that can be approved once one or two leaders from the other side also see it. It is because the general mood is now very clear, and among the suggestions that have been given what are practical and what can be pursued by the Ministry of External Affairs as per our foreign policy, and the nuances of foreign policy also has to be kept in mind while moving further. So, we have no problem as far as a Resolution from the Government side is concerned.

I would request you to take any other business now, and once the Minister of External Affairs / hon. Prime Minister comes, they will intervene and make their submission and that will be better.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): But you have to stick to it.

माननीय अध्यक्ष: यह बहुत गम्भीर बात है और जिस तरीके से पूरे सदन ने, आप सब लोगों ने विचार रखे, मुझे लगता है कि एक प्रकार से पाकिस्तान में भी, वहाँ के भी पार्लियामेंट मेंबर्स और जनता में इसका एक मैसेज तो जाएगा ही। आप सबके साथ विचार करके एक रेजोल्यूशन रखेंगे। अब हम आगे बढते हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदया, बहुत ही अति गम्भीर मामला सामने है, स्वास्थ्य मंत्रालय में आरक्षण घोटाला चल रहा है और अखिल भारतीय रनातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय प्री-मेडिकल, प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित परीक्षा में दिया जाता है, लेकिन जो मेडिकल सीटें केन्द्र के कोटे से राज्य व केन्द्र स्तर पर हैं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण पिछले 6 वर्षों में एम.बी.बी.एस., एम.एस. और एम.डी. में क्रमशः 4,000 और 9,000 पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसके कारण पिछड़े वर्गों में भारी आक्रोश है। यह 27 परसेन्ट जो आरक्षण है, इसकी हकमारी हो रही है।

में माँग करता हूँ और सदन के जो माननीय सदस्य इसको मानने वाले हैं, वे माँग करते हैं कि जो लोग इस तरह से सामाजिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बिना कानून से डरे हुए इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंट्रेन्स एग्जामिनैंशन और ऑल इंडिया प्री मेडिकल, प्री डेन्टल इन्ट्रेन्स एग्जामिनैशन में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया जाए। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, यह आरक्षण घोटाला है। मैं मांग करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी यहां वक्तब्वय दें कि क्यों स्वास्थ्य मंत्रालय में और सभी जगह शिक्षण संस्थाओं में घोटाला हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही ठहराया था। ...(व्यवधान) शिक्षा कोर्स में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही ठहराया है लेकिन वेबसाइट पर दिए गए इंफॉर्मेशंस, बुलेटिन में बुद्धिमानी से 27 प्रतिशत रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। यह दुखद पहलू है। पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है। अन्याय करने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर हम सभी लोग एक हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और संबंधित मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण, जो केन्द्र से कोटा राज्य का है, उसमें कोई भी हकमारी नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन, श्रीमती रंजीत रंजन और श्री कौशलेन्द्र कुमार को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): I thank you, hon. Speaker for giving me the opportunity to clarify my position on an important issue. I will speak in my mother-tongue Punjabi.

Hon. Speaker, today, the entire august House has unanimously expressed its concern against the heinous and nefarious activities of terrorists. All the hon. Members have expressed their resolve to stamp out terrorism from our country.

Hon. Speaker, with your permission, I too had raised my voice in this House against terrorism. The people of Punjab had fought against terrorism. If these people are not given due regard, who will come forward to face these terrorists. These terrorists are responsible for the dastardly killing of over 35,000 innocent people including my grandfather Sardar Beant Singh, who was the Chief Minister of Punjab. Several top leaders of BJP including Hit Abhilashi, Vice-President of BJP and several RSS leaders were also killed in cold blood by these terrorists.

HON. SPEAKER: Do not mention the name of everyone. Kindly make your point.

SHRI RAVNEET SINGH: I am coming to the point. I would have been happy, if the party ruling Punjab would have condemned these terrorists but no member of this party is present in the House today.

Hon. Speaker, I had talked on 15th about the Golden Temple Complex. To talk about only Golden Temple is to take cover behind a technical point. Those, who killed Jathedar Gurcharan Singh Tohra and other innocent people, are being celebrated and lionized. A memorial has been built for those killers in the Golden Temple Complex.

HON. SPEAKER: Please do not mention others. Limit yourself to your own point only.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

SHRI RAVNEET SINGH: It is a very bad thing that a memorial has been built for these killers in the Golden Temple complex. Hon. Speaker, if a memorial should be built in the Golden Temple Complex, it should be in the memory of over 35,000 innocent Hindus, Sikhs and Muslims killed by the terrorists. If I have said something wrong, let the Home Ministry come out with a report in this matter.

I thank you, hon. Speaker, for giving me the opportunity to clarify my position on this issue.

12.54 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS .. Contd.

(ii) Re: Failure of the Government to introduce the Constitutional Amendment Bill on the India Bangladesh Land Boundary Agreement

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, as we have seen in the debate today on Pakistan, there is no political division in this House when it comes to our national interest. We are all unanimously committed to good relations with our neighbours and the protection of our security and safety. That is why, given the complications *vis-à-vis* Pakistan, the importance of strengthening our relations with our other neighbours, and in particular with countries that have become more friendly to us in recent years like Bangladesh, has to be emphasized.

Madam Speaker, as you are aware, in the year 2011, our Government concluded a protocol to the 1974 Land Boundary Agreement with Bangladesh. This was an extremely important issue. A signal to Bangladesh is desired to end a prolonged anomaly that had existed along our borders since 1947.

Madam Speaker, the new Government endorsed this agreement and both the Prime Minister and the External Affairs Minister made statements in its support. They declared in Bangladesh and also in India, that all that was remaining was for the Parliamentary Standing Committee on External Affairs

to clear the 119th Constitutional (Amendment) Bill in order to proceed to implement this agreement.

Madam Speaker, the Committee worked extremely hard to produce a unanimous report, in which even the parties that were previously opposed to this agreement, have changed their position and supported the Bill in the national interest.

This unanimous report was presented to the Parliament and yet, Madam, for three weeks, we have seen no action in this matter. As the Parliamentary Affairs Minister has mentioned, the President of Bangladesh is in Delhi. It is an embarrassment to our nation that apparently we are not proceeding so far with the matter, which is against our interests. The matter needs to be resolved. This is of utmost importance.

Madam Speaker, I would like to demand from the Government that they kindly explain to this House what their intentions are, the variance between the public statements and their refusal or failure to act so far in this matter and the importance they attach to such a matter. I also convey our appreciation to the Government of Bangladesh for their excellent cooperation with us on other matters, particularly on security matters. They have been arresting terrorists. They have been actually ensuring that attacks on our soil, particularly in Assam and elsewhere, do not take place and as a result, the need for us to reciprocate has never been greater.

I, therefore, call upon the Government to please provide an explanation to this House on their intentions in this matter because they have done so publicly outside the House.

HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, Shri Mullapaly Ramachandra, Shri P.K. Biju, Shri M.B. Rajesh and Mohammad Salim are permitted to associate with the matters raised by Shashi Tharoor.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I have taken note of the issue raised by Shashi Tharoor Ji. The Government is also in the know of things. What is going to be done, that we have already told the country. There is nothing happening behind the scene. The President of Bangladesh is here today. I will

convey this to our External Affairs Minister. As and when she finds it convenient, there will be some response on this issue.

श्री मनोहर उटवाल (देवास): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र देवास से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं - एक देवास से शिवपुरी वाया मकसी-शाजापुर-सारंगपुर तथा दूसरा राजमार्ग उज्जैन से कोटा वाया आगर-सोयत-सुसनेर। उज्जैन एक धार्मिक नगरी होने से इन दोनों हाईवेज़ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस नगरी में हर वर्ष धार्मिक मेले होने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। वर्ष 2016 में सिहस्थ का आयोजन होना है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उक्त दोनों हाईवेज़ जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं जिससे आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। आवागमन भी 24 घंटे दोनों हाईवेज़ पर चालू रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन खराब राजमार्गों का कार्य तत्काल प्रारंभ कर सिहस्थ से पूर्व पूर्ण कराने की कृपा करें तािक आम नागरिकों को इसकी किनाई से बचाया जा सके।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): अध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही घृणित कार्य हमारे देश में दिनों-दिन पनपता जा रहा है। एक तरफ हम मंगलयान की बात करते हैं, जमाना मॉडर्नाइज हो रहा है, लड़के-लड़िक्यां सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मानव तस्करी की दिन दूनी राज चौगुनी तरक्की की हो रही है। हमारे सत्यार्थी जी, नोबल पुरस्कार विजेता ने भी इस बात को कहा कि घरेलू काम-काज और वैश्यावृति का जो कारोबार है।

13.00hrs

अगर आप कम्पेरिजन करेंगे तो हमारे देश सबसे बड़ा कारोबार पनपता चला रहा है। अगर आप उसे रुपयों में तौलेंगे तो यह 21 लाख करोड़ रुपये का कारोबार देश में चल रहा है। यह हमारे देश की कुल जीडीपी का पांचवां हिस्सा है, जो इस कारोबार में लगा हुआ है। हर साल चार हजार बच्चे गुमशुदा होते हैं, जिसमें 11 हजार बच्चों का पता नहीं चलता, क्योंकि वह मानव तस्करी में चला जाता है। मोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेन्शन एक्ट, 1956 की चर्चा चल रही है, जिसमें वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं की सुख्शा का प्रावधान है। लेकिन हमारे समाज में कैंसर की तरह मानव तस्करी की जो जड़ें फैली हुई हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे कम किया जाए। मेरा क्षेत्र नेपाल, बिहार और बंगाल का बार्डर एरिया है। करेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार यह बच्चे और बच्चियों का सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग अड्डा बनता जा रहा है। खासकर बाढ़ के वक्त बच्चे गायब हो जाते हैं, जिनका कोई पता नहीं चलता। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें लोकल पुलिस से लेकर, प्रशासन से लेकर even some politicians are

involved. इसमें जो इन्वोल्व हैं, जिसके बारे में भी तस्करी का पता चले, उन पर सरकार द्वारा उस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र की एक विशेष समस्या के बारे में मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट कराना चाहता हूं। मकराना राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में संगमरमर उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान है। भारत में परबस्तर पशु मेले के लिए जाना जता है। दोनों शहरों के बीच 22 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। पहले रेलवे लाइन बिछी हुई थी, लेकिन मार्बल माइन्स आ जाने के कारण वह रेलवे लाइन दूसरी जगह बिछाई गई। राजस्थान सरकार ने 18 करोड़ रुपये खर्च किए, रेलवे लाइन एक साल से तैयार है, लेकिन उस पर रेल नहीं चलाई जा रही है। खदानों के कारण पुरानी रेल लाइन को बदला गया था, उसे अब नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जहां मार्बल खदानें नहीं हैं। अतः मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण रेल लाइन को जल्द चालू कराया जाए, परबसर के मजदूर मकराना में इस लाइन से काम करने आ सकें, आसपास के लोग भी आ जा सकें। इसलिए रेल चलाई जाए, इससे मजदूरों को भी लाभ होगा और लोगों को फायदा होगा। यहां डीईएमयू ट्रेन चला दी जाए जो दिन में पांच से सात बार चक्ककर लगाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, चार दिन से इंतजार के बाद आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला, उसमें भी नंबर पीछे आया। मैं सदन का ध्यान पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के काकीनारा स्थित टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हालत की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे पूर्वी भारत में एकमात्र टायर बनाने वाली कंपनी की हालत आज बेहद खराब है। करीब 120 रेगुलर कर्मचारियों और 650 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों वाले इस कंपनी को कोलकाता हाई कोर्ट ने नवम्बर, 2013 में वाइंड अप का आदेश दिया है और इसके सारे ऑफिसों को सील कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने हाई कोर्ट को चुकाने के लिए फंड की मंजूरी भी दी है तािक कंपनी दिवािलयेपन से बाहर आ सके। इसके बावजूद वहां के सभी कर्मचारियों को बिना वजह बर्खास्त कर दिया गया है। बकाये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और कर्मचारियों के परिवार भूखमरी के कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार और भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और सभी देनदारी का भुगतान किया जाए तािक कंपनी वाइंडिंग अप से बच सके। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कंपनी को तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए और सभी कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लिया जाए तथा उनके सभी बकाये का भुगतान अविलम्ब किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam Speaker, the All India Institute of Medical Sciences is known in the country. It is a premier institution. But this premier institution is also known for flouting the norms of reservation policy. It has also flouted the service rules. Various Committees have given recommendations to follow the system of rotation of Heads. Yet, AIIMS has not followed the recommendations of Committees like Javed Chowdhury Committee and Vaidyanathan Committee. Parliamentary Committee also held the same opinion.

In 2003, 164 recruitments were done in AIIMS where the reservation policy was not followed. The High Court interfered, yet AIIMS has not followed rules in respect of giving them seniority and casting the roster system. So, I urge the hon. Minister through you that in the name of autonomy, when Government has limited interference, it is not that they should flout the rules and victimize downtrodden or those who are children of lesser God.

Thank you very much.

HON. SPEAKER: Hon. Member Anupriya Patel is permitted to associate herself with the issue raised by Dr. Udit Raj.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रतन लाल कटारिया।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, hon. Prime Minister has come. As the entire House was feeling that the Prime Minister also should say something on this, a detailed statement will be made later by Sushmaji, I would request you to permit Prime Minister.

माननीय अध्यक्ष : कटारिया जी, आप प्रधान मंत्री जी की स्टेटमैंट के बाद बोलिए। वैसे आज आपका जन्मदिन है। आप सबके साथ थोड़ी देर सबके साथ बैठिए तो अच्छा रहेगा।

13.07hrs

PRIME MINISTER'S RESPONSE ON SUBMISSIONS BY MEMBERS RE: ALLEGED GRANT OF BAIL TO MASTER MIND BEHIND 26/11 MUMBAI ATTACK BY A PAKISTANI ANTI-TERROR COURT

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, बंगलादेश के राष्ट्रपति आज यहां हैं तो मैं उनके साथ मीटिंग में व्यस्त था। आज सदन ने पाकिस्तान में जो तत्कालीन घटना घटी है, उसके विषय में एक स्वर से चिंता जतायी है, निंदा जतायी है। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान से कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया है, उन्हें मैसेज पहुंचाया है। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी-अभी उनके यहां जो भयंकर घटना घटी है, बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ है, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रती भर कम नहीं हुई है। हिन्दुस्तान के हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिन्दुस्तानी की आंख में आंसू है। उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गयी है। सदन ने जो भावना व्यक्त की है, उस भावना का आदर करते हुए सरकार की आगे की गतिविधियां उसी संदर्भ में रहेंगी, उसी प्रकाश में रहेंगी। मंडे को विदेश मंत्री जब बंगलादेश के राष्ट्रपति जी की, आज की व्यस्तता से मुक्त होकर सदन में विस्तार से अपना बयान देकर सदन और देश को अवगत करायेंगी।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अम्बाला संसदीय लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत अम्बाला छावनी में साइंस उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूं। अम्बाला का साइंस उद्योग न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर भी जाना जाता है। यहां बन रहे माइक्रोस्कोप उपकरण विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राइमरी संस्थानों तक की प्रयोगशालाओं में यहां से साइंस का सामान जाता है। परन्तु पिछले छः दशकों से सरकार की उपेक्षा के कारण यह क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है, जिसका देश में ही नहीं, बिल्क सारी दुनिया में सकारात्मक संदेश जा रहा है। भारत का युवा आज भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाना चाहता है। अम्बाला छावनी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं मांग करता हूं कि अम्बाला को साइंस सिटी घोषित किया जाए। यहां साइंस पार्क बनाया जाए और कलस्टर सिस्टम लागू किया जाए। अम्बाला को साइंस सिटी बनाए जाने से न सिर्फ देश में साइंस और टेक्नोलाजी को बढ़ावा मिलेगा बिल्क यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी विदेशी मुद्रा को भारी मात्रा में आकर्षित करेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विषय में तुरंत घोषणा की जाए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही सेंसटिव विषय पर सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन द्वारा मार्च 2008 में जारी रिपोर्ट के अनुसार केवल 42 परसेंट लोगों को ही सब्सिडाइज्ड अनाज प्राप्त होता है। देश में 4,78,000 राशन की दुकानें हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद गरीब लोगों को सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराना है। आज स्थिति यह है कि ये राशन की दुकानें लोगों को लाभ पहुंचाने से ज्यादा डिपो धारकों की काली कमाई का साधन बनती नजर आ रही हैं। एफसीआई द्वारा मिलने वाले राशन को बहुत से डिपो धारक निम्न श्रेणी और कम गुणवत्ता वाले राशन से बदलकर जमाखोरी कर लेते हैं और इस राशन को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। इसके साथ ही बहुत से डिपो धारकों पर बोगस कार्ड बनाने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार पीडीएस सिस्टम पर अर्बन बेस्ड होने के आरोप भी लगते रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इनकी सेवाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए प्रबल प्रबंध नहीं है। 1960 से पहले, हरित क्रांति से पूर्व अनाज की कमी थी लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त अनाज है। अनाज गोदामों की संख्या और क्षमता के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल के नाम से एक योजना बनाई गई थी जिसमें गरीबों के राशन कार्ड बनने थे लेकिन कार्ड भी नहीं बने। उनको कहा गया था कि सब्सिडाइज्ड पैसा एकाउंट में आ जाएगा। मेरा कहना है कि न तो अभी तक पैसा आया है और न ही राशन मिल रहा है। दुकानदार राशन को ब्लैक में बेच रहे हैं। मेरी मांग है कि कोई ऐसी एजेंसी डिप्यूट होनी चाहिए जो विजिलैंट करके छापे मारे और दुकानदारों के खिलाफ एक्शन ले ताकि गरीब लोगों को राशन मिल सके। दिल्ली में 25 लाख झुग्गियों में लोग रहते हैं, उनके लिए राशन की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष जी, पूना रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल में 27 जुलाई, 1925 को बना है। पूना रेलवे स्टेशन से लगभग 150 एक्सप्रैस, मेल और 44 लोकल ट्रेन चलती हैं। इनमें लगभग रोजाना 1,50,000 लोग यात्रा करते हैं। पूना रेलवे स्टेशन से मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु राज्यों को ट्रेनें जाती हैं। पूना से लोनावाल, तलेगांव दौंड के लिए उपनगरीय रेल सेवा भी चलती है। पूना रेलवे स्टेशन पर इतने अधिक यात्री होने के बावजूद छः प्लेटफार्म और आठ ट्रैक बने हैं। पूना के साथ पिंपरी चिंचवड शहर है। वर्तमान में पिंपरी चिंचवड की जनसंख्या 22 लाख से अधिक है। पिंपरी चिंचवड में आकुर्डी रेलवे स्टेशन है, अगर यहां जंक्शन बना दिया जाए तो पूना रेलवे स्टेशन का भार कम हो जाएगा और यात्रियों को भी सुविधा होगा। आकुर्डी में जंक्शन बनाने हेतु राज्य में संबंधित संस्था के पास जमीन भी उपलब्ध है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पूना रेलवे स्टेशन पर जरूरी विकास करने संबंधी आवश्यक कदम उठाए जाएं एवं आकुर्डी रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाए जाने हेतु जरूरी कार्यवाही की जाए।

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Hon. Speaker Madam, I would like to draw your kind attention to the much needed railway line between historical holy towns of Bidar in Karnataka and Bodhan in Telangana. There is an urgent need to take steps for railway projects in my Zaheerabad constituency in the State of Telangana. In this connection, I may be permitted to state that districts of Medak and Nizamabad are very important districts of Telangana and there are no proper transport facilities in Telangana State in general and for the people travelling between Bidar and Bodhan in particular, even though there has been demand for the same from the local people for a long time.

The State of Karnataka being adjacent to Telangana, people of Karnataka mostly prefer to visit Hindu temples in the nearby places of Telangana. They have also been agitating for train facility from Bidar to Bodhan. Further, there is no proper rail connectivity for the above places and there is no cherished land signified for other transportation facilities. In view of the demand of the local people for train connectivity, especially the people of Bidar and Bodhan, I would request the Government to take up the new line for sanction and allocate adequate funds for the project, since the area has been neglected for years. Hence, I request the hon. Railway Minister to take necessary steps to provide required budget for this railway project.

SHRI R.P. MARUTHARAJAA (PERAMBALUR): First of all, I would like to thank the hon. Speaker for giving me an opportunity to place my request in this prestigious House on behalf of the people of my Constituency of Perambalur. I humbly submit my profound thanks to the Tamil Nadu Makkalin Mudhalvar, Dr. Puratchi Thalaivi Amma.

In my constituency, small onion cultivation is more. There are already small cold storages are available, but they are not sufficient. So, I request you

to kindly set up modernized cold storage units at Chettikulam, Amapalayam, Esanai and Alathur.

Likewise, banana is also cultivated more in my Constituency. To protect and preserve, I request the Government to set up cold storage units at Kulithalai, Tottiyum, Serugambur and Lalgudi in my Constituency.

Similarly, I urge the Government to set up cold storage units to store and process betel leaves at Balasamuthram and Ammur. Thank you.

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारतीय रेल हमारे देश की शान है। आज हम पैलेस ऑन व्हिल्स जैसी गाड़ियाँ चलाकर उसमें पाँच सितारा होटल जैसी सुविधाएँ दे रही हैं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने सालों के बाद भी हम भारतीय रेल में आपातकालीन समय में मरीजों के लिए प्राथमिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भारतीय रेल के प्रत्येक ट्रेन में, खासकर लंबी दूरी की ट्रनों में एक एम्बुलेंस कोच उपलब्ध कराया जाए, जिसमें आठ बेड तथा ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो, तािक आपातकालीन समय में मरीजों की जान बचायी जा सके और उन्हें ट्रेन में ही प्राथमिक उपचार दिया जा सके। इसी तरह प्रत्येक बड़े स्टेशनों पर भी इन सुविधाओं से लैस क्लिनिक खोले जाएँ, तािक मरीजों के स्टेशन पर उतरते ही प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर तुरंत इलाज के लिए बड़े अस्पताल में ले जाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा उठाये गये विषय से श्रीमती संतोष अहलावत को संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I would like to draw the attention of the House to this issue. In West Bengal, stretching from Jalpaiguri to Darjeeling Districts, there are 273 tea gardens where more than 11 lakh plantation labourers used to live for generations. Now, they are subjected to death and destitution because the tea gardens have virtually been turned into an enclave of poverty and penury.

Since 2002, more than 1000 plantation workers have lost their lives due to starvation. Since January this year, 100 people died of malnutrition. Already the Labour Department of West Bengal conducted an exhaustive survey on the plight of the tea garden workers. It has been found that – I am seeking your

indulgence from you, only to refer to the report of the Labour Department – 87 tea estates could not provide registration certificate or number under the Plantation Labour Act. Secondly, 116 tea estates have been run by different managements in the last ten years. Some of these estates are run by promoters who do not care for long-term development of plantation. Thirdly, 175 estates do not have Labour Welfare Officers. Fourthly, 41 tea estates did not deposit money towards PF contribution in 2012-13. In 46 estates, the total PF dues as part of workers' contribution are Rs.17.14 crore; in 55 estates, the dues as part of management's contribution amounted to Rs. 33.79 crore. Lastly, eight estates have not paid wages to workers. In 35 estates, workers are yet to be paid wage-arrears as per the last wage settlement.

I would urge upon the Minister of Commerce to take immediate steps to carry out appropriate amendment to the Act to enable the State Government, not only to take over the tea plantations that are not being run properly, but also to take stringent actions against those owners who indulge in fraudulent activities, in order to protect the interests of poor workers. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri S.S. Ahluwalia is permitted to associate with the above issue.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्षा जी, भारत-नेपाल सीमा के सीमांकन के लिए, पत्थर के पिलर लगाए गये थे, लेकिन बहुत से पिलर असामाजिक तत्वों द्वारा उखाड़ दिये गये हैं। इससे दोनों देशों के बीच बसे लोगों में भूमि विवाद की समस्या आ रही है। भारत की सुरक्षा के लिए, नेपाल सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं, लेकिन फिर भी आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में कठिनाइयां आ रही हैं। दोनों देशों के मध्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध काफी गहरे हैं। भारत की सुरक्षा एवं सीमांकन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जहां पिलर तोड़े गये हैं, वहां नये पिलर लगाए जाएं। बोर्डर के खुले होने के कारण आपराधिक तत्वों की घुसपैठ होती है, इसलिए कंटीले तारों से उसे घेरा जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे एवं श्री दद्दन मिश्रा जी को पंकज चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री किपल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : अध्यक्ष महोदया, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में भिवंडी शहर है, जहां टैक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार है और यह स्थान मुम्बई से 50 किलोमीटर की दूरी पर है।

भिवंडी देहात टैक्सटाइल का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। इसके चलते मुम्बई या अन्य शहरों से हजारों व्यापारी काम के सिलिसले में भिवंडी प्रवास करते हैं। साथ ही साथ भिवंडी से भी उतने ही लोग टैक्सटाइल के व्यापार के लिए मुम्बई के लिए प्रवास करते हैं, लेकिन वहां रेल की कोई सुविधा नहीं है। दिवा-पनवेल रेल चलती है और उसी ट्रैक के ऊपर भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन है। रेल नहीं होने की वजह से रोड पर भारी यातायात रहता है, जिसके कारण हफ्ते में तीन दिन जाम लगा रहता है। अगर मुम्बई से भिवंडी तक डायरेक्ट लोकल रेल सेवा शुरु कर दी जाए, तो लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार में भी वृद्धि होगी।

अतः मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती है कि जल्दी से जल्दी इस ट्रैक के ऊपर लोकल सेवा शुरु की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कमलेश पासवान एवं श्री देवजी. एम. पटेल को कपिल पाटील जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 (बी), जोकि मेरठ से शुरु होकर सोनीपत, खरखौदा, सांपला, झज्जर, चरखी-दादरी से लुहारु तक जाएगा, का मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह मार्ग केवल हरियाणा ही नहीं, वरन् उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के लोगों की सुविधा से सीधा जुड़ा हुआ है। यह राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर जाता है तथा इन प्रदेशों के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ इन शहरों के बाईपास का प्रावधान भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग में है।

महोदया, यह सत्य है कि राजमार्ग के साथ-साथ विकास चलता है। पिछले दस वर्षों के दौरान, हिरयाणा में राजमार्गों का जो रिकार्ड निर्माण हुआ है, उससे प्रत्यक्ष विकास को होते हुए देखा जा सकता है। ठीक एक साल पहले मैंने इस राजमार्ग संख्या 334 (बी) की मांग रखी थी और यूपीए सरकार के कार्यकाल में, 4 मार्च 2014 को यह अधिसूचित भी हो गया था। मगर मुझे आश्चर्य है कि नयी सरकार ने अभी तक इसके निर्माण के लिए, किसी धनराशि का आबंटन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि नयी सरकार विकास परियोजनाओं को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखेगी।

महोदया, राजमार्ग बनेंगे, तो क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा तथा यातायात सुरक्षित और व्यावहार्य होगा। इसलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन प्रदेशों की जनता के हित में तत्काल प्रभाव से, इस राजमार्ग के निर्माण के लिए, उचित धनराशि का प्रावधान करें। धन्यवाद।

13.25 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS ...Contd.

(iii)Grant of bail to the mastermind behind 26/11 Mumbai terror attack by a Pakistani anti-terror court

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): आदरणीय अध्यक्षा जी, माननीय खड़गे जी ने और अनेक माननीय सदस्यों ने, इस मामले को यहां उठाया था। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं आकर के अपनी प्रतिक्रिया से सदन को अवगत करा दिया है। हमने इस बीच क्या किया है, उसका विवरण मैं आपकी अनुमति से सदन में रखना चाहती हूं।

आदरणीय अध्यक्षा जी, इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने लश्कर-ए-तयैबा के ऑपरेशनल कमांडर और घोषित अंतर्राष्ट्रीय आंतकवादी को इस्लामाबाद की आतंकरोधी अदालत द्वारा जमानत पर छोड़े जाने संबंधी समाचार को सदन में उठाया है।

में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने अपना रुख़ बहुत ही स्पष्टता से रख दिया है। जैसे ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को ज़मानत दिए जाने का समाचार मिला, उन्होंने तुरन्त ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में हमारे रुख़ से अवगत करा दिया और बता दिया कि हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि लश्कर-ए-तौयबा के ऑपरेशनल कमांडर ज़क़ीउर्रहमान लख़वी, जो मुम्बई में हुए आतंकी हमने का मास्टर माइंड है और जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, को ज़मानत पर छोड़ा जाए। हम इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि उस पर और उसके साथ इस साजिश में सह शामिल अन्य लोगों पर मुकद्मा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हम बिना शक़ यह कह सकते हैं कि मुम्बई पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गयी थी। इसका वित्तपोषण और आतंकवादियों को परीक्षण भी वहीं दिया गया था। इसके 99 प्रतिशत सुबूत पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और पाकिस्तान की जांच एजेंसियों के पास इसके सुबूत इकट्ठा करने के लिए छः वर्ष का समय था और उनका यह दायित्व था कि उन सुबूतों को पेश करके अपराधियों को सज़ा दिलवाएं।

अध्यक्ष जी, सदस्यों को यह विदित है कि दो दिन पूर्व ही पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल पर बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 132 बच्चों को और 9 अन्य लोगों को बेरहमी के साथ क़त्ल कर दिया गया था। हमने उन परिवारों के दर्द को महसूस किया था, जिनके प्रियजन इस क़त्लेआम में मारे गए थे। उस दिन, अध्यक्ष जी, अबोध बच्चे ही नहीं मारे गए थे, बल्कि मानवता के अंश ने दम तोड़ दिया था। लेकिन लख़वी को बेल देकर पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी गुटों के ख़िलाफ़ बिना शक़ और बिना भेद के लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता का मज़ाक उड़वाया है। इस कृत्य से

ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है, जिन्होंने पेशावर में हाल ही में हमला करने का जघन्य अपराध किया है। इससे उन्हें अबाध्य रूप से अपने कुकृत्य को जारी रखने का मौका मिलता है।

अध्यक्ष जी, हम पाकिस्तान की सरकार से मांग करते हैं कि वह तुरन्त इस निर्णय को बदलवाए और अभी हम पाकिस्तानी अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय को शून्य काल में उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदया, झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सिंहभूम में कोलहान क्षेत्र एक एजुकेशन हब बने, इसके लिए कोलहान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, इसके लिए मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में कोलहान विश्वविद्यालय स्थापित है। झारखण्ड और कोलहान आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आदिवासियों के बीच में जो साक्षरता की दर है, विकास की दर है, वह बहुत कम है। इसके लिए कोलहान क्षेत्र में आदिवासी और अति पिछड़ी जाति को बेहतर एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए कोलहान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि झारखण्ड राज्य में जो साक्षरता का माहौल बनाना है और आदिवासियों के बीच में तीव्र शिक्षा का विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि कोलहान विश्वविद्यालय, जो कि आदिवासी क्षेत्र में स्थापित है, इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा - उपस्थित नहीं।

श्री राम प्रसाद सरमा - उपस्थित नहीं।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam, I thank you for giving me this opportunity. I would like to request you to give me just two minutes time and let me complete my submission. I am also fortunate that the hon. Prime Minister is also present in the House. This is an issue of national importance.

This is about the agricultural sector of India. The number of people who are dependent on agricultural income is far higher than the agricultural contribution towards the GDP. With rapid urbanisation there is a lot of agricultural labour who is moving from the rural sector to the urban

sector. Also, schemes like MGNREGA have increased the daily wages of the labour and also agriculture has become so unproductive that the daily wages for the agriculture labour has decreased. Due to this, around 200 million labourers from the agricultural sector is supposed to move to the industrial, urban and service sector within the next ten years. So, the agricultural sector is losing a lot of labour force.

To compensate this, Madam, I request the Government of India to introduce machanisation and technology in the agricultural sector.

There are some problems in machanisation also. There are a lot of hurdles there also. The farmers today are having very little land holdings. So, it is very expensive for them to buy machines. They are unaware and uneducated about technological products and machanisation practices used in the agricultural sector.

So, I request the Government of India and our hon. Prime Minister on this matter because this is a crisis which the Government will face in the next few years if they do not take proactive steps in this area. I request you to offer a smooth transition from the agricultural labour to machanised implementation of agricultural techniques.

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी): माननीय अध्यक्षा जी, यह लोक महत्व की बात है। माननीय रेल मंत्री जी यह बताएं कि मेरे लेक सभा क्षेत्र घोसी में दिनांक 04-12-14 को खोराट रेलवे स्टेशन के पास मानव रहित क्रॉसिंग पर जो हादसा घटित हुआ जिससे छ स्कूली बच्चों की मौत हुई व दर्जनों घायल हो गये, ऐसे ही देश में मानव रहित क्रॉसिंगों की जापान देशों की तर्ज पर क्या ऑटोमैटिक क्रॉसिंग बनाने की सरकार की कोई योजना है जिससे देश में मानव रहित क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके?

SHRI K.R.P. PRABAKARAN (TIRUNELVELI): Madam Speaker, "Vatradha

Jeeva Nathiyaam Engal Thamirabarani Nathi".

I wish to raise a matter which is of public importance. The Government should take efforts on a war footing to stop the sewerage entering the holy river, Thamirabarani which is in my constituency, Tirunelveli, Tamil Nadu.

In this regard, I urge upon the Union Government and the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to allocate adequate funds for cleaning and saving this holy river, Thamirabarani.

Herewith, I register my sincere gratitude to the people's former Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma for giving me this opportunity to represent the people of my constituency.

Thamirabarani is one of the perennial rivers in Tamil Nadu which originates from Pothigai hills on the eastern slopes of Western Ghats. Thamirabarani is a symbol of Tamil culture, civilization and an identity to Tirunelveli which is in the far South of India. The natural beauty of Tirunelveli is that this river runs through the centre of the city of Tirunelveli. The water of this river gives a sweet taste and quenches the thirst of the people of Tirunelveli. Its water is used for drinking, irrigation, fishing and electricity generation. This river is having a number of canals, dams and reservoirs. Besides fulfilling drinking water requirements of three districts of southern Tamil Nadu, this river facilitates irrigation 82,000 acres of land.

Of late, Thamirabarani River is greatly polluted due to rapid industrialization on its banks including pulp, paper, textile, various workshops and various small scale industries leading to the discharge of untreated effluents with human and animal wastes as well. The survey conducted at various canals of Thamirabarani River reveals that arsenic, chemical and pollution levels are extremely higher than the permissible limits. Further, the presence of amala plants in the canal greatly absorbs the oxygen leading to death of living things.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, the Central Government issued a circular on 14.10.2014 imposing 12.36 per cent service tax on NRI remittance fees paid for distributing money sent to the NRI families. This Circular was issued in reversal of the earlier circular issued by the same authorities in July, 2012 which clarified that no service tax will be levied on NRI remittance fee/commission. This new Circular is unfair to NRI community in Kerala and in other parts of the country. This promotes black

money/hawala transactions and hence a need to be withdrawn. The Central Board of Excise and Customs *vide* its Circular dated 14th October, 2014 has suggested to levy service tax on NRI remittance fees by reversing its own earlier Circular.

The effect of the new Circular is that the NRI remittances related service fee will now come under the Service Tax levy at 12.36 per cent with immediate effect, which was earlier outside the Service Tax net.

Considering the importance of migrant remittances in the economic development of a country, none of the developing and developed countries, levy any tax on services related to migrant remittances. Service Tax levy on banking and money transfer related service provided to the NRIs would increase the cost of sending money, as the banks and money transfer agencies would either recover this extra cost from the NRIs or deduct such cost from the amount to be remitted to the nominee in India. However small is the extra cost, this will affect the majority of the NRIs who are low income workers. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh and Shri P.K. Biju are allowed to associate with the matter raised by Shri K.C. Venugopal.

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र कच्छ जिला एक लघु भारत है, वहां पूरे भारत के सभी राज्यों के लोग निवास करते हैं। और मेरे क्षेत्र के लोग भी देश के अन्य राज्यों में निवास करते हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र के ज्यादातर लोग महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में बसे हुए हैं और व्यापार से जुड़े हुए हैं। इसलिए कच्छ और मुम्बई के बीच चलने वाली ट्रेन में यात्रियों की बहुत भारी भीड़ रहती है और लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में कच्छ-मुम्बई के बीच सिर्फ दो ट्रेने प्रतिदिन चलाई जाती हैं - सयाजी एक्सप्रैस और कच्छ एक्सप्रैस। इसके अलावा एक ए.सी. एक्सप्रैस ट्रेन सप्ताह में तीन चलाई जाती है और बांद्रा-गांधीधाम ट्रेन मोरबी होकर सप्ताह में एक बार यानी वीकली चलाई जाती है और भूज-दादर ट्रेन वाया पालनपुर सप्ताह में दो बार चलाई जा रही है।

महोदया, समग्र कच्छ जिले के लिए ट्रेनों की संख्या काफी कम है। अतः मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ए.सी. एक्सप्रैस ट्रेन सप्ताह में तीन बार चलाई जाती हैं, वह ट्रेन प्रतिदिन

चलाई जाए और भुज-दादर ट्रेन का कच्छ में पूर्व क्षेत्र के स्टेशन आदेसर, पदमपुर, चित्तौड़ में से किसी एक गांव में हाल्ट दिया जाए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भी ट्रेन की सुविधा का लाभ मिले और रेल ट्रैफिक की समस्या का भी हल हो। धन्यवाद।

SHRI SURESH C. ANGADI (BELGAUM): The judgement given by a court in Pakistan only shows that Pakistan has not learnt any lesson still. The whole House expressed unanimity in asking for a Resolution condemning the judgement of the court. Only day before yesterday, 132 children, including their teachers, were massacred there. But today the whole world has focussed its attention on Pakistan. It is a land of terrorism. The hon. Prime Minister as well as the hon. Minister of External Affairs have made a statement in the House. We are united in eradicating terrorism from the entire world, which is against the man-kind.

So, at this juncture, once again I condemn the judgement of the Pakistan court. I conclude by saying that Pakistan should be taught a lesson. Thank you. SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Hon. Speaker, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Railways to a serious situation of occupation of railway land around the Western and Central Railway tracks in Mumbai region. Thousands of families are staying there for many decades. The third generation of these families are now residing there in slums and carry necessary Government documents as proof. Most of these slums got registered with the Government of Maharashtra as a cooperative housing society thereby gaining legal entity. Most of these slums have been provided with basic facilities, such as electricity, water supply connections, toilet blocks, etc. and regularised them as slums. The members of these families possess all Government documents as proof, like the Aadhar Card, Voters Card, PAN Card, Ration Card, etc. of their respective addresses where they live.

Since the land belongs to the Railways, the State Government of Maharashtra is not able to develop it under the SRA Act. The families putting up their used to approach and request the local representatives, MPs and MLAs to seek permission from the Government for re-development of the slums,

providing houses as per the SRA standards in the same land. The present living conditions of these families are sub-human and needs a benevolent look from the Government side.

This rehabilitation issue needs to be compassionately considered on humanitarian grounds and offer a solution so that the slums can be developed and these families can be provided with basic, decent and clean dwellings. In this connection, I urge upon the hon. Railway Minister to consider their rehabilitation with sympathy and make out a solution for providing them basic amenities and improve their living. Thank you.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): अध्यक्ष महोदया, भक्तिशिरोमणी मीराबाई के पद और उनकी कृष्ण भिक्त देश भर के ऐसे अनेक सूत्रों में से एक है, जिसने इस देश को अखण्डता और एकता के सूत्र में बांधा है। माननीय अटल बिहारी वाजपयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश भर को छह एम्स की सौगात दी थी। उसमें से एक एम्स जोधपुर को भी मिला था। महोदया, जब उस एम्स का शिल्यान्यास हुआ था, तब यह तय किया गया था और उस शिल्यान्यास पिट्टका पर यह लिखा गया था कि इस एम्स का नामकरण भक्त शिरोमणी मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर होगा जो आज भी उस पिट्टका पर लिखा हुआ है। लेकिन राजनीतिक विद्वेश के चलते जब इस एम्स का उद्घाटन हुआ, उस वक्त भक्तशिरोमणी मीराबाई नाम उसमें से हटा दिया गया और उसका नाम सिर्फ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर कर दिया गया। मैंने पूर्व में भी माननीय चिकित्सा मंत्री जी को इसके लिए पत्र लिखा था। मैं पुनः आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इसके लिए आकृष्ट करते हुए, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बारे में तुरंत कार्यवाही हो तािक लाखों लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, उनको राहत मिले और भक्त शिरोमणी मीराबाई जी के नाम से एक बार संस्थान बनने के बाद से उनका जो नाम हटाया गया है, उसको तुरंत दुरस्त किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.आर. चौधरी एवं श्री देवजी एम. पटेल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसे लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदया, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं, इस देश के मानबिंदु हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने की सीख छत्रपति शिवाजी महाराज ने हम सबको दी है। लेकिन एनसीआरटी की सातवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ठीक तरह से लिखा नहीं गया है। उस पुस्तक में छत्रपति शिवाजी महाराज का मेंशन सिर्फ दो या तीन लाइन में किया गया है। यह बड़ी गंभीर बात है। इस देश के आम युवाओं की प्रेरणा का स्त्रोत के रूप में

छत्रपति शिवाजी महाराज को हम देखते हैं। इसलिए इस जीवन चरित्र को विस्तृत रूप से एनसीआरटी की पाठ्य पुस्तक में शामिल करने की कृपा करें।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I want to speak regarding the re-assessment, restructuring and revival of the Controller of Stationery, Government of India Stationery Office under the Ministry of Urban Development.

In the year 1987, there was a move to wind up this Department. Thereafter, steps were taken. Ultimately, the Government had taken a decision on 7th January, 2009 on the basis of a recommendation of the Standing Committee to examine and to continue with this Department. That was the Government decision on the basis of the recommendation of the Standing Committee. Thereafter, the Secretary of the Department also recommended that this particular Department should be merged with the Ministry of Commerce. But, unfortunately, now one Joint Secretary in September, 2014 has sent a recommendation to wind up this particular Department.

Madam, the hon. Minister is also here. Through you, I just make a request to him not to wind up this Stationery Office under the Ministry of Urban Development at Kolkata. Since a decision was taken earlier to continue with it, let it continue. If at all it is necessary, merge it with the Ministry of Commerce, not to wind up.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी जब नेपाल के दौरे पर गए और उसके बाद नेपाल के जितने लोग यहां पर मिलने आए, सबने उनकी तारीफों के पुल बांधे और भारत और नेपाल के रिश्तों में जो संबंध और मधुर हुए हैं, मज़बूत हुए हैं, उनकी प्रशंसा की है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जब नेपाल की एक महिला और वहां के एक सांसद मुझ से मिलने आए। उस महिला का इकलौता बेटा नैनिताल के शेरवुड स्कूल में पढ़ता था। चार दिन तक बीमार रहने के बावजूद वे उसको अस्पताल लेकर नहीं गए। उसने स्कूल अथॉरिटी से बार-बार कहा कि मुझे अस्पताल ले चिलए, लेकिन वे उसको अस्पताल लेकर नहीं गए। जब उसे अस्पताल लेकर गए, तो उसकी जान चली गई और उनका इकलौता बेटा चल बसा। वह माँ उत्तराखंड के नैनीताल भी गई, वहाँ पर धरना-प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से मिले, दिल्ली में आये तो यहाँ पर कई लोगों से मिले। उसके बाद

मेरठ जाकर वे उनके बिशप से मिलने भी गयीं, लेकिन उसको न्याय आज तक नहीं मिल पाया है। लाखों रूपए खर्च करने के बाद लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं और वहाँ पर बच्चों की सेहत को देखने के लिए केवल एक डॉक्टर भी स्कूल में नहीं है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो हेडमास्टर हैं, वे उस बच्चे की देखभाल के लिए उसे अस्पताल तक नहीं ले जा पाए। उस माँ को, जिसका इकलौता बेटा चल बसा, क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? क्या वहाँ की स्थानीय सरकार उस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या स्कूल की अथॉरिटीज ने अब तक कोई ऐसा कदम उठाया है कि भविष्य में उस स्कूल के बच्चे की या किसी भी बोर्डिंग स्कूल के बच्चे की जान न जाए? उस दिशा में कोई कदम उठाया जाए, ताकि नेपाल की उस माँ को भारत में इंसाफ मिल पाए। मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय टम्टा अपने आपको श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): महोदया, आपने किसानों से जुड़े हुए एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, मैं बिहार राज्य से चुनकर आता हूँ। वहाँ एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है, जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। इस सिंचाई परियोजना के काम को शुरू हुए 40 साल हो गए हैं, हजारों करोड़ रूपए अभी तक खर्च हो गए। लगभग सात-आठ हजार हेक्टेअर जमीन किसानों से लेकर नहरों को बनाने के लिए खोद दी गई, लेकिन अभी तक यह सिंचाई परियोजना अधूरी है। वर्ष 2007 में यूपीए की तत्कालीन सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इस सिंचाई परियोजना के कुटकु डैम में स्लुईस गेट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ डैम तो पूरी तरह से बना हुआ है, लेकिन उसमें जल-जमाव नहीं होता तािक पानी सिंचाई के काम में आ सके। सवा लाख हेक्टेअर जमीन की सिंचाई करने वाली यह परियोजना है, जिससे झारखंड राज्य के पलामू और बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की सवा लाख हेक्टेअर जमीन की सिंचाई होगी। पाँच लाख किसान परिवार इससे प्रभावित हैं। इस परियोजना से 25 मेगावाँट पनिबजली भी तैयार होगी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह प्रश्न रखते हुए भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा, माँग करूँगा कि वर्ष 2007 में जो प्रतिबन्ध वन पर्यावरण मंत्रालय ने कुटकु डैम में फाटक लगाने पर लगाया है और यह शर्त रखी है कि जब तक 6,203 हेक्टेअर जमीन राज्य सरकार वनीकरण के लिए नहीं देगी, तब तक यह प्रतिबन्ध नहीं हटाया जाएगा, किसानों के हित में जो पूरा का पूरा इलाका वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है, खेतिहर मजदूरों के हित में मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि यह जो प्रतिबन्ध फाटक लगाने पर लगा है, उसे हटाया जाए, तािक डैम में पानी जमा हो सके और वह पानी सिंचाई के काम आए।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। **माननीय अध्यक्ष :** श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी - उपस्थित नहीं।

श्री हरीश मीना जी - उपस्थित नहीं।

मान साहब, आप क्या विषय उठाना चाहते हैं, बताइये।

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, बहुत भारी संख्या में भारतीय विदेशों में बसते हैं, विदेशों में रहते हैं। जब वे अपने-अपने काम के लिए, जैसे ओ.सी.आई. कार्ड के लिए, वीजा लेने के लिए या अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में जाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कतों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनको प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं किया जाता, उनको जानकारी नहीं दी जाती या जो जानकारी दी जाती है, वह आधी-अधूरी होती है। हर रोज स्पेन से, बेल्जियम से, हालैंड से, फ्रांस से, सऊदी अरब से, यू.ए.ई.से, आस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड आदि जगहों से हमें फोन आते हैं कि दूतावास के अधिकारी उन्हें प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं करते हैं।

में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि विदेशों स्थित दूतावासों के अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी जाएँ कि भारतीय नागरिकों को अच्छी सर्विस दें, चाहे वीज़ा की हो, पासपोर्ट की हो या ओसीआई कार्ड की हों, ताकि उनको भारत की यात्रा करने में या दस्तावेज़ों में कोई दिक्कत महसूस न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो भावनाएँ व्यक्त की थीं, उन पर आपस में चर्चा करके हमने एक प्रस्ताव बनाया है। आप सदन की ओर से इसको सर्वसम्मति से पारित करवाएँ।

माननीय अध्यक्ष: भेज दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): अध्यक्ष महोदया, भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। एक सदन लोक सभा का है, एक राज्य सभा का है, एक सदन विधान सभा और विधान परिषद् का है और एक सदन जो ग्राम स्वराज में गाँव सभा की ईकाइयों का है, सबकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और सबका अपना-अपना उत्तरदायित्व है चाहे वह लोक सभा के सदस्य के रूप में हो या विधान सभा के सदस्य के रूप में हो या गाँव सभा के मुखिया के रूप में हो। लेकिन एक ईकाई क्षेत्र पंचायत की है जिस क्षेत्र पंचायत का चुनाव 3000 के ऊपर की आबादी का होता है, उन्हें केवल ब्लाक प्रमुख या मुखिया के वोट देने के सिवाय, न उनकी कोई सहभागिता है, न उनका कोई उत्तरदायित्व है। मैं समझता हूँ कि इस पर पूरा सदन सहमत होगा कि क्षेत्र पंचायत ईकाई जो है, उसके सदस्यों की भी कोई भूमिका होनी चाहिए, यह मांग मैं आपके माध्यम से करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आपने विषय बदल दिया है तो बोलिये। एक मिनट में अपनी बात रखिये। ज्यादा समय न लें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैडम, मेरा तो नाम आया था।

माननीय अध्यक्ष: मुझे मालूम है, लेकिन सब्जैक्ट दूसरा था।

प्रो. सौगत राय: दो मिनट तो दीजिए।

Madam Speaker, I would like to speak on the Goods and Services Tax in the 'Zero Hour'. We saw in the newspapers that the Constitution Amendment Bill on Goods and Services Tax has been passed by the Cabinet. But it was not according to the agreement reached in the Empowered Group of State Finance Ministers. The West Bengal Finance Minister has written to the Chairman of the Empowered Committee that all the Finance Ministers were not aware of what has been the Cabinet decision. Only the Finance Ministers of Gujarat and Punjab, and the Chairman of the Committee were consulted.

Our demand is that the State should be adequately compensated before the Goods and Services Tax, on which the Government is naturally very keen, is passed; otherwise it will be an attack on federalism in the country. I bring this to the notice of the Prime Minister that Goods and Services Tax should not be introduced unilaterally. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : अभी तो यह इश्यू आया ही नहीं है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैडम ऐसा तो कभी होता नहीं है। जब इश्यू आएगा, तब बोलना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जब इश्यू लाएँगे, तब इस बारे में कहें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। मैंने कहा कि जब आएगा, तब बोलना।

श्री एम. वैंकेय्या नायडू: कंसलटेशन सबसे हुआ है, उसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं। मगर कंसलटेशन प्रोसैस हो गया है। मंत्री जी जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तब कहें।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब बिल आएगा, तब आप बोलें।

13.53 hrs

RESOLUTION: CONDEMNING GRANT OF BAIL TO ACCUSED CONSPIRATOR OF MUMBAI ATTACK

HON. SPEAKER: Hon. Members, as agreed by the House, I would now propose the Resolution reflecting the unanimous sense of the House.

The Lok Sabha unanimously condemns the decision to grant bail to Zakiur Rahman Lakhvi, accused conspirator in the murder of 166 individuals in Mumbai on 26th November, 2008. We are concerned at the numerous delays in the prosecution and the apathetic attitude of the Government of Pakistan which has resulted in the grant of bail to an accused terrorist. We express the grave concern of the Indian people that just one day after the tragic killing of 145 innocent children and other persons in Peshawar, an accused terrorist could be released on bail by the same country. It seems that the lesson that there should be no compromise with terrorists has not been learnt.

The Lok Sabha calls upon the Government of Pakistan to proceed strongly with its declared intention to appeal the bail judgement, and requests the Government to ensure that on no account is such an individual permitted to be released. The people of India attach the highest importance to bringing the perpetrators of the 26/11 attacks, their masters in Pakistan and their accomplices, to justice. We urge the Government of India to take every step in its power, including through its relations with other countries, to put pressure on Pakistan to bring this matter to a satisfactory conclusion. We reiterate the importance of Pakistan dismantling the infrastructure of terrorism in that country and ensuring that terrorists are not allowed to remain free to continue their evil activities against India and the countries of the region.

I hope the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Thank you very much.

The House stands adjourned to meet again at 3.00 p.m.

13.56 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.05 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Five Minutes past Fifteen of the Clock. (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

15.06 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme – Contd...

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 23 – further discussion on the reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Hon. Minister to reply.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Hon. Deputy-Speaker, Sir, more than 20 hon. Members participated in this discussion under Rule 193 about MGNREGA's functioning... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, this discussion was not concluded. Some hon. Members are yet to speak. They must be allowed to speak.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Already many Members have spoken on it.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEKAER: The next item is also discussion under Rule 193. We have to take up that also.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is a different thing. There may be many items... (*Interruptions*) It is not good.

HON. DEPUTY SPEAKER: Many Members have spoken on this discussion. But if there are some more Members who are interested to speak on this discussion, they may lay their written speeches on the Table of the House. As a special case, we will allow it. Now, the hon. Minister has already started his

reply. Let him continue. The reply is more important. Many Members have raised their points. Let him answer that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We wanted to speak on what are the defects, how they are diluting this Act, etc. The hon. Minister is well aware. He himself has appreciated this Act. He knows the difficulties of this Act as to how to implement it. Therefore, at least, you accommodate some more hon. Members to speak on this discussion. For eight days, you have been prolonging it. The House might have discussed it hardly for three hours.

HON. DEPUTY SPEAKER: Khargeji, we have discussed it for four hours. The record is there. As per our record, two hours were allotted for this discussion; and we have already taken four hours to discuss it. Now, let the Minister continue.

Those hon. Members, who are interested to lay their written speeches on the Table of the House, they may do so. They will be recorded in the proceedings.

*श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार की इस योजना से खासकर पिछड़े राज्यों के गरीब-गुरबा मज़दूरों को काफी राहत मिली है। आज इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने गाँव में ही कुछ काम मिल जाता है। वैसे इस योजना की काफी प्रशंसा सदन में पहले भी हो चुकी है, लेकिन बीच में चिन्ता बढ़ गई थी कि शायद सरकार इसे बन्द करने पर विचार कर रही है, जो गरीबों के लिए एक घातक कदम होता क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब मज़दूरों को रोज़गार मुहैया कराये जाने की होनी चाहिए, न कि उनसे रोज़गार छीनने की।

मैंने अभी तक इसके बारे में जो देखा एवं समझा है, उस पर इस योजना की कुछ बातों पर विचार करना अति आवश्यक हो गया है। जैसे-सभी राज्यों में इसमें मज़दूरी एक जैसी नहीं है। गरीबों को समान रूप से उनकी मज़दूरी नहीं मिलती है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ है, जिसके कारण वहाँ मज़दूरी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। अतः पिछड़े राज्यों के उनके अनुपात में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस योजना में मिट्टी के कार्य को प्रमुखता दी गई है। यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे मज़दूरों को अधिक से अधिक काम मिलेगा। लेकिन अगर गाँवों में इस योजना के तहत गली, नाले और अन्य मूलभूत सुविधायें जो आवश्यक है, उसे भी शामिल किया जाता है तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जायेगी और गाँवों के विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पायेगी।

इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए। जैसे कि जहाँ नदी का कटाव हुआ और कार्य होना है, किंतु कटाव काफी गहरा है, यानि मज़दूर उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं, उस विशेष परिस्थिति में मशीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः मशीन की जरूरत के हिसाब से इस योजना में काम लेने की व्यवस्था हो, ऐसा मेरा सुझाव है। आज मज़दूरों के भुगतान में तो काफी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफी धाँधली हो रही है। ठेकेदार से लेकर बैंक या डाकघर में उनसे प्रतिशत में पैसा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए और उन्हें डेबिट/क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, जिससे अपना पैसा मज़दूर कहीं भी निकाल सकें। दूसरा ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरी में भी घपला होता है। हाजिरी किसी की किसी के नाम या अधिक हाजिरी, फिर काम नहीं होने के एवज में भी हाजिरी। यह तो मुख्य धाँधली इस योजना में चल रही है, जिसे सरकार रोकने में असफल रही है। इस पर तुरंत कोई मैकेनिज्म बने और सुधार हो, क्योंकि इससे मज़दूरों का ही नुकसान होता है। मज़दूरों का मिनिमम गारंटी भी बढ़े।

देश आगे बढ़ रहा है, किंतु मज़दूरों को वहीं का वहीं दबाए रखने की साजिश चल रही है, यह बेहद खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मिनिमम गारंटी कम से कम 250 से 300 दिनों का प्रति

^{*} Speech was laid on the Table

सालाना होना चाहिए। मनरेगा में निगरानी तंत्र पूरी तरह सुदृढ़ हो, ऐसी माँग इस सदन में हमेशा होती रही है, लेकिन इस पर कोई खास पहल नहीं होती है। जिसके कारण इस योजना में हमेशा शिकायत आ रही है। अतः मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। खासकर मैं पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना के बारे में चाहता हूँ। वहाँ या तो छोटी-छोटी सीढ़ी बनाई जाती है या उनके पीने के पानी की मुख्य समस्या है। उसे भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ के गरीब मज़दूरों को जैविक खाद बनाने की भी सुविधा इस योजना में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के मज़दूरों को होनी चाहिए। जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यह एक अत्यंत ही लाभप्रद पहल साबित होगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज जैविक खाद और खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अतः यह पहल काफी लाभदायक हो सकती है। मजदूर वहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध पत्ते और खरपतवार आदि को ही जैविक खाद बनाने में उपयोग करेंगे और उससे उनकी आमदनी बढ़ जायेगी।

अंत में काम के बदले कमीशन पर लगाम लगाने की जरूरत है और गरीब मज़दूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक रोज़गार इस मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की जरूरत है।

*SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): MGNREGA conceptualized by UPA Govt. in 2005 was its Flagship Programme. MGNREGA has since its inception brought metamorphical changes in the rural hinterland especially amongst the poor, landless and unemployed people in lakhs of villages.

The Preamble of Act provides for enhancement of livelihood security of households in rural area by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

The NREGA Act is focusing on providing guaranteed employment and not asset creation.

The NREGA Scheme is dovetailed with Panchayati Raj Scheme as the element of local planning of NREGA involves Gram Panchayat in execution of certain works. Another important feature is that it commits itself to have 1/3rd of the beneficiaries as women. Most of important of all is that the scheme as inbuilt feature of Transparency and Accountability through social audit which can be used by the administrators and the executive as a tool of self correction.

The Act outlines the work to be taken up the water conservation and harvesting; drought proofing and irrigation canal works, renovation of traditional water bodies, land development, flood control and rural connectivity. There is ample scope for these works in rural areas. The labour material ratio was envisaged as 60:40. However it is understood that this is being changed. If the material ratio is increased it will be in contravention of the Act's objective as the labour component will be replaced swiftly under this garb with machines as material usage in certain case will involve machines like concrete mixing. Thus despite of asset creation there will be large number of people who will be left without employment.

We have been observing that despite of allocation the Government has drastically reduced the release of funds for NREGA thereby not providing wages to several days to these poor rural folks. It has forced even CM (Tripura) and several other eminent economists and activists to sit on dharna.

_

^{*} Speech was laid on the Table.

Global Hunger Index report by International Food Policy Research Institute (IFPRI), which highlighted MGNREGA as one of the key reasons why India's proportion of underweight children (below the age of five) has come down from 43.7% in 2005 to 30% in 2014. The report detailed how the world failed to achieve 15 of the 21 Millennium Development Goals, decided in 2000, to be achieved till 2015. It also laid out the agenda for the next 15 years. One of the three goals it stressed on was the provisioning of social safety nets.

MGNREGA is essentially a social safety net provided by the Government since 2005. The idea is that rural people who are unable to get a job, especially during a lean agricultural season, may be able to subsist and survive such a phase instead of being uprooted from their homes.

Safeguards have been incorporated in MGNREGA to avoid abuse. One, it was prescribed that one adult member per household will be eligible for the scheme, which involved a full day of unskilled manual labour.

Two, for a day's work, the individual would get the basic minimum wages. Roughly Rs. 150.

It is important to scrutinize the criticism levelled against MGNREGA.

The first criticism is that it is holding back India's economic growth because the outgo contributes to the fiscal deficit. Here I wish to compare the MGNREGA allocation of Rs. 34,000 crore (which incidentally, is never disbursed fully) to the various subsidies that the critics of MGNREGA enjoy namely, the fuel subsides on diesel and LPG, which cost the exchequer roughly Rs. 70,000 crore. Or the fertilizer subsidies (without which food articles would be costlier) is another Rs. 70,000 crore. So, one can easily conclude that money allocated to MGNREGA is far lesser than other direct and indirect subsidies.

Another criticism about MGNREGA is that it is holding back India's economic growth because it has made labour cost very high. The funny bit is that at its peak, 'high' would imply the minimum wages in the country. In fact, in as many as 12 states MGNREGA wages are below minimum wages. So the essential argument is that "We are not able to exploit the labour due to MGNREGA." If anything, that is a reason to carry on with MGNREGA. This

actually blows the lid off the low-cost production legend of India, which is essentially built on the exploitation of rural unskilled labour. The truth is, if the economy (including agriculture) created enough, even remotely better paying opportunities, no one would enroll in MGNREGA, which at the maximum doles out Rs. 15,000 in a year for a family of five.

There is widespread corruption is MGNREGA. This is as true as the widespread corruption in our all segment of the society. Would any of the MGNREGA critics use the corruption argument to disband all the perceived corrupt organisation in the country? And, pray, why not? Does it have to do with the fact that in may cases it works, and that even if it is dysfunctional in big parts, it still maintains a semblance of order or else civic life would quickly degenerate into chaos?

MGNREGA is making Indians lazy. Really? Only people who have no idea about how the rural poor make out a daily living can pose this argument. Yes, there will be instances of lazy farmers, but almost always they will be rich farmers who do not line up for MGNREGA. The poorest farmers from, say, Bihar, West Bengal etc. migrate to the rest of the country, from Kashmir to Kanyakumari, are not lazy. They optimize their time. But often in doing so, their families are displaced, with adverse impacts on health and education. They optimize it to such an extent they would not want to waste even a day of earning by queuing up to get a bank account opened even when it is in their own interest to do so. By the way, some believe we should deposit Rs. 100 in their bank account and scrap MGNREGA. You could do that but will doing so make them less lazy?

This government believes in the power of the markets to solve all ills, and as such wants to do away with all kinds of doles including MGNREGA. But NREGA is not a dole, it is a way of creating work. If the government believes otherwise, it must shut down the whole scheme by repealing it and allow for market economics to take over. If not, then the government should reform it, taking steps to bring down corruption and ensure strict grievance redressal.

MGNREGA directly attacks hunger by providing the supplementary income that bridges the gap between destitution and poverty. The latest Global Hunger Index shows that India has slashed malnutrition rates by nearly 15 percent since MGNREGA was launched - the improvement in nutrition levels among mothers has translated, as it would, into better nutrition levels for their children. Women are the prime beneficiaries of the programme, and the substantial increase in their own disposal income has bettered indices across a wide range of measures. Moreover, by providing employment opportunities to women when the family is stalked by economic uncertainty, MGNREGA has enhanced the dignity and role of women as the principal providers for the family. Above all, as MGNREGA is the most important programme run by the Panchayats, inclusive growth has been secured through a participative model that, ideally, runs from the sarpanch to the ward members of the panchayat and the community as a whole in their gram sabhas.

There is no practical avenue for the people to demand further employment. Therefore, the availability of funds determines the amount of work offered, rather than the other way round, and those in further need are unable to press their demand for work. In other words, instead of being a "rights-based" programme, where anyone needing work is immediately given work (within the ceiling of one hundred days), the programme is run as a "scheme" in which the available budget translates into the work-days available and when that quota of work-days is exhausted, generally at well below a hundred days, there is no automatic enhancement of the budget. Therefore, if budget is not available the demand for employment also shrinks. It should not be read as work is in less demand - in other words, the work demand is always there despite the budget is not available.

Moreover, while the Central legislation provides for the payment of a dole if employment is not made available within 15 days of work being demanded, the burden of paying the dole has been devolved on State Governments, almost none of which is prepared to bear the burden, with the

result that this key provision has remained a dead letter. There is no incentive to ensure that all ask for 100 days to work are given.

Moreover, MGNREGA is an "employment-creation" programme, not an "asset-creation" programme. For asset creation, there are several other schemes. That is why the success or otherwise of MGNREGA must be measured in terms of employment opportunities offered, not in terms of assets created. Alternatively, MGNREGA could be deployed for labour component of asset-creation programmes. It should even be possible to link private asset-creation, especially in the fields of small and margianl farmers MGNREGA.

Instead of dealing with these real issues of MGNREGA, this government has gone off on a tangent. First, it wants to change the ratio of labour to materials to increase the use of machinery and supplies without realizing that every rupee taken from employment to pay for materials reduces the funds available for employment and this further cuts the already low level of employment being offered under the programme. To emphasize asset-creation at the expense of employment-creation is to undermine the very logic of this hugely popular and desperately needed programme. Yet, mindlessly, this is precisely what this government is contemplating.

Worse, this government plans to restrict the programme to designated "backward" areas. Constituting about a third of the country. This is ridiculous. For one thing there is already a pretty successful Backward Religions Grant Fund. It requires strengthening. Additional funds for backward areas development should be made available to this Fund. Why shift the burden to MGNREGA?

More fundamentally, the programme in Gandhi's name is targeted at the individual is need, not the place of his or her residence. There is no part of India where the destitute and the poor do not live. The proportion may be higher in some places than in others. But those in need are everywhere. To deprive people of employment merely because they happen to live in the wrong place is to inflict the gravest injustice on them for no fault of their own.

Finally, the beauty of MGNREGA lies in the self-identification of beneficiaries. Anyone willing to undertake the hard, backbreaking, unskilled work involved in MGNREGA, toiling in the boiling sun for the pittance required to keep body and should together, has been the only criterion for making work available. There are no tiresome, discriminatory identification procedures pockmarked with corruption and nepotism. It seems that this Government, in the grab of tweaking NREGA and its so called innovation, will re-introduce patronage networks to run the programme.

Despite numerous hurdles, the NREGA has achieved significant results. At a relatively small cost (currently 0.3% of India's GDP), about 50 million households are getting some employment at NREGA worksites every year. A majority of NREGA workers are women, and close to half are Dalits or Adivasis. A large body of research shows that the NREGA has wide-ranging social benefits, including the creation of productive assets.

Recent research also shows that corruption levels have steadily declined over time. For instance, official estimates of NREGA employment generation are very close independent estimates from the second India Human Development Survey. While corruption remains a concern, experience shows that it can be curbed, and the battle against corruption in NREGA has helped to establish new standards of transparency in other programmes as well.

The labour-material ratio is sought to be reduced from 60:40 to 51:49 without any evidence that this would raise the productivity of NREGA works. For the first time, the Central Government is imposing caps on NREGA expenditure on state governments, undermining the principle of work on demand.

The Central Government appears to be considering an amendment aimed at restricting the NREGA to the country's poorest 200 districts. This runs against a fundamental premise of the Act: gainful employment that affords basic economic security is a human right. Even India's relatively prosperous districts are unlikely to be free from unemployment or poverty in the foreseeable future.

The new government's first budget may ring in a complete revamp of two flagship schemes of the previous Congress-led government- MNREGA or the rural jobs scheme and the food security plan.

The signs were clear in the Economic Survey, or the pre-budget report card of the economy tabled by Finance Minister Arun Jaitley today, which criticized both schemes and said a "revamp reorganisation and convergence of social sector scheme is needed."

On MNREGA or the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, the survey noted "lack of principal role in planning, execution and monitoring" and low awareness, resulting in "lack of ownership and illconceived planning."

One of the beneficiaries of the scheme is 60-year-old Paramshila Devi. The Rs. 20,000 she has earned in the last three year, doing various jobs under NREGA, has helped her survive after her husband's death two years ago.

Work under the Act may be increasingly hard to come by, she says, but NREGA is still an important part of her life, and that of many others here. She says, "What other work can I do? I can't do hard labour at this age. If it closes down, what are my options? The government has to give us work".

The government has so far refused to confirm or deny any attempt on its part to rework the Act, apart from saying that projects under the scheme need to be more productive, and linked to other government infrastructure schemes for rural areas.

The combined effect of expanded agricultural production, demand for labour from construction sector and the effect of MGNREGA has led to tightening of the market for agricultural labour and a steady rise in real wages. Farmers sometimes complain about this. But rising demand for labour is the only way to help the landless improve their standard of living", our ex-PM Dr. Manmohan Singh said. He said the Panchayati Raj institutions have to gear themselves to play a central role assigned to them under the scheme and stressed the need to provide the resources to help panchayats to perform the function effectively.

Harsh Mariwala, Chairman of consumer company Marico, in an interview to NDTV in Jan 2012, said that employment job guarantee scheme NREGA has boosted rural sales and benefited the company immensely.

This government is weakening the rural job guarantee scheme because it was started by the UPA. The political vendetta would hurt the rural poor whom it provides a safety net.

Tripura Chie Minister Manik Sarkar, the first CM to lead to a dharna against the dilution of MGNREGS, said his state is facing a massive cut in funds from the Centre. He said it has come down to Rs. 650 crore from last year's Rs. 1400 crore. Sarkar said right from the beginning, vested interests in rural areas, big landlords, money lenders, big capitalists and corporate houses were opposed to the programme. "The decision to curtail MGNREGS will adversely affect Tripura which is the best performing state in this regard. This will not be tolerated," he said.

*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : मनरेगा (MGNREGA) जिसको 2006 में इसलिये लागू किया गया ताकि ग्रामीण आबादी में बसे बेरोज़गारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार मिल सके और उनकी आजीविका को बल मिले। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के लिये है और पंचायतों के माध्यम से यह कार्य होना है जिससे ये ग्राम पंचायतें भी सशक्त हों। ऐसे उद्देश्य को लेकर "मनरेगा" को लाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि 2006 से लेकर अब तक लगभग 1,63,755 करोड़ रूपये का भुगतान मनरेगा के माध्यम से मज़दूरी पर दिया गया और 1.658 करोड़ व्यक्ति-दिनों (Persons-Days) के माध्यम से मज़दूरी का रोज़गार उत्पन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब जनता को अधिकांश लाभ पहुंचा है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग लाभान्वित हुआ है। इस वर्ग के 48 प्रतिशत तथा महिला वर्ग जो हमारे समाज का आधा भाग है उन्हें भी 48 प्रतिशत के करीब इसके अंतर्गत रोज़गार उपलब्ध हुआ है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि मनरेगा के शुरूआती दिनों में जनता को इससे लाभ मिला, गांवों में छोटे-छोटे कामों के माध्यम से वहां रोज़गार मिला। पंचायतों में जरूरत के अनुसार विकास के कार्य हुये, परंतु इसमें कई किमयां रही है जिसके कारण इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। पंचायतों के प्रधान व अन्य कर्मचारियों की आपस में मिलीभगत के कारण इस योजना के माध्यम से पैसा बटोरना शुरू हुआ। यही कारण रहा कि जब-जब भी कोई चर्चा संसद में आई सांसदों द्वारा हमेशा ही कहा गया कि मनरेगा भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं और इसे खत्म करने की जोर से आवाज़ उठने लगी। हालांकि सोशल-ऑडिट के माध्यम से इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की गयी तथा पैसा मज़दूरी सीधे पात्र व्यक्ति के नाम बैंकों या पोस्ट ऑफिसों में भेजे जाने की व्यवस्था की गई, परंतु भ्रष्ट तरीकों पर नकेल नहीं डाली जा सकी, जिसके कारण यह योजना चर्चा का विषय बनी रही है। क्योंकि यह योजना जोकि एक एक्ट के माध्यम से चलाई जा रही है, में आज मूलभूत बदलाव की जरूरत है। इसमें मेरे कुछ सुझाव है, जोकि निम्नलिखित है:-

मनरेगा के कार्यों की सूची में और अधिक कार्यों को जोड़ना चाहिये, जोकि वहां के स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार हों। जैसे गांवों में सीमेंट के रास्ते, सराय भवन, ग्राम चौपाल, धार्मिक स्थानों के आस-पास सौन्दर्यकरण कार्य किये जाये तािक इन स्थानों को स्थानीय लोगों द्वारा सामूहिक तौर से प्रयोग किया जा सके।

पहाड़ी राज्यों के 60:40 का जो अनुपात मज़दूरी व सामान का है, वह बदलना चाहिये इसे 40:60 किया जाना ठीक रहेगा। MPLAD FUNDS को मैटेरियल कम्पोनेन्ट के साथ जोड़ा जाये।

^{*} Speech was laid on the Table

100 दिनों को कम से कम 200 दिन करने का प्रावधान हो ताकि व्यक्ति जो काम करना चाहता है तथा जिसे जरूरत है, उसे वर्ष में कम से कम आधे समय तक तो काम अनिवार्य तौर से मिल सके।

दैनिक मजदूरी बढ़ायी जानी चाहिये, क्योंकि कई स्थानों पर अधिकांशतः देखा गया है कि जरूरतमंद लोग इसलिये मनरेगा में कार्य नहीं करते, क्योंकि मज़दूरी बहुत कम है। इसलिये इसे तर्कसंगत बनाकर बढाया जाये।

कुछ राज्यों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसले उजाड़कर आतंक जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, जहां पर लगभग 85 प्रतिशत पंचायतें इन जंगली जानवरों के कारण परेशान है, खासकर बंदरों के कारण। इसलिये मनरेगा के अंतर्गत हर गांव के रखवाले नियुक्त किये जाये तािक किसानों की फसले उजड़ने से रोकी जा सके। इसी के साथ जंगलों को आग से भी बचाया जा सके। जहाँ-जहाँ जरूरत हों, वहाँ पर फायर-वाचर की भी मनरेगा के अंतर्गत नियुक्ति की जानी चाहिये।

तकनीकी स्टाफ हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवाया जाये तथा हर मस्टरोल मं एक मेट (सुपरवाईजर) को लगाया जाये ताकि काम की देखरेख ठीक ढंग से हो सके। क्योंकि मनरेगा की अदायगी ऑनलाईन है, परंतु हर पंचायत में ब्रॉडबैन्ड कनेक्टिविटी न होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हर पंचायत को यह सुविधा मुहैया करवाई जाये।

यद्यपि मनरेगा के माध्यम से कुछ एक प्रांतों में अच्छे कार्य हुये है जिसमें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु, केरल राज्य शामिल है, तथापि कुछ एक प्रदेशों में उसके कार्यान्वयन में कोताही बरती गई है, जिसका नुकसान वहीं के गरीबों खासकर के दिलतों व महिलाओं को हुआ है। हालांकि इसमें बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण सारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें गत वर्षों में बजट की कटौती भी हुई है, परंतु इसका मतलब यह नहीं होना चाहिये कि इस योजना को समाप्त कर दिया जाये। योजना का क्रियान्वयन बेहतर हो इसकी खामियाँ जोकि गत 7-8 वर्षों में सामने आई है, उसे दूर करना चाहिये और इसे ज्यादा सशक्त बनाकर उन करोड़ों लोगों के हित में आगे बढ़ाया जाना चाहिये जो कि इस कार्यक्रम के सुपात्र है।

*श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलवर्गा) : भाजपा की सरकार को इस ऐतिहासिक social legislation को dilute करने की क्यों जरूरत पड़ गई है? मैं इस बात को मानता हूँ कि मनरेगा कानून का पूरी तरह से उसके letter and spirit में implementation नहीं हो पाया है, लेकिन इस बात को भी कोई नहीं झुठला सकता है कि मनरेगा कई मायनों में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक (socio-economic) बदलाव लाने में सफल हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बदलाव भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री जी के मित्रों को चुभ रही हो जिस कारण वे इस कानून को slow poisoning से मार डालने की कोशिश कर रहे हैं? मनरेगा अपने आप में एक क्रांति है, इस कानून ने right to work on demand को न सिर्फ justicable rights बनाया बल्कि right to minimum wages, 15 दिनों में भुगतान कार्य क्षेत्र में मज़दूरों को दिये जाने वाले जरूरी बुनियादी सुविधाओं वगैरह को भी justiciable rights का दर्जा दिया गया।

मनरेगा कानून के फरवरी 2006 में लागू होने के साथ ही देश में rural public works programme का massive expansion हुआ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2008-09 में मनरेगा के देश-व्यापी होते ही 5 करोड़ घरों को इससे लाभ मिला और यह क्रम अभी तक जारी है इस योजना के तहत around 40 person-days BÉEÉ average employment per household per year दिया जा सका है, जो अपने आप में अभूतपूर्व (इन्हड्डद्रह्त्वहुष्ट्र) है। A study by Laura Zimmerman of the University of Michigan shows that when implemented properly, the programme arrested distress migration, providing a safety net for the poor in the lean agricultural sesaon. मनरेगा के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र में real wages को उछाल मिला। जहां 2000-01 से 2005-06 तक की अवधि में जो कि मनरेगा के लागू होने से पहले का period है उस दौरान ग्रामीण मजदूरी में पुरुषों के में real wage में सिर्फ 0.01% और महिलाओं में -0.05% का growth देखा गया है वहीं दूसरी ओर 2005-06 से 2010-11 की अवधि में जो कि मनरेगा के लागू होने के बाद का पीरियड़ है उसमें यही growth पुरुषों में 1.82% और महिलाओं में 3.83% दर्ज़ किया गया है। आज गाँव में एक आम आदमी की purchasing capacity को boost मिला है। आज कंपनियाँ गाँव में अपना बाज़ार देख रही है और उनके marketing strategics में rural markets एक ज़रूरी हिस्सा बन गयी है। मनरेगा के इस योगदान को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है।

इस सरकार को समझना होगा कि मनरेगा केवल रोज़गार गारंटी कानून ही नहीं है। यह एक अवसर है जिसके माध्यम से gender inequality को न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण (empowerment) का भी एक प्रभावशाली (effective) mechanism साबित हुआ है यह बड़े हर्ष की बात है कि मनरेगा की योजना के beneficiaries में आज महिलाओं की 54%

* Speech was laid on the Table

हिस्सेदारी है। आज ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कारण महिलाएं घरों से बाहर निकल कर काम कर रही है वे अपनी खुद की income अर्जित कर पा रही हैं, उनके अपने बैंक खाते हैं और अपने हक़ के लिए लड़ना सीख रही हैं। आज गाँवों में महिलाएं बढ़-चढ़ कर ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों में हिस्सा ले रही है।

मनरेगा के कारण बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की ग्रामीण महिलाओं के रोज़गार के अवसर में लगातार इज़ाफा हुआ है, ये वे राज्य हैं जहां ग्रामीण महिलाओं के पास independent cash income के बहुत कम मौके थे। 2009 के एक अध्ययन के अनुसार देश के छह northern states सिर्फ 30 प्रतिशत महिलाओं ने मनरेगा के wages से हटकर cash income कमाया है जिस तरह से मनरेगा में महिला सशक्तिकरण, खासकर उत्तर भारत में किया है वे किसी क्रांति से कम नहीं है। मनरेगा ने न सिर्फ महिलाओं बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के घरों में भी cash income और उससे मिलने वाली सुरक्षा के नए दरवाज़े खोल दिये।

इतना शानदार योजना को मोदी जी की सरकार धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। इस सरकार के द्वारा मनरेगा को सिर्फ tribal/backward districts तक ही सीमित करने का प्रयास हो रहा है। मनरेगा में labor-material expenditure के तय 60:40 के अनुपात को बदल कर 51:49 के अनुपात में रखना चाहती है। यानि सरकार labour wages के लिए 60 प्रतिशत के बजाय 51 प्रतिशत खर्च करना चाहती है और वह भी on reduce scale. मनरेगा के budget में भारी कटौती करने का प्रयास हो रहा है। इससे रोज़गार देने की क्षमता में कमी तो आएगी ही, साथ ही साथ कामगारों के wage payments में पहले से ज्यादा परेशानी आएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मनरेगा कार्यों के लिए आवंटित बजट के भीतर ही खर्च सीमित रखने का निदेश दिया है जिससे मनरेगा की आत्मा "right to work on demand, i.e, demand-driven employment" को गहरा चोट लगा है।

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने labour-material expenditure में बदलाव लाने का कारण यह बताया है कि implementation agencies को पहले तय किया गया material expenditure के लिए 40% अनुपात durable and productive assests के निर्माण में अड़चन पैदा कर रही थी। लेकिन एक डच्छ जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के Joint Secretary ने मंत्री जी को यह बताया था कि पूरे देश में वर्तमान में तय 40% material expenditure के अनुपात के बावजूद सिर्फ 27 प्रतिशत expenditure ही हो पा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री जी को जो तय 40 प्रतिशत के सामग्री खर्च का अनुपात durable and productive assests के निर्माण में अड़चन दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर उस अनुपात में तय राशि को पूरी तरह खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं।

कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सरकार material expenditure के अनुपात को बढ़ाकर बेनामी ठेकेदारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी सदन को मनरेगा के अंदर material expenditure के अनुपात को बढ़ाने के पूरे कारणों को बताए क्योंकि prima-facie material expenditure में जो fund उपलब्ध होता है उसमें से लगभग 33% fund unutilized रह जाता है। अगर deliverance system को ठीक किया जाए तो material expenditure के अनुपात को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

RTI से मिली जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि labour-material expenditure ratio को 60:40 से बदल कर 51:49 करने से रोज़गार के अवसर में 40 प्रतिशत की भारी कमी आएगी और इस निर्माण से 5 करोड़ घरों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह भी चिंता व्यक्त की गयी है कि अगर labour-material ratio को 51:49 कर दिया जाएगा तब केंद्र सरकार पर वेतन भुगतान के लिए 20 हज़ार करोड़ का addition burden पड़ेगा।

लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि labour-material expenditure ratio को बदलकर बड़े infrastructure projects के निर्माण मनरेगा के तहत किया जाएगा। यह अपने-आप में एक flawed argument cè* In most areas where MGNREGA is a lifeline for the poor, there is no scope for very large projects, especially since employment is supposed to be provided within the village to prevent migration, and ensure that households of farm laborers have a fall-back option during the agricultural lean season.हमारी चिंता तब और बढ़ जाती है जब यह सुनने को आता है कि मनरेगा में private sector led/financed infrastructure projects को भी शामिल किया जाएगा तथा इसके कार्यों को agriculture assets के निर्माण के साथ जोड़ा जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि by linking it with agriculture could lead to a renewed exploitation of the landless.

मनरेगा के माध्यम से local governance में एक नई जान फूंक दी है। पहली बार गाँव को उसके disposal पर substantial resources with a clear purpose दिया गया है। मनरेगा में न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के कामगारों को असंगठित क्षेत्र से बाहर निकाल कर संगठित करने का काम किया है बल्कि गाँव के विकास के लिए नए सिद्धांत और governance के नए standards तय किए हैं। आज मनरेगा के कारण ही हम लोक सहभागिता (participation), पारदर्शिता (transparency), जवाबदेही (accountability), जैसे ऊँचे मूल्यों को governance का एक ज़रूरी हिस्सा स्थापित करने में सफल हुए हैं। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों का ग्राम सभाओं द्वारा द्रथ्ट्वद किया जाना और ग्राम पंचायतों के माध्यम से implement करने का प्रावधान अपने आप में महात्मा गांधी को सच्ची श्रृद्धांजिल है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की सरकार मनरेगा के अंदर local governance को

कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, वह मोदी जी के गांधी जी के नाम पर उनकी कमज़ोर प्रतिबद्धता को उज़ागर करती है। वे सिर्फ बड़बोले साबित हो रहे हैं।

मनरेगा में labour-material के ratio में material component का proportion बढ़ाकर 49% करने के साथ-साथ इसके लिए योजना बनाने एवं क्रियान्वित (implement) करने का काम district level पर किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अब ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों को उनके गाँव में किस तरह का काम किया जाना चाहिए इस पर उनका कोई हक नहीं रहेगा। यह निर्णय संविधान के Article 243 G का उल्लंघन होगा जिसमें पंचायतों को स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने की शक्तियाँ दी गयी हैं। सरकार के इस कदम से मनरेगा के संबंध में कामों के निर्णयों में political considerations ज़ोर पकड़ेगा। अब गाँव अपने यहाँ होने वाले कामों पर कोई निर्णय नहीं लेगा बल्कि कलेक्टर और नेताओं की तरफ टकटकी लगा कर फलां-फलां काम को sanction करने के लिए गुहार करता फिरेगा। उस गाँव को नेताजी के राजनीतिक रंग में पहले रंग जाने का proof देना होगा तभी उस गाँव के कल्याण की कोई बात की जा सकेगी। सबसे दुखद बात यह होगी की इस सब में गरीबों, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण का जो मार्ग अब तक बना था उसमें कांटे बिछ जाएंगे।

मनरेगा का एक उल्लेखनीय योगदान, हम इसे blockbuster contribution भी कह सकते हैं यह रहा है कि wage relations में एक significant बदलाव आया है। यह बदलाव खासकर के ग्रामीण क्षेत्रों में casual labour के wage relations में ज्यादा दिखता है। मनरेगा में public works के लिए statutory minimum wages की actual payment ने न सिर्फ minimum wages के प्रति लोगों में जागरूकता फैलायी है बल्कि agricultural wages को substantially बढ़ाने में मदद की है जिससे अब गाँव एक isolated unit न रह कर mainstream में शामिल हो गया है। मनरेगा के कारण न सिर्फ agricultural wages में बढ़ोतरी हुई है बल्कि सभी ग्रामीण कामगारों के income को बढ़ाने में मदद की है। इसका dominos effect यह हुआ है कि factories और offices में कामगारों को उनके हक़ का वेतन देना पढ़ रहा है।

अब यह सरकार मनरेगा के कार्य क्षेत्र को छोटा कर wage relations में आई क्रांति को दबाने की कोशिश कर रही है। wage relations की इस क्रांति से बड़े जमीदार और उद्योगपितयों को सस्ता मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है। चूंकि यह सरकार सिर्फ जमींदारों और उद्योगपितयों के हितों के लिए dedicated है इस लिए मनरेगा को dilute करने की कोशिश हो रही है। मनरेगा को कमज़ोर कर इस देश के मजदूरों के bargaining power को कुचलने की एक साजिश रची जा रही है जिस हड़बड़ी में इस सरकार ने The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2014 और The

Apprentices (Amendment) Bill, 2014 को पारित किया है वे अपने आप में उसके उद्योगपितयों के लिए उसकी sympathy और workers and labourers के लिए उसकी contempt को दिखाता है। मनरेगा का dilution इसी क्रम में उसका एक प्रयास है और हमारी पार्टी इसका ज़ोरदार विरोध करती है।

Year	No. Of	No. of	Person-days (In crores)			crores)	Funds	Expenditure
	households	household	Total	SCs	STs	Women	Available	(In crores)
	who have	provided					(In	
	demanded	employment					crores)	
	employment							
2006-07	214,96,072	211,35,164	91	23	33	36	12,074	8,823
2007-08	343,15,902	338,98,197	144	39	42	61	19,342	15,866
2008-09	455,18,907	451,15,358	216	63	55	104	36,300	27,251
2009-10	528,64,608	525,30,453	284	86	59	136	45,682	37,910
2010-11	557,63,244	549,54,225	257	79	54	123	52,649	39,377
2011-12	503,48,382	498,62,775	211	47	38	102	41,564	37,549
2012-13	497,70,208	479,26,171	230	46	34	110	38,835	38,977
2013-14			220	50	38	116	33,000	38,744
2014-15			114	26	19	64	34,000	24,294

*श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मनरेगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार की इस योजना से खासकर पिछड़े राज्यों के गरीब-गुरबा मज़दूरों को काफी राहत मिली है। आज इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने गाँव में ही कुछ काम मिल जाता है। वैसे इस योजना की काफी प्रशंसा सदन में पहले भी हो चुकी है, लेकिन बीच में चिन्ता बढ़ गई थी कि शायद सरकार इसे बन्द करने पर विचार कर रही है, जो गरीबों के लिए एक घातक कदम होता। क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब मज़दूरों को रोज़गार मुहैया कराये जाने की होनी चाहिए, न कि उनसे रोज़गार छीनने की।

मैंने अभी तक इसके बारे में जो देखा एवं समझा है, उस पर इस योजना की कुछ बातों पर विचार करना अति आवश्यक हो गया है। जैसे-सभी राज्यों में इसमें मज़दूरी एक जैसी नहीं है। गरीबों को समान रूप से उनकी मज़दूरी नहीं मिलती है, क्योंकि पिछड़े राज्य अपने हिस्से का अनुपात वहन करने में असमर्थ है, जिसके कारण वहाँ मज़दूरी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। अतः पिछड़े राज्यों के उनके अनुपात में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस योजना में मिट्टी के कार्य को प्रमुखता दी गई है। यह अच्छी बात है, क्योंकि इससे मज़दूरों को अधिक से अधिक काम मिलेगा। लेकिन अगर गाँवों में इस योजना के तहत गली, नाले और अन्य मूलभूत सुविधायें जो आवश्यक है, उसे भी शामिल किया जाता है तो इससे मनरेगा की विशेषता और अधिक बढ़ जायेगी और गाँवों के विकास के लिए सरकार एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ पायेगी।

इस योजना में मशीन के उपयोग पर भी विचार होना चाहिए। जैसे कि जहाँ नदी का कटाव हुआ और कार्य होना है, किंतु कटाव काफी गहरा है, यानि मज़दूर उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं, उस विशेष परिस्थिति में मशीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः मशीन की जरूरत के हिसाब से इस योजना में काम लेने की व्यवस्था हो, ऐसा मेरा सुझाव है। आज मज़दूरों के भुगतान में तो काफी सुधार हुआ है, किंतु अभी भी उसके भुगतान में काफी धाँधली हो रही है। ठेकेदार से लेकर बैंक या डाकघर में उनसे प्रतिशत में पैसा लिया जा रहा है। इस व्यवस्था पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए और उन्हें डेबिट/क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, जिससे अपना पैसा मज़दूर कहीं भी निकाल सकें। दूसरा ठेकेदारों और दलालों द्वारा उनकी हाजिरी में भी घपला होता है। हाजिरी किसी की किसी के नाम या अधिक हाजिरी, फिर काम नहीं होने के एवज में भी हाजिरी। यह तो मुख्य धाँधली इस योजना में चल रही है, जिसे सरकार रोकने में असफल रही है। इस पर तुरंत कोई मैकेनिज्म बने और सुधार हो, क्योंकि इससे मज़दूरों का ही नुकसान होता है। मज़दूरों का मिनिमम गारंटी भी बढ़े।

देश आगे बढ़ रहा है, किंतु मज़दूरों को वहीं का वहीं दबाए रखने की साजिश चल रही है, यह बेहद खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मिनिमम गारंटी कम से कम 250 से 300 दिनों का प्रति

-

^{*} Speech was laid on the Table

सालाना होना चाहिए। मनरेगा में निगरानी तंत्र पूरी तरह सुदृढ़ हो, ऐसी माँग इस सदन में हमेशा होती रही है, लेकिन इस पर कोई खास पहल नहीं होती है। जिसके कारण इस योजना में हमेशा शिकायत आ रही है। अतः मनरेगा में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। खासकर मैं पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना के बारे में चाहता हूँ। वहाँ या तो छोटी-छोटी सीढ़ी बनाई जाती है या उनके पीने के पानी की मुख्य समस्या है। उसे भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ के गरीब मज़दूरों को जैविक खाद बनाने की भी सुविधा इस योजना में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के मज़दूरों को होनी चाहिए। जिससे वे काम न मिलने की स्थिति में भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यह एक अत्यंत ही लाभप्रद पहल साबित होगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज जैविक खाद और खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अतः यह पहल काफी लाभदायक हो सकती है। मजदूर वहाँ अधिक मात्रा में उपलब्ध पत्ते और खरपतवार आदि को ही जैविक खाद बनाने में उपयोग करेंगे और उससे उनकी आमदनी बढ़ जायेगी।

अंत में काम के बदले कमीशन पर लगाम लगाने की जरूरत है और गरीब मज़दूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक रोज़गार इस मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की जरूरत है।

*SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA):I wish to express my views on the important subject like MGNREGA. I wish to quote an English writer Quotation, who quote in her novel, "If you give a man a fish he is hungry again in an hour. If you teach him how to catch a fish you do him a good turn." Since the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) came into existence in 2006 has only provided a man a fish.

Since its existence, it received all-round criticisms for hardly creating assets in the rural areas. Under the programme, the ratio of wage costs to material costs was 60:40. When 60 percent of cost was utilised in paying wages, how can it create durable assets? There no measurement of assets creation or result of such activities, and it is only an invitation to corruption. The wage payment under MGNREGA was made on the basis of measurement of work completed.

Over the year, fabrication of jobs cards and largescale corruption in villages, benefiting the gram pradhans and their henchmen was witnessed.

It must the commitment of any progressive Government to provide wage and self-employment opportunities in rural areas. However, MGNREGA works should be more productive, asset creating and substantially linked to agriculture and allied activities.

Rural India, which is reeling under infrastructure deficit, genuinely needs a programme which tackles such shortcomings, especially like building toilets, construction of buildings for gram panchayats and providing irrigation facilities. In fact, special emphasis has to be shown on quality of assets in terms of their design, utility and durability.

This is very important. Our Hon'ble Chief Minister also promised to link MGNREGA with agriculture. I request the Government of India to support this idea.

I want to quote the latest Economic Survey here. The survey painted a bleak picture of MGNREGA and suggested to revamp, reorganisation and convergence of the social sector scheme. The Survey noted, "Lack of principal

_

^{*} Speech was laid on the Table.

role in planning, execution and monitoring and low awareness, resulting in lack of ownership and ill-conceived planning."

I have few questions and I request the Hon'ble Minister to give clarifications during the reply. Who will decide the assets creation in rural areas? Will the Rural Development Ministry create a list of such assets where the programme is run? And who will lay down mechanism to execute and maintain such projects?

In order to create durable assets, convergence of the MGNREGA with the schemes of other departments are highly needed. The areas like maintenance of assets, evaluation and impact study by third party agency to make it leakage free have to be concentrated. I request the Hon'ble Minister to plug in all these defects while revamping the MNREGA.

*डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : मैं ग्रामीण आँचल के गरीब परिवार का रहने वाला एक दिलत समाज का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने जीवन में गरीबी तथा सामाजिक अस्पर्शयता को करीब से देखा है। मैं आज भी उन दिनों को नहीं भूल पाता जब एक कच्चे घर के कोने में भैंस बंधती थी तथा दूसरे कोने में एक बच्चे के रूप में केरोसिन ऑयल से जलने वाली डिबिया से बच्चे के रूप में मैं अध्ययन करता था। गरीबी की लाचारी तथा गरीबी के दंश को वही समझ सकता है जिसने इसको सहन किया है। राजा के घर पैदा होने वाले को गरीब का जीवन ही मज़ाक लगता है। गरीबों के हित के लिये बनने वाली योजनाओं को पूर्ण रूप से गरीबों की राय पर बनाया जाना नितांत आवश्यक है। जब हुकम देव नारायण जी अपनी बात कह रहे थे तो गरीबों का दर्द झलक रहा था, इस बात पर जोर देते हुये मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।

यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं एक जिनको गरीबों से मतलब नहीं वे इस योजना में खामी निकालते हैं तथा दूसरे वे लोग हैं जो इसमें गरीबों का जीवन देखते हैं। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के लिये गरीब जिम्मेदार नहीं है।

आज गाँव में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हुयी है। एक ओर जहाँ पर एक गरीब व्यक्ति के परिवार में तीन बेरोज़गार बच्चे हैं वहीं ऊपर से गाँव में रोज़गार के अवसर दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। एक ओर जहाँ आधुनिकीकरण एवं मशीनों का विकास हुआ है दूसरी तरफ उन लोगों का जिनका अभी तक आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, उनके रोज़गार छूट गये हैं। आज सड़क पर फावड़े द्वारा होने वाले कार्य मशीन द्वारा किये जाने लगे हैं। कुम्हार द्वारा किये जाने वाले कामों को डिस्पोज़ल प्लास्टिक ने छीन लिया है। भट्टा मज़दूरों का रोज़गार खनन पर प्रतिबन्ध ने छीन लिया है, चर्मकारों द्वारा बनाये जाने वाले जूतों के कारोबार को बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने छीन लिया, खेती छोटी होने से किसान मज़दूर को न तो पूरा वेतन दे पाता है और न ही लगातार रोज़गार दे पाता है तथा किसान की खेती भी आज मशीनों पर आधारित हो गयी है जिसके कारण मज़दूर को 12 महीने रखना उसकी आवश्यकता से बाहर है। धीरे-धीरे गाँव के सभी कारोबार खत्म होते जा रहे हैं जिससे गाँव में बेरोजगारी बढ़ी है।

ऐसी हालत में गाँव का मज़दूर ऊपर भगवान तथा नीचे सरकार पर ही आशा रखता है ऐसे में सरकार नरेगा जैसी योजना लाई। गरीबों के लिये आवास जैसी योजना लाई। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मकसद को लेकर योजना चलनी चाहिये थीं ठीक उसके विपरीत आचरण हुआ और हद तो तब हो गयी जब इन योजनाओं के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा जी का नाम जोड़कर मज़ाक किया गया। नरेगा में मज़दूरी सामान्य मज़दूरीकी आधी रखी गयी।

-

^{*} Speech was laid on the Table

उदाहरण के तौर पर पश्चिम उ.प्र. में जहाँ मज़दूर 250 से 300 रूपये की मज़दूरी पाता है नरेगा में 120 से 140 रूपये दिये जाते हैं जिसके कारण मज़दूर काम नहीं करना चाहता है तथा रोज़गार देने वाले काम नहीं करना चाहते तथा नाम कागज़ों में दर्ज होकर बंदरबाट हो जाती है और अगर किसी ने काम कर दिया तो मनरेगा के पेमेंट को मिलने में महीनों लग जाते हैं। उसी प्रकार इस महँगाई के दौर में इंदिरा आवास के नाम पर उतना पैसा दिया जाता है जिससे सही से बाथरूम भी नहीं बन पाता इस योजना के पैसे में 25 से 30 प्रतिशत भ्रष्टाचार होने के बाद योजना का पैसा तीन किस्तों में देकर गरीब व्यक्ति को साल भर से भी ज्यादा बिना छत के रहने को मज़बूर किया जाता है। मकान बने या न बने परंतु बाथरूम की प्रतिबद्धता जरूर रखी जाती है। मेरा मानना है कि ऐसी योजनाएँ गरीबों के लिए मज़ाक हैं तथा इन योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर हमारे महापुरूष अवश्य रोते होंगे। अगर किसी को 120 रूपये प्रतिदिन देकर 100 दिन का वेतन दिया 12000 रूपये होता है लेकिन 2013-14 की रिपोर्ट से उपलब्ध है कि कुल औसत 45.7 दिन का रोज़गार मिला जिसका मतलब औसत साल भर में 6000 रूपये से भी कम इसमें 50% भ्रष्टाचार जिसकी पूरे देश में जाँच चल रही है तो औसत एक व्यक्ति को साल भर में 3000 रूपये मिलते हैं जो औसत 250 रूपये प्रति माह आता है, जिस पर सरकार तथा बाहर सबका विरोध, यह गरीबों का मज़ाक के अलावा कुछ नहीं। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ एक लाख तिरेसठ करोड़ सात सौ चौवन करोड़ रूपये उपयोग में लाये गये हैं तो 2जी स्पैक्ट्रम जैसे एक घोटाले से भी कम हैं।

जिस योजना से विकास न हो, जिस योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त हो तथा रोज़गारोन्मुख न हो, ऐसी योजना का चलना न गरीब के हितकर है न ही सरकार के लिये हितकर है। मेरा मानना है कि मनरेगा में मैटेरियल कॉस्ट को बढ़ाकर 49% करना मज़दूरों के हक पर आक्रमण है। मज़दूरों के लिये कार्य का बजट अलग से सुनिश्चित हो, पारदर्शी हो, जिसमें भ्रष्टाचार का नाम न हो, रोज़गार की राशि सीधे जनधन खाते में जाये तभी कुछ भला हो सकता है। काम क्या कराना है यह एक एजेंसी की जिम्मेदारी होनी चाहिये।

मेरा मानना है कि इन योजनाओं के स्थान पर सामूहिक डेयरी, सरकार की सहायता से सामूहिक उद्योग लगाकर उद्योगों को इन गरीब लोगों को रोज़गार देने हेतु तैयार किये जाये तथा जो उद्योग रोज़गार दे सकें उसे इस राशि से मदद करके गरीब की दो जून की रोटी सुनिश्चित की जाये। यह नितांत आवश्यक है कि गरीब जरूर मदद चाहता है, लेकिन उनकी मदद का जिम्मा न्यायकारी लोगों के हाथ में हो, भ्रष्टाचारी लोगों के न हो। रोज़गार, मकान देना सरकार की प्रतिबद्धता है जिसे पूरा करना ही होगा योजना का स्वरूप बदलकर इसे और विशाल करने की आवश्यकता है जब सबको रोज़गार मिलेगा तभी कहा जा सकता है कि सबका साथ-साथ विकास का सपना पूरा हो सकता है। इस योजना में अभी तक गढ़ड़े खोदना तथा गढ़ड़े भरना दो काम मनरेगा से हुये उत्पादन कार्य नहीं

किये गये। यह जरूरी है कि उत्पादन हो तथा रोज़गार चंद दिन तक चलने वाला न होकर परमानेंट चलने वाला हो। चाहे उसमें लगे लोगों को 365 दिन रोज़गार दिया जाये। जिस तरह से योजना आयोग को बदला जा रहा है, उसी प्रकार पुरानी स्कीमों का पुर्णोद्धार करके दुरूस्त किया जाये। अधिक से अधिक गरीबों को रोज़गार मिले मैं ऐसी आशा करता हूँ।

***श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा)** : मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की देशव्यापी योजना स्वयं में एक महत्वपूर्ण योजना थी। लेकिन मैंने योजना शुरू होने के बाद से आज तक तत्कालीन सरकारों व दलों से जुड़े लोगों को इस योजना के सफल संचालन के प्रयासों को आगे बढ़ाते नहीं देखा। खासकर तब जब राज्यों में चलने वाली ग्रामीण विकास की लगभग सभी योजनाओं को इसमें समाहित कर दिया था। पूर्व की सरकारों ने प्रारंभ में देश के चुनिंदा ज़िलों और फिर सम्पूर्ण देश में इस योजना को चलाने का काम किया था। देश के अनेक राज्यों में इस योजना के परिणाम भी अच्छे आए। मैंने स्वयं पाया कि उत्तराखण्ड में काम करने वाले सैंकड़ों बिहार के श्रमिक मनरेगा के बिहार में लागू होने के बाद वहाँ से लौट गये। उत्तराखण्ड में प्रारंभ इस योजना को दो ज़िलों और बाद में संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। उत्तराखण्ड के मेरे अनुभव बताते हैं कि इस विशाल योजना को पूर्ववर्ती सरकारों ने लागू तो किया, लेकिन इसके ढंग से चलाने की उनमें इच्छाशक्ति का आभाव था। मांग आधारित इस योजना में सरकारी तंत्र ज़िलों को सीमित बजट देता था। ग्रामीण विकास के केंद्र विकास खण्डों में न तो योजना को संचालित करने और न ही मॉनिटरिंग करने वाला स्टाफ था। इसके अतिरिक्त पूरी योजना सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितताओं व वित्तीय विसंगतियों का शिकार बनी। अकेले उत्तराखण्ड के मेरे जनपद अल्मोड़ा में 5 दर्जन से अधिक गांव हैं जहाँ आज तक मनरेगा का एक भी काम शुरू नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सैंकड़ों ऐसे गांव हैं जहां सरकारी तंत्र ने बोगस जॉब कार्ड बनाकर योजनाकारों को खुश करने के प्रयास किए। योजना जहां 100 दिन के रोज़गार का दावा करती है, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 100 दिन का रोज़गार पाए हों। मेरे लोक सभा क्षेत्र में वर्तमान में योजना के तहत 2 लाख 81 हज़ार 853 जॉब कार्ड धारक हैं यदि 100 दिन के रोज़गार की बात करें तो सरकारी आँकड़ें बताते हैं कि इस प्रकार के परिवारों की संख्या 183 है। जॉब कार्ड दलितों, श्रमिकों, महिलाओं जिन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिलनी थी, को योजना में हाशिए पर रखा गया। काम न मिलने पर किसी श्रमिक को मुआवजा अथवा भत्ता दिया गया हो, यह भी उत्तराखण्ड में नहीं देखा गया। योजना में सोशल ऑडिट की व्यवस्था तो है, लेकिन राजनीति से प्रेरित अथवा अन्य प्रलोभनों के कारण यह काम करने वाली टीमें भी निष्प्रभावी ही रही। अनेक स्थानों पर भारी मशीनों द्वारा काम कराकर उसे श्रमिकों के जॉब कार्डों में दर्ज किया गया तो अनेक स्थानों पर अस्थाई निर्माण कर बजट की बंदरबाट की गई।

उत्तराखण्ड जैसे आपदा प्रभावित प्रदेश जहाँ 2010 की आपदा के बाद आज तक सरकारों ने मनरेगा द्वारा आपदा पुनर्निर्माण का कार्य करने की बातें कही और अनेक शासनादेश भी पारित किए गये, लेकिन आपदा पुनर्निर्माण के तहत मनरेगा का बजट नहीं लगाया गया अन्यथा उत्तराखण्ड का

^{*} Speech was laid on the Table

आज कायाकल्प हो गया होता। पंचायतों के सुदृढ़ न होने, ग्रामीणों में पर्याप्त जागरूकता का न होना, ठेकेदारी संस्कृति के योजना पर हावी होने के साथ संचालित करने वाले स्टाफ पंचायत सचिवों, कार्मिकों आदि के पदों में भारी कमी व सरकारों की अनिच्छा के कारण हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास की इस योजना को पुनः नए संशोधनों व जवाबदेही के साथ शुरू करने की आवश्यकता है जिसमें राज्यों की जिम्मेदारी तय की जाए तथा कर्मचारियों व अधिकारियों की भी ठोस जिम्मेदारी तय कर ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा किया जाए।

*श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) : जैसा कि आप देश के विकास के लिए Digital India, Make in India and Skill Development पर बात कर रहे हो, जो ठीक भी है, परंतु इसे मूर्त रूप देकर हर भारतीय जनता तक पहुंचने के लिए जिसके मार्फत मेरे पास मेरे संसदीय क्षेत्र से एक प्रोजेक्ट है, जिसके संज्ञान के फलस्वरूप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कमीशन, परिषद मंत्रालय इत्यादि में विचाराधीन चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम:-

Research Goverment of India (RGOI)/ Doctrative Lagislative/Sodhpalika,, Under Govt. official Language English है।

जिसके लाभ:-

- 1. गांव-गांव से राष्ट्रीय स्तर तक रिसर्च का माहौल व क्रांति आयेगी।
- 2. सबके पास अपने रिसर्च से अपना खुद का रोज़गार होगा।
- 3. अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे।
- 4. 3-5 करोड़ लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा।
- 5. हमारा भारतीय समाज नया आयाम लेगा, रहन-सहन, खान-पान, शिष्टाचार, पन्चुएलिटी इत्यादि।
- 6. हम विश्व में अपने भारत को सबसे ज्यादा सक्षम, पावरफुल, सांस्कृतिक देश बना लेंगें।
- 7. हमारे देश को बहुत सुन्दर एवं सौन्दर्यपूर्ण भारत बनाने में रूदृध्ह्रुद्धदत्द% डदृडुन्न् लाभकारी सिद्ध होगी।

-

^{*} Speech was laid on the Table

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मनरेगा योजना बहुत ही उपयोगी योजना है। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। लेकिन इसके ठीक से क्रियान्वयन न होने से यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायी है। इससे गाँवों से बेरोजगारों का पलायन नहीं रूका है। मेरे संसदीय क्षेत्र में गांवों में सपरिवार लोगों के पलायन से घरों में ताले लटके देखे जा सकते हैं। यह सब काम के लिए बाहर गए हुए लोग हैं। मेरे विचार से इस योजना में मजदूरी की दरें बढ़ाया जाना चाहिए साथ ही इसके भुगतान में हो रहे विलम्ब को रोका जाना चाहिए। इसके लिए एक सप्ताह से उपर का समय नहीं लगना चाहिए। फर्जी जाब कार्डों की जांच होनी चाहिए। स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए मजदूरी एवं मैटेरियल में 51 % एवं 49 % का क्रमशः रेशियों होना चाहिए। जिससे कि गांवों की गलियां व नालियां बन सके। इसमें भ्रष्टाचार को रोकने की कारगर व्यवस्था होना चाहिए साथ ही इसे अन्य विभागों जैसे वन विमान आदि को इसके धन की कार्यदायी संस्था नहीं बनाना चाहिए। गाँवों में सभी खेतों की मेड़ों को उँचा करने का काम इस योजना से कराया जाना चाहिए।

_

^{*} Speech was laid on the Table.

*श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): भारत में स्वतंत्रता पूर्व से ही अकाल अथवा अन्य विभीषिकाओं के समय रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निर्माण कार्य करवाने की परंपरा रही है। स्वतंत्रता के बाद अनेक रूपों में रोजगार उपलब्ध करवाने की योजनाएं विभिन्न केन्द्र सरकारों ने योजनाएं प्रारंभ की। स्वतंत्र भारत में महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई यह परंपरा अंत्योदय के रास्ते से होती हुई 2006 में देश के 200 जिलों से प्रारंभ हुई, इस महत्वपूर्ण योजना के रूप में हमारे मध्य है।

जिस प्रकार इस की पूर्ववर्ती योजनाओं ने भी लागू होने के बाद समीक्षा के दौर में बेहतरी के लिए नए स्वरूप और या यूँ कहूँ कि और अधिक प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के लिए नए क्लेवर में आयी है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस महत्वपूर्ण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसकी पुनर्समीक्षा व पुनरावलोकन की आवश्यकता है ताकि यह अधिक प्रभावी तथा सर्वव्यापी हो सके ।

धन्यवाद ।

^{*} Speech was laid on the Table.

*डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (बीड) : MGNREGA as the name suggests this Act was deviced to ensure that the unemployed, underprivileged common man of rural India gets an opportunity to work & earn his living from it; which is not only an opportunity but is his/her right.

MGNREGA का जन्म महाराष्ट्र सरकार ने 1972 में बनायी " ग्रामीण रोजगार हमी योजना" पर आधारित है । इस बात का मुझे गर्व है कि इसकी बुनियाद महाराष्ट्र में रखी गयी थी और महाराष्ट्र में MGNREGA काफी अच्छे से चली । मेरा ये मानना है कि इस एक्ट का डाईल्यूशन ना किया जाये । अगर कुछ खामियाँ है तो वो खामियाँ दूर करे, ना की एक्ट को ही दूर करे ।

मैं एक डॉक्टर हूं, अगर किसी का नाखून खराब हो जाये तो हम पूरा हाथ नहीं काट देते, नाखून का इलाज करते है । कुछ सुधार जैसे कि अकुशल; कुशल रेशियो 60: 40 है उसके बदले इसे 51: 49 किया जाये तो लेबरस का भार कम होकर भी काम में रूकावट नहीं आयेगी ।

इसके अलावा जो गड़बड़ी या घोटाले इस योजना के तहत हो रहे हैं उनको रोकने के लिए तिमलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो सोशल ऑडिट की तकनीक अपनाई गयी थी उसे पूरे देश में मैनडेटरी बनाया जाये।

में महाराष्ट्र से आती हूँ जो एक सुखा पीड़ित राज्य है, वहां सैकड़ों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं । इस साल भी ये आकड़ा काफी बढ़ा है । इस साल भी ये आकड़ा काफी बढ़ा है । इस साल भी ये आकड़ा काफी बढ़ा है । इस नैसर्गिक विपदा के समय MGNREGA को डाइलुट करने के बजाय, सशक्त बनाया जाये ताकि सुखे से पीड़ित लोगों को रोजगार का जरीया मिले , लोगों के हाथ को काम और मँह को निवाला मिले । पीड़ित किसानों को सिर्फ मुआवजा देने के बजाय अगर काम उपलब्ध कराया जाये तो उनको और उनके परिवार को काफी राहत मिलेगी

अंततः MGNREGA को डाइल्यूट करने के बदले उसे रिफार्म करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका उपयोग मिलने की व्यवस्था की जाये ऐसी प्रार्थना करती हूँ ।

-

^{*} Speech was laid on the Table.

*श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाने वाला एक अधिकार आधारित मजदूरी योजना है । प्रत्येक परिवार को जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल है, शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन की गारंटी मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत अच्छी योजना है । (2012/35 हजार, 2013/33 हजार, 2014/34 हजार) । लेकिन योजना में कुछ कमियां रहने से तकलीफें बढ़ गई हैं ।

मनरेगा की बारीकियों को समझने पर इस बात का अंदाजा सहज ही लग जाता है कि इसकी सफलता संदिग्ध है । इसके तहत ज्यादातर कच्चा कार्य करने का प्रावधान है । योजना की शुरूआत के दिनों में ही गांव के चारों तरफ की सड़कों पर मिट्टी का कार्य किया जा चुका है । जिस किसी स्थान पर जल संरक्षण वगैरह के लिए कुआं-तालाब खुदाई की जा सकती थी, वह की जा चुकी है । अब गांवों के आसपास कहीं भी कच्चे कार्य करने की गुंजाइश नहीं बची है । जॉब कार्ड बनाए । समीक्षा मंत्रालय ने की तो कुछ कार्डधारकों ने एक दिन भी काम नहीं किया । ऐसे कार्डधारकों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोंड़ों में है । इसका मतलब काम के तरीके में बदलाव लाना चाहिए । नए रूट रेलवे के सर्वे हुए हैं ।

इसके चलते दिन-ब-दिन काम की मांग कम होती जा रही है । जैसी कई जगह 2011/12 52 दिन, 2013/14 में 51 दिन हुआ, इसकी और एक वजह है । पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण अगर किसी ब्लॉक में कम डिमांड के हिसाब से 100 मास्टर जनरेट होते हैं तो स्टाफ 3 लोगों (इंजीनियर) रहते हैं । अगर 7 दिन में पेमेंट करना है । 3 इंजीनियर 100 मास्टर के मेजरमेंट कब लेंगे । मास्टर कैसे बनाएंगे । इसलिए जो मजदूरी 7 दिन में मिलनी चाहिए उसके लिए 2 महीने लगते हैं । बिहार में तो दर्जनें महिलाओं का मजदूरी का भुगतान सालभर से प्रलंबित है । रेग्यूलर जो इंजीनियर है उन्होंने संगठन के माध्यम से मनरेगा का काम करने के लिए असमर्थता जताई । उसमें संशोधन लाना जरूरी है । ऐसी स्थिति में अगर मजदूरी देने में देरी होगी तो ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक दोषी माना जाएगा । उसकी सेलरी से वसूली कर मजदूरी चुकाई जाएगी । इसलिए मजदूरों की नोंद करने के लिए वो आगे नहीं आता । फिलहाल उसपर रोक लगी है ।

कई काम में ये रेषों 49%-51% करना जरूरी है । जैसे कुंआ-तालाब में, क्योंकी अगर रोक लगादी, 40% मजदूरी से काम नहीं होता । इसलिए काम अधूरा रह जाता है । उसमें संशोधन होना जरूरी है ।

_

^{*} Speech was laid on the Table.

मनरेगा संकट 50% काम ग्राम प्रचायत स्तर/सीईओ/बीडीओ/ग्रामसेवक 50% काम एजेंसी जिलाधिकारी/तहसीलदार, कृषि वन सार्वजनिक बांध काम

हालांकि यह रेषो हैं । ग्राम पंचायत 50% है । लेकिन वह 70% काम करता है ।

एजेंसी 50%, वह 30% काम करती है और सारे अधिकार 30% काम करने वाले कलेक्टर और तहसीलदार के पास है । इसमें संशोधन कर जि. पं., सीईओ को अधिकार मिले (उसके काम) । 100 रूपये कंटेनगिरी बिल भी डालता है तो उन्हें जिला कलेक्टर के पास जाना पड़ता है ।

सूचना

- 1. ग्राम पंचायत रेषों 60/40 मजदूरी मटेरियल काम में कमी आई है । बदलाव सोचना जरूरी।
 - 2. कुशल/अकुशल प्रमाण 51/49 करना चाहिए ।
 - 3. 10 ग्राम पंचायत समूह बनाकर एक इंजीनियर नियुक्त हो । शीघ्र मजदूरी मिलेगी ।
 - 4. 365-100 बढ़ाकर 150 करना जरूरी है I
 - 5. वन हक के पट्टे में 150 दिनों से 200 दिन करना जरूरी I
- 6. कुछ इलाकों में किसान को खेत के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते इसलिए पेरणी, घास निकालना, घास का रोपण करना मनरेगा में शामिल किया जाए ।
 - 7. योजना केन्द्र सरकार की है इसमें एमपी का रोल क्या है।

विलंब से किए गए भुगतान के लिए/विलंब के दिनों के लिए 5 प्रतिशत की दर से दी जाएगी । इसके बजाय स्टॉक बढाके वक्त पे भुगतान हो ।

इसी बीच पिछली सरकार मंत्री समह गट ने मनरेगा की कार्य अवधि संख्या बढ़ाकर 100 से 150 दिन किया था लेकिन यहां भी गड़बड़ी की गई । प्रचार ऐसे किया गया जैसे यह व्यवस्था पूरे देश के लिए हो । जबिक यह प्रावधान सिर्फ आदिवासी और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने वालों के लिए हुआ । एक तरफ कार्य दिवस की संख्या बढ़ाकर सौ से 150 दिन कर दिया गया वहां बजटीय आवंटन में वृद्धि मामूली यानी 100 करोड़ रूपये दिए, जरूरत इससे कहीं ज्यादा थी ।

मैं मानता हूं, सभी को पता है इस योजना में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है । भ्रष्टाचार के लिए योजना कैसे जिम्मेदार है । सरकारी कर्मचारी, दलालों और ठेकेदार सरकारी योजना की लूट में लगे हुए है । उनको रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है । लेकिन हमने योजना के कानून इतने सख्त कर दिए की मजदूरों ने काम मांगना ही बंद कर दिया और जहां कम समय में वेतन मिलता है वहां काम करने लगे ।

सरकार मनरेगा आगे भी भली-भांति जारी रखने के लिए अपनी ओर से हर मुमिकन मदद देगी । योजना की पहुंच कम करने के बजाए इसे और आर्थिक, व्यवहारिक एवं पारदर्शी बनने की कोशिश की जाए। मसलन किस तरह से ठेकेदारों और बिचौलियों के चुंगल से श्रमिकों को मुक्त कराया जाए और उन्हें उनके श्रम का वाजिब भुगतान मिले । किस तरह इस योजना के तहत होने वाले कार्य पर कड़ी नजर रखी जाए । किस तरह मजदूरों को ज्यादा उत्पादक कामों में लगाया जाए । जाहिर है इसी तरह से ही योजना के नतीजे बेहतर हो सकते हैं ।

सरकार यदि फिर भी योजना में कुछ संशोधन या बदलाव करना चाहती है । इस विषय में आर्थिक, सामाजिक विशेषज्ञों और सीधी जनता से राय लेनी चाहिए । मनरेगा देश के करोड़ों लोगों के लिए भरण-पोषण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है । सरकार को इस पर कोइ भी फैसला लेने से पहले खूब सोचना चाहिए, विचारना चाहिए वरना सरकार की नियत पर सवाल उठेंगे ।

धन्यवाद,

* SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was passed in 2005 to provide employment to the deserving unemployed youths of Rural area at least for one hundred days in a year. If it is not provided, Government has to pay his remuneration. In this way, it was the first scheme, which was having legal support under the Act. The other object was to create the duration assets.

The MGNREGA started in 2006 covering 200 district of the country. In April, 120 more district were brought under this scheme. On 1st April, 2008 this scheme was given to all the district.

<u>Key Achievements</u>- In the last eight years 1,63,754.41 crores has been distributed directly on wage component only. During this period, 1657.45 crore man days generated and five crore house holds were benefitted. The major port of the beneficiaries from SC and ST commnities 45% to 50% of the beneficiaries are women.

Findings from the Fields-

- 1. MGNREGA provides work when there are limited alternate employment opportunities.
- 2. Increase in agriculture production.
- 3. Water conservation and repairing works of Tanks, canals and drainage were taken under this.

Challenges-

- 1. Low awareness of the programme and public participation.
- 2. Capacity building.
- 3. Quality, durability and usefulness of the assets.
- 4. Delay in wage payment.
- 5. Improper planning.
- 6. Lack of outcome based monitoring.

_

^{*} Speech was laid on the Table.

Although this scheme is excellent but implementation part was poor. Government should review the scheme and following points should also be considered.

- 1. Timely payment of wages through Jan Dhan Yojana bank accounts.
- 2. Genuine unemployed persons should be given the employment.
- 3. Man and Material ration should be 50:50.
- 4. All categories of farmers should be benefitted under Land Development works as well as water conservation works. Even in the digging of wells all farmers should be taken care of.
- 5. Trained staff should be engaged in MGNREGA.
- 6. Corrupt practices should be curbed.

So, in my opinion MGNREGA should be reviewd.

*श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : यू.पी.ए.-1 और यू.पी.ए.-2 सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट-खसोट हुई है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेईमानी का पर्याय बन कर रह गयी है।

जब यह योजना लायी गयी थी तो तमाम लोगों ने इस योजना के पक्ष में कसीद पढ़े थे, कुछ लोगों ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में बेहद क्रांतिकारी कदम माना था। इस योजना को अमलीजामा पहनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि बैसाखियों के सहारे चलने वाली कमज़ोर सरकार में भ्रष्टाचार का दावानल इस योजना के सपने को जलाकर राख कर देगा। अति उत्साही यू.पी.ए. सरकार ने इस योजना के निर्माण के समय केवल कानून बना देना ही इस योजना की सफलता की गारंटी मान लिया, जबिक इसके पहले समेकित ग्रामीण विकास योजना यानी आई.आर.डी.पी. तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का हश्र पहले देखा जा चुका था। मनरेगा योजना का दायरा बड़ा था और इसके लिये निर्धारित राशि भी काफी बड़ी थी, पर राशि का आकार बड़ा होने पर कोई विवाद नहीं है। यू.पी.ए. सरकार यह भूल गयी कि ग्रामीण विकास के लिये धन का स्थानांतरण बढ़े पर इसके लिये उसकी योजना ऐसी बने जिसमें बंदरबांट की गुंजाइश न के बराबर हो और उसका निवेश सामाजिक, आर्थिक तरीके से उत्पादक जरूर बने।

यू.पी.ए. सरकार के तत्कालीन चर्चित ग्रामीण विकास मंत्री जी ने मनरेगा की भुगतान प्रणाली को हाईटेक कर वाह-वाही जरूर लूटी, लेकिन न तो फर्जी मज़दूरी रोकी जा सकी और न ही मज़दूरी में लिया जाने वाला कमीशन ही रोका जा सका। आम जनता से लेकर राजनीतिक वर्ग के सभी लोग यह मानते हैं कि मनरेगा में केवल पैसे की लूट हुई है और इसके कई बड़े साइड इफेक्ट भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले हैं। तमाम अर्थशास्त्रियों ने खुलकर कहा कि यू.पी.ए.-2 के दौरान देश में जो आर्थिक संकट और महंगाई का नज़ारा देखने को मिला है उसकी एक बड़ी वजह मनरेगा जैसी योजना है। अर्थशास्त्र का एक बेहद सरल सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था में निवेश होने वाला पैसा जब उत्पादन न करें तो वह स्फीतिकारी हो जाता है।

कुल मिलाकर यू.पी.ए. सरकार द्वारा चलायी गयी सामाजिक विकास की योजनाएं एक व्यापक विजन, प्रशासनिक यथार्थ और दूरदर्शी सोच के अभाव में महत्वकांक्षाओं को अंजाम नहीं दे पायी और ये सभी योजनाएं पॉपुलिज्म पॉलीटिक्स के शिगुफे ही साबित हुई।

मनरेगा को कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार प्रचारित किया था जैसे इसके आने से बेरोज़गारी समाप्त हो जाएगी और चारों तरफ खुशहाली हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था के अभाव में मनरेगा की भारी

-

^{*} Speech was laid on the Table

लूट-खसोट पर नाराज़ जनता ने अपना भारी रोष प्रकट किया जिसके कारण कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गयी।

मनरेगा के लिए बनायी गयी नीतियाँ ऐसी हैं कि मिट्टी भरों और मिट्टी कोड़ो, इसमें परिसंपित सृजन की नगण्यता साफ झलकती है। मेरा मानना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये धन का हस्तानांतरण और अधिक बढ़ाना चाहिए, परंतु यह बहुत जरूरी है कि इन पैसों से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक आधारभूत संरचना यानी सड़क, बिजली, सिंचाई, बैंक, वाणिज्यिक केन्द्र व सामाजिक आधारभूत संरचना यानी स्कूल, अस्पताल, पेयजल, शौचालय, खेलकूद केन्द्र पर भारी निवेश किया जाए। इन मदों पर किया जाने वाला निवेश स्वयंमेव रोज़गार का सृजन करेगा। इसके लिए जरूरी है कि मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सिंचाई योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, सर्वशिक्षा अभियान व अन्य योजनाओं को मिलाकर सिर्फ एक ग्रामीण आधारभूत विकास योजना का निर्माण किया जाए जिसमें पूंजीगत व सामाजिक दो विभागों में बांटकर ग्रामीण विकास के कार्य को अंजाम दिया जाए तो देश की तस्वीर कुछ और होगी।

यदि यू.पी.ए. सरकार को मनरेगा योजना के तहत नौजवान बेरोज़गारों व ग्राम प्रधानों को मुफ्त पैसे ही बांटना था तो इससे अच्छा था कि ग्रामीण इलाकों के सभी कमज़ोर तबकों वृद्ध, विकलांग, विधुर, बीमार लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उन्हें पेंशन व बीमा सुविधा प्रदान करने का कदम कहीं ज्यादा बेहतर होता, जिसके लिये ये लोग कई बाद दिल्ली की सड़कों पर अपनी दस्तक दे चुके हैं।

हमें यह नहीं भूलना होगा कि देश में अभी जो भी ग्रामीण समृद्धि बढ़ी है उसमें स्थानीय कारकों से ज्यादा बाह्य कारकों का ज्यादा योगदान रहा है। देश के श्रम बाज़ार में मांग और पूर्ति के कारकों की वजह से देश के तमाम महानगरों व औद्योगिक केंद्रों से ग्रामीण मज़दूरों की भारी मांग हुई और बाहर से कमाए गए पैसे ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति और उपभोग बढ़ाने में बेहद ज्यादा कारगर हुई है।

यह कहना कि मनरेगा से ग्रामीण मज़दूरों का पलायन रूक है, यह पूरी तरह गलत है। उदाहरण के लिए दिनांक 23/24 अगस्त, 2013 की रात्रि में जिला बाराबंकी की रामनगर तहसील क्षेत्रान्तर्गत स्थित घाघराघाट पर घाघरा नदी में एक डीसीएम दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें मसहाकला के 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी एवं 07 व्यक्ति लापता हो गये थे, सेमरा टटिहरिया के भी मज़दूर की मृत्यु हो गयी थी। श्रावस्ती जनपद के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री भानुचन्द्र गोस्वामी ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को भेजी अपनी रिपोर्ट संख्या 2096/शि.लि.-जांच/13 दिनांक 28 अगस्त, 2013 में स्पष्ट लिखा है कि उक्त सभी व्यक्ति अत्यंत निर्धनतम परिवारों के हैं तथा सभी व्यक्ति अपने परिवारों की आर्थिक समस्या के दृष्टिगत दैनिक मज़दूर के रूप में कार्य करने के लिए लखनऊ जा रहे थे।

मेरा मानना है कि मनरेगा में 100 दिन की मज़दूरी भी मनमाने ढंग से दी जाती है और उसमें कमीशनखोरी इस कदर व्याप्त है कि मज़दूर के हाथ 50 प्रतिशत से अधिक मज़दूरी नहीं आ पाती है, वास्तविक मज़दूरों को मज़दूरी मिलती ही नहीं है, अतः मज़दूरों को आज भी अपने गांव से लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, लुधियाना आदि तमाम शहरों में मज़दूरी के लिए भटकना पड़ता है जो मज़दूर परिश्रम करके पूरे साल सुदूर ही सही अच्छी खासी कमायी कर लेते हैं उन्हें 100 दिन बिना काम किये आधे-अधूरे भुगतान के माध्यम से गांव में रोके रखकर एक भ्रांति कायम की गयी है। मनरेगा में या तो आमूलचूल परिवर्तन करके पूरी तरह पारदर्शी और वास्तविकता के धरातल पर लाया जाए अथवा इसे बन्द कर दिया जाए। इस बात से कभी इंकार नहीं किया जा सकता कि हम मज़दूरों के जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी के लिये मनरेगा को जिम्मेदार नहीं मान सकते यह उनके पास बाहर से कमाये गए पैसे की वजह से ही हुआ है।

यदि देश के हर ज़िले में एक ग्रोथ सेंटर पूरी योजना के तहत स्थापित होता है तो यह बहुत बिढ़या कदम होगा। जिस तरह से हर ज़िले में हम आई.टी.आई. के जिरये कौशल विकास की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देश में विकास केंद्रों की बात करें तो बहुत अच्छा कदम होगा पर इसके लिये यह जरूरी है कि नीचे के स्तर से मनरेगा जैसी योजना को निर्मूल कर ग्रामीण आधारभूत विकास योजना को ग्रामीण विकास का मूल बनाया जाये। हमारे ग्रामीण विकास का मूल मंत्र इन चार कार्यक्रमों में ही छिपा है:-

- 1. आधारभूत संरचना विकास
- 2. मानव संसाधन विकास
- व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसमें नकद पेंशन के साथ निर्धन निराश्रित बेघरों के लिए शौचालय युक्त आवास तथा
- 4. इन तीनों योजनाओं के जरिये अधिकतम रोज़गार सृजन का अभियान।

मनरेगा में किस हद तक लूट-खसोट हुई है, इसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद बलरामपुर में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री एस.एन.दुबे के कार्यकाल में सात लाख रूपए का फर्स्ट एड किट, डेढ़ लाख रूपए के कैलेंडर, छह लाख की लागत से पानी की टंकी का निर्माण, अस्सी लाख रूपए में टैंट की खरीद से जाहिर होता है।

जिला सोनभद्र में डी.एम. श्री पंधारी यादव के कार्यकाल में 250 करोड़ रूपए मनरेगा में हुए खर्च की जांच में भारी-भरकम गड़बड़ियों का जखीरा मिला। कई जगह चेकडैम कागज पर ही बने पाए गए। ज़िला गोंडा में मनरेगा का कोई तो नहीं हुआ पर दो करोड़ रूपए के खर्च फावड़े की खरीद में जरूर दिखा दिए गए।

यह तो महज कुछ बानगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना यानि मनरेगा हक़ीकत में भले ही यह ग्रामीणों को रोज़गार की पूरी गांरटी न दे पायी हो पर कुछ मुट्ठीभर भ्रष्टाचारी अफसर, नेता और दलालों की तिजोरी भरने की सौ फीसदी पक्की गारंटी देने वाली योजना साबित हुई है। मनरेगा विभाग से जुड़े सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि पूरे यू.पी. में कहीं भी कारगर तरीके से जांच करा लीजिए, मनरेगा में भारी-भरकम घोटाले की पक्की गारंटी है।

भ्रष्टाचार और लूट-खसोट की जननी बनी मनरेगा की दुर्दशा देख आखिरकार उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। सरकारी मशीनरी का ढुलमुल रवैया देख हाईकोर्ट ने यू.पी. के हर ज़िले में मनरेगा की जांच का आदेश दे दिया। जांच का फरमान होते ही शासन-प्रशासन से लेकर बिचौलियों के बीच हड़कंप मच गया था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में 50 हज़ार करोड़ रूपए घोटाले की भेंट चढ़ गए हैं। इतनी भारी-भरकम रकम को चट कर जाने वाले और कोई नहीं बिल्क बिचौलिए, बेईमान अफसर और नेता ही हैं। बगैर इनकी मिलीभगत के घोटाला करना दूर इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जांच एजेंसी का मानना है कि जांच का फंदा सैकड़ों ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, बी.डी.ओ. से लेकर बड़ी तादाद में पी.सी.एस. और आइ.ए.एस. अफसरों की गर्दन तक पहुंचने वाला है।

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में ही सात ज़िलों में सी.बी.आई. जांच का आदेश दिया था। महोबा, सोनभद्र, कुशीनगर, गोंडा, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, बलरामपुर में जांच हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। साठ फीसदी से ज्यादा सामानों की खरीद सिर्फ कागज़ों पर दिखाकर रकम हज़म कर ली गयी। कई जगह फर्जी भुगतान के बिल पकड़ में आए तो कई जगह बाज़ार से कई गुने महंगी दर पर समान खरीद के मामले सामने आए। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में हज़ारों करोड़ रूपए के घोटाले की आशंका जाहिर की गई। डी.एम., डी.पी.आर.ओ., सी.डी.ओ., डी.डी.ओ., बी.डी.ओ., सेक्रेटरी से लेकर ग्राम प्रधान तक बाकायदा इसमें शामिल पाये गये।

मनरेगा के तीन नकारात्मक बिन्दु भी सामने आए हैं। पहला यह है कि इसके अंतर्गत गांवों में ही विकास कार्य कराए जाते हैं, जबिक गाँव में उत्पादक कार्यों की संभावनाएं सीमित होती हैं। गांव में तालाब एक बार ही खोदा जा सकता है, बार-बार खोदने का तो केवल स्वांग ही रचा जा सकता है। सड़क पर मिट्टी डालने का काम भी ज्यादा हो जाए तो सड़क कमज़ोर हो जाती है। मतलब यह है कि मनरेगा में नदी के किनारे चेकडैम बनाने जैसे व्यर्थ के कार्य करवाए जाते हैं, जिससे हमारी अर्थशक्ति अनावश्यक कार्यों में क्षय हो रही है।

मनरेगा के इस नकारात्मक पक्ष के प्रति सरकार की उदासीनता का कारण यही लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का पहला उद्देश्य सत्ता पर बना रहना होता है। इसलिये सरकार मतदाता को उलझाए रखना चाहती है ताकि वह हमेशा सरकार के चारों ओर चक्कर लगाता रहे। दरअसल, सरकार की

अंदरूनी मंशा गरीब को गरीबी से उबारने की नहीं है बिल्क उसे गरीब बनाये रखने की होती है। जैसे यदि सरकार लाभार्थी को सीधे 10,000 रूपये प्रित वर्ष दे दे तो लाभार्थी को सरपंच के चक्कर नहीं काटने होंगे बिल्क वह इस रकम से सरपंच की धांधली को उज़ागर करेगा। अतः सरकार ने युक्ति निकाली है कि नकद के स्थान पर रोज़गार दो तािक लाभार्थी सरकारी तंत्र पर ही निर्भर रहे। दरअसल मनरेगा गरीब को परावलम्बी बनाने का एक नुस्खा है और यू.पी.ए. सरकार इसमें कामयाब भी हुई थी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से मनरेगा के स्थान पर ऐसी योजना लाई जाए जिसमें सरकारी धन की लूट-खसोट को रोका जासके, परिश्रम करने वालों को उचित मज़दूरी मिले और सरकारी धन वहीं खर्च किया जाए जहां खर्च की आवश्यकता है। सरकारी धन से जो भी काम करवाया जाए उसका आधुनिक पद्धित से पूरा-पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, उसकी गुणवत्ता की जांच परख सही ढंग से की जाए ताकि काम टिकाऊ और उपयोगी हो, श्रम का सही उपयोग और धन का आवश्यकतानुसार उपयोग ही ग्रामीण अंचल को खुशहाल बना सकता है।

एक मानक तैयार करके ग्रामीण इलाकों का इस प्रकार विकास किया जाना जरूरी है जिससे गरीब जनता को अपने घर के निकट ही रोज़गार मिले और निरंतर रोज़गार मिले जिससे वह अपने जीवन स्तर को सुधार सके, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके।

मनरेगा पर लगी भारी धनराशि के अधिकांश भाग का दुरूपयोग होने के कारण मेरा यह मानना है कि मनरेगा योजना पर लगे तमाम धब्बों के कारण इसे बंद करके नयी योजना क्रियान्वित किये जाने की अति आवश्यकता है।

*SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The Union Minister of Rural Development had said that there is a need to strengthen MGNREGA rural job scheme as it has led to empowerment of poor people in the villages and also after taking charge of the Rural Development Panchayat Raj and Drinking Water Sanitation, which is highly essential for the survival of poor people in the rural areas. The valuable suggestions have come referring to rural job schemes and all necessary steps will be taken to. Strike a right balance between creation of jobs and building durable assets through this MGNREGA scheme. some new works also be added to the scheme. However, I acknowledge that if the above cited planning may have some problems in implementation and the Government will try to rectify the same. The issue of impending changes in the Land Acquisition Act will be made to bring about consensus on the issue added that the Government is not against industrialization. That the interest of the farmers should not be compromised at any cost. I am not in favour of acquisition of multi-crop lands.

There is a very good suggestion of building toilets in rural areas will be taken on war footing and massive awareness campaign will be launched for behavioral change as far as sanitation and cleanliness are our concern and this should be done on priority basis. 78,000 villages and habitation facing the problem and also that international expertise will be applied to solve the problem. There is no plan to dilute MGNREGA.

The Ministry has also undertaken a number of initiative with other Ministries/Departments for effective implementation of Mahatma Gandhi NREGA. Some of the major convergence/collaborations are:

Construction of individual Household Latrines (IHHL) under Nirmal Bharat Abhiyan of Ministry of Drinking Water and Sanitation.

Construction of Anganwadi Centres as a convergence project with the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme of Ministry of Women and Child Development.

^{*} Speech was laid on the Table.

Registration of work demand of MGNREGA workers through Anganwadi Sahayikas.

Convergence with Department of Sports and Youth Affairs 'Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan (PYKKA) scheme for construction of village playfield.

Convergence with Integrated Watershed Management Programme of Department of Land Resources.

Discussion are being held with Department of Electronic and Information Technology to expedite internet connectivity at GP level.

Regular review meetings are held with officials of UIDAI for seeing of ADHAAR numbers of MGNREGA workers in NREGA Soft.

No matter what is in the name of the poor scheme? You implement it successfully to see better India according to Mahatma Gandhi's philosophy, then it would be successful if this scheme is implemented.

As far as my constituency is concerned, I would like to draw the attention of the Minister to pay special attention to the Rural Poor who are living in the biggest villages of my constituency which are Bhusandupur, Kantala Bai, Sundarpur on the tangi block of Khurdha district of the state Odisha. This scheme should be implemented where the people are living below the poverty line.

*SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): The MGNREGA was enacted in 2005 with an intention to guarantee minimum 100 days employment for the rural people. This is a flagship programme. Though the Act was passed in 2005, yet its implementation came only in 2008-09. Roughly about 18,000000 crores rupees has been paid for this scheme since it took off in 2008-09. Going by the national figure more than 50% of the workers are women and about the same percentage as of SC and STs.

In my opinion this flagship scheme is very essential one, which aims at reducing migration of unskilled workers to towns and cities. Though a small amount is paid as daily wages, yet for a have not, it serves as great succour for his survival. It provides livelihood to the rural poor and curtails starvation for the rural poor.

With the growing pressure on the towns and cities, it is high time the Government raise the daily wages so that a poor can meet the rise in prices.

This year also our Government has provided Rs. 34000 crores for this scheme. But, what is tragic, particularly for any state, Assam is that state where only 19 days a year is the average work day under this scheme and my district, it is still poor at 13 days a year.

Corruption in Assam has eaten at the roots of this scheme. The job-card holders are not given work and not paid. There is a unholy nexus amongst the officials of the PRI institution, some politicians and bank officials they have to a great extent frustrated the scheme.

I know many cases in my constituency, Tezpur that many of the jobcard holder are not paid wages since 2009. The work done is in papers only. Some work is shown executed time and again and the money swindled by a section of corrupt officials.

The system of vigilance and monitoring is too slack. The vigilance system should be made more vigorous. The District Collectors should be made responsible for proper implementation of the scheme.

^{*} Speech was laid on the Table

Though Members of Parliament are Chairman of the Vigilance and Monitoring Cell of the District, their writ does not run in ground level. The Government officials chose to go by their own system and style.

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteering hundred days of wage-employment in a financial year to a rural household who volunteer to do unskilled manual work. But the way the NDA Government is going to scrap the Act itself on the halfway is not at all a welcome step particularly in respect of the poorer states of this country. They argue that the real ideology behind the concept is pro-poor though the mechanism to some extent has been failed to implement it properly. In this regard, I would state some of the points like the poorer states spend lower per-capita on MGNREGA, have higher vacancies, lower staff motivation with limited technical capacities and are therefore unable to meet the demands of the programme. This will only be resolved by putting an effort to strengthen administration and local governments to deliver the scheme, which the NDA Government is claiming since its new Avtar. Then where is the flaw of the scheme? It is necessary in part of the NDA Government to ensure efective implementation of the Scheme.

Of course there are serious problems of corruption and weak implementation both in poor and non-poor States particularly in Congress regime. There is ample evidence that the poor often receive less their share of wages, that payment is delayed and that corruption in the use of material in MGNREGA work sites is on the increase. But it is pertinent to reform it with a view to re-structure MGNREGA rather than scrapping it.

If it is actually not so helpful to the rich States then restrict the scheme only to the backward states like Odisha, Bihar, Jharkhand, Chhatisgarh, North Eastern States. The way we are taking about the use of machines definitely put some hindrance in order to employ unskilled labour. This may lead to further rationing of work, especially in poorly governed states. In my view we should take a formidable step to ensure more effective devolution of powers to Panchayats so that they will have real authority to identify infrastructure works and plan for MGNREGA expenditure, which today is determined almost

_

^{*} Speech was laid on the Table.

entirely by the diktats of the Central Government and the whims and fancies of the district magistrates.

In my view, it is not ideal to scrap the scheme. it is always to find the solution to make the scheme more efficient and people friendly and employment generating tool in poor states.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Sir, the discussion was on 'reported dilution of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.' More than 20 hon. Members have participated in this discussion.

Sir, you would recall that this Act came into existence during the UPA Government. In the first year -- when the UPA was in power -- the allocation made under this Act was Rs. 40,000 crore; and it was slashed to Rs 33,000 crore. So, it is very clear now and the allegation, that we are reducing the funding under this Act, has absolutely no base. Rather you would appreciate that in the last year, our Budget allocation was Rs. 33,000 crore.

There are four or five issues which all the Members have raised. One is the apprehension that it is being diluted. The other is that the 60:40 ratio is also being reduced. The material component is being increased and the labour component is being decreased. The third thing is that MGNREGA may not continue. This is also one of the arguments.

Sir, you would appreciate that till 31st October, the allocation of funds, which were released to different States, was Rs.26,711 crore which was to be given to different States. We have also cleared about Rs.2017 crore to nine States for clearing pending wage component. That was our priority. Those States, which were asking about the allocation of the required funds, were alleging that funds are not being released. In the last two weeks, we had released the amount to nine States.... (*Interruptions*)

This is a fact that this is a demand-driven scheme and allocation to different States is not the criterion. The criterion is demand-driven. But whenever complaint comes to us that workers are not being paid for two months or three months, the blame is put on us. In the Act itself, it is prescribed that no payment would be delayed for more than 15 days. Precisely, what has been mentioned is seven days but it can be released up to 15 days.

So, generally, the blame is put on the Ministry of Rural Development, Government of India that we do not expedite the payments. But this is not exactly the correct position. Whenever some demand comes for the release of fund, if all the parameters are not met, if there is no audit report with us and the other procedure, which is to be followed for the clearance of the demand, is not followed, we cannot do it. So, by and large, the States are mostly responsible that while sending, either they do not send the complete details in the format prescribed or they may delay it on their own part.

But still I would say that there are certain things which require a re-visit of the Scheme itself. When we talk of 100 days of labour, the last 4-5 years experience of ours is that only we could touch 50 days in a year. That is the achievement up-till now. So, let me tell the House that out of more than 13 crore identified cardholders, all of them have not been provided with employment but only 5.6 crore cardholders have been provided with employment. One thing is that someone is requiring the employment for 30 days; and some other person may be requiring it for 40 days. By this, if everybody is to follow that, then naturally 50 per cent of the man-days are still to be utilised.

The next issue which is very pertinent and which most of the Members have raised is about poor quality of assets. It has been thought that poor quality can be improved only when the ratio of material component is enhanced from 40 per cent to 50 per cent. Even some Members have demanded it to be increased up to 60 per cent.

If you see till now the utilization of material component is only 24 per cent and labour component is 73 per cent. Hon. Members are pleading that labour component should be reduced. They can see from the data that 73 per cent of the component is still utilized for labour. There is also a demand that under MGNREGA the component of material may be increased from 40 per cent, but if we cannot utilize more than 24 per cent, I think, there is no argument in saying that it should be increased.

We have issued certain guidelines to increase the quality of the assets created. We have given instructions to have convergence plans. The convergence plan has been a great success and 21 States have come forward with this. For the rest, we have been trying to make them understand that this is the only way in which you can create good and quality assets.

You would also appreciate that our release was Rs.26,710.96 crore and through convergence we have been able to add Rs.15,000 crore more to the works which were undertaken under MGNREGA. It means that 35 per cent of the convergence from line Department has improved the quality. It has also broadened the activities or the jurisdiction of the MGNREGA itself. This has paid us to a great extent also.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is meant by convergence?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Convergence means, suppose there is a water channel, which needs to be constructed by Irrigation Department and the Irrigation Department provides only Rs.4 lakh for that, with this Rs.4 lakh it is not possible to have that water channel. So, we have decided that the earthwork would be conducted under MGNREGA and its payment would also be made under MGNREGA. The rest of the component, which consists of material, can be used for the water channel. That is the purpose of convergence.

My esteemed friend Shri K.H. Muniyappa was very particular that this scheme was the creation of the previous Government. The Act in this regard was enacted by the previous Government. I would like to remind my esteemed friend that this is not the position. The entire House was unanimous for its enactment, which means 120 and odd sitting Members from BJP were also supporting this enactment. So, you cannot make out that this is the creation only of the UPA Government. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is not fair. ... (*Interruptions*) You should give credit to the Government that has brought the Act. ... (*Interruptions*) You have supported it because it is a good Act. You do not have the courage to oppose it. ... (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Why do you doubt the intention of the present Government? All that I am saying is that the main Opposition Party in the last Lok Sabha, that is, BJP and other Parties also were unanimous on this and one on this that the enactment of MGNREGA is for the poor of the country. So, the credit part is not the monopoly of yours.

As for your saying that I am here becoming junior and I was very senior in the Congress Party, Muniyappaji, I know that at least for the last 30 years you are the most senior leader from Karnataka and that too from Scheduled Caste, but Congress never gave you that status.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): It has given everything for me.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: A man who has been a Member of Parliament six times ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, let us discuss about the 193. ... (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Should I explain? ... (*Interruptions*) I served the Congress Party to the best of my ability for 40 years together and they did not give me, and this Party made me Cabinet Minister in 40 days. What do you want more from me? ... (*Interruptions*) Muniyappaji wanted a reply from me, and this is the time that I should give a proper reply to you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Muniyappaji is a very good friend of yours, and he perhaps prompted you to put it on record that whatever you are today is because of Bharatiya Janata Party. Hence, he wanted you to say it. ... (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: No. There are certain Congress friends of mine, and they have said that you had the guts to take a decision and we did not have the guts to take a decision. ... (*Interruptions*)

Secondly, I would also say that there are certain areas about which we should think as to how the scheme can be more effective and can be implemented for most of the backward areas where it is needed. They mentioned about a notification dated 21 July 2014 from the Government and

stated that the scheme would be implemented in 200 districts and 2,500 blocks, and the rest of the blocks / districts would be out of MGNREGA. This is not the exact position. The exact position is very clear. As per IPPE, the blocks, where it was assessed by independent agencies that these are the blocks in the country where the scheme is to be intensified, and where poverty and other facilities for the population of those blocks requires more funding and more intensive care of those blocks, we have decided that these 2,500 blocks would be taken care of and given more priority for allocation of funds, but rest of the districts or blocks would be very much within the competence. They would remain as part of MGNREGA, and there is no other thing to it. ... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: If you want to intensify, are you increasing the budget allocation for the MGNREGA from the existing Rs. 34,000 crore?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: That you would see when the Budget is presented. I cannot comment on it at this time.

SHRI K.C. VENUGOPAL: The Finance Minister is here.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: The Budget will be presented in the month of February. Let us have that exercise first.

You should also acknowledge that 68 per cent population of our country lives in villages. The way we treat this population should be given the top priority in terms of housing, connectivity and any other thing which can make their lives better. This budget proposal may be explained in the next Session. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him complete his speech. Afterwards, you can raise it. I will allow you to speak.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: I want to know whether it will be continued in all the districts where it already exists. That is the only thing I want to know.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: One more important thing is delay in payments. The other important thing is that there were complaints where workers have worked about forged job cards and all that. We have streamlined the entire system. Now, the money would be directly credited into the account

of the beneficiary, and there would not be anybody in between. I cannot say whether the accounts are forged. However, as far as releasing funds and crediting the money into the account of the beneficiary are concerned, we have taken care of them.

There would be social auditing also. In certain parts of the country, social auditing has been appreciated like anything. I have a similar experience from the same area. I have noticed that *Sarpanches* can also be influential. If the *Gram Sabha* takes notice of this and are not driven by what the Panchayat says, if the *Gram Sabha* decides as such, then social auditing can be very effective. This has been done in the case of Andhra Pradesh and in some other States also. As far as Madhya Pradesh is concerned, they have appointed one Chartered Accountant for six to eight *Gram Panchayats* who would find out whether the accounts are being maintained properly, and he could also find out from the *Gram Sabha* whether funds are being utilized in the right manner. This is one step which we have taken.

As I have told you already, there are more than five crore rural households and 10 crore workers, and one in every three rural households is a worker under this programme. It addressed at least 41 per cent of the problem of unemployment in rural areas.

Sir, the latest guidelines which we have given to the States is that 60 per cent of this MGNREGA component would be utilized in agriculture and allied agricultural activities.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, how much time do you need to complete your reply?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, I will complete it in two or three minutes.

HON. DEPUTY SPEAKER: We will extend the House till the Minister's reply is over. Hon. Members, you can also raise your queries.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, Sixty per cent of the total expenditure shall be towards creating assets directly linked to agriculture and allied activities in the rural areas. This will allow flow of more investments into the sectors like irrigation.

Soil fertility management is the second consideration. We want that fertility should be maintained. Water conservation and afforestation will improve productivity. When productivity is improved, there are more chances of employment. When productivity is increased, villagers can rely on agriculture. If productivity is increased by 5 per cent or by 10 per cent, then it will not be a help to farmers. They will have to adopt other methods like biotechnology and all that. If we are in a position to create some green houses for small farmers, their income can be multiplied. It can increase their income by three to four times more than what it is now. There is a simple procedure for the certification of the organic crop. That can also increase the income of farmers.

I am in Delhi for the last 30 years. In the month of February, wheat from Madhya Pradesh which is only rainfed, comes to the Delhi market. Its cost is two to three times more than what the other States' wheat is because Madhya Pradesh's wheat has got the certification. It may not be a certification given by the Government but it is a public perception that this wheat is rainfed. So, no chemical fertilizer is used in the production of that wheat. This type of atmosphere has to be created. That is why, we want to make full use of

MGNREGA. This is the only way. When 60 per cent component of MGNREGA is used for allied agriculture, it would improve agricultural production.

I would say that certain States including Kerala and Madhya Pradesh have come out with certain suggestions that there should be some more sections of the village society which should be included in MGNREGA. There is also a proposal for dairy production. One of the proposals is that while doing harvesting and sowing, the farmer should also be paid some allowance if he is a marginal or small farmer. He should be paid from MGNREGA so that the cost of his production will go down. If you take the farming community, there may be 20 to 25 per cent of the total farming community which is in a position to have surplus and can send it to the market for selling. But the rest 75 per cent of the farming community grow for themselves. They consume of their own. So, they cannot be a partner of MSP. This is another way to help farmers. In that situation, we have realized that MGNREGA would go a long way and the apprehension in the minds of our friends that blocks are being reduced, districts are being taken out of MGNREGA, the component of labour is also reduced is not there. If we think, at any point of time, that certain thing not in the interest of the poor man, we would certainly go for a change.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kharge ji.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Please yield for a minute.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have to always yield for the Parliamentary Affairs Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There was a mistake in the morning Resolution. Instead of 2008, it was printed as 2011. The record has been corrected.... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: That was pointed out by me. ... (*Interruptions*) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: But that has to go on record.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: हमें ऐसा बोल दिया इसिलए हम रेज़ नहीं कर रहे हैं। You have raised it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have not raised it. I have to put it correctly. Shri K.C. Venugopal first pointed it out.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय उपाध्यक्ष जी, फाइनेंस मिनिस्टर भी यहां हैं और बीरेन्द्र सिंह जी यहां हैं। मंत्री जी को एक स्पष्ट बात को स्वीकार करना होगा कि मनरेगा राइट बेस्ड प्रोग्राम है। ... (व्यवधान) जहां डिमांड रहती है, मिनिमम 100 दिन देने का वायदा ही नहीं है, यह कानून में है। यह अधिकार है इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप चाहे जिस जगह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरी चीज यह है, आपने खुलासा कर दिया है कि 2500 ब्लॉक्स में ही नहीं सारे ब्लॉक्स में काम होगा। यह क्लेरिफाई कर दिया गया है। आपने इसके लिए 34000 करोड़ रुपया रखा है, 49 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेंट जाएगा। लेबर कम्पोनेंट के लिए पैसा कम रहेगा और 2010-11, 2011-12 या 2012-13 में जो वेज़ेस थे, आज के लेबर इंडेक्स के मुताबिक यह 132 से 190 रुपए तक हो गया है। जब 190 रुपए तक वेज़ेस देते हैं तो उसके तहत मैन डेज़ कम होते हैं। आपने 39,000 करोड़ रुपए का टार्गेट रखा है, मोर ओर लैस इस टार्गेट को अचीव करने के लिए लेबर कम्पोनेंट में ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर 49 परसेंट भी करें तो इसका बजट बढ़ाना होगा। 34,000 करोड़ रुपए से लेकर 50,000 करोड़ रुपए कीजिए, 49 परसेंट कीजिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No comments. Shri Jagdambika Pal ji, please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : मेरा कहना है कि जिस राज्य में डिमांड है या जहां 100 दिन काम देना जरूरी है, वहां के लिए बजट कम है, अलॉटमेंट इतना ही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसी कम्पलेंट बहुत से राज्यों से आई है कि उनको पैसा नहीं मिला। आप यहां बोल रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आप स्टेट में जाएं, हर राज्य से पृष्ठिए, वहां पैसे की कमी है।

_

^{*} Not recorded.

तीसरी बात, यह इतनी महत्वपूर्ण है, इसिलए इसे मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। इस सदन के सीनियर लीडर श्री एल.के. आडवाणी, अक्तूबर, 2009 में जब यू.एन. जनरल असेम्बली में वष 2012 में गये थे तो उन्होंने कहा-

"The NREGA programme has helped breakdown social inequalities, empower rural people, build up rural infrastructure and review economic growth."

यह तो उनका कहना है और यह सबका कहना है। इसके पूरक, आप वहाँ पर पैसे नहीं लगाते हैं। आप कहते तो हैं और उसके तहत पहले जो राशि 52 हजार करोड़ रुपए थी, अब 41 हजार करोड़ रुपए हो गयी है, फिर 39 हजार करोड़ रुपए हो गयी और आज यह 34 हजार करोड़ रुपए पर आ गयी है। उसमें भी 49 प्रतिशत मैटेरियल कंपोनेंट है। ...(व्यवधान)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : शायद में आपको समझा नहीं सका। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के लेवल पर जितने भी काम होंगे, उसमें लेबर कंपोनेंट 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यह हमारी एक गाइडलाइन है। दूसरा, जो काम ग्राम पंचायत नहीं कर सकती थी, जो ब्लॉक लेवल पर होते थे, उन कामों पर भी ऐसा था कि उस ब्लॉक के सारे काम मिलाकर यदि 60-40 प्रतिशत का कंपोनेंट हो तो ठीक है। हो सकता है, एक में मैटेरियल कंपोनेंट 60 प्रतिशत लग गया हो और दूसरे में लेबर कंपोनेंट 90 प्रतिशत लग गया हो। अब हमने ऐसा किया है कि जिलास्तर पर जो ग्राम पंचायतें काम नहीं करेंगी, जो काम लाइन डिपार्टमेंट या कांट्रैक्टर या किसी अन्य के माध्यम से होते हैं, उनमें टोटल तो 60-40 प्रतिशत ही आएगा, लेकिन, हो सकता है उस जिला में सौ काम हुए हों, उनमें से 60 प्रतिशत कामों में labour component is prominent और 40 प्रतिशत कामों में हो सकता है कि मैटेरियल कंपोनेंट प्रौमिनेंट हो। लेकिन यदि जोड़ किया जाएगा तो लेबर कंपोनेंट 60 से कम नहीं माना जाएगा। ये गाइडलाइंस हमने दिये हैं।

आपकी दूसरी क्वेरी थी कि मिनिमम वेजेज कई राज्यों ने बढ़ाये हैं। 34 राज्यों के मिनिमम वेजेज हैं, इनमें मनरेगा के तहत कितना है? उनमें 14 राज्य ऐसे हैं जो मनरेगा के जो वेजेज हैं, वे वहाँ के स्टेट वेजेज से ज्यादा हैं। यदि आप कहें तो मैं उनके नाम आपको पढ़कर सुना दूँ। इनमें अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी हैं।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: यदि उसके तहत पैसे रखते हैं, तो ठीक है। मेरा जो तीसरा मुद्दा था, उसके बारे में आपने नहीं कहा। हम जो 34 हजार करोड़ रख रहे हैं, यदि आप कुल मिलाकर देखते हैं और

पिछले आंकड़े भी देखते हैं तो आपका टारगेट मैनडेज़ कम है। क्योंकि पाँच करोड़ हाऊस होल्ड्स हैं, उनमें से आपका टारगेट 3.9 करोड़ है। इसलिए मैं चाहता हूं, यदि डिमांड ज्यादा आया तो इसके लिए एक प्रोविज़न इस साल के बजट में या सप्लीमेंट्री बजट में लाना ही था। लेकिन बहुत सी जगहों पर आपने मनी रिलीज नहीं किया, जिसके कारण वे पैसा खर्च नहीं कर पाए। यहां से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, इसीलिए आप पैसा रोक देते हैं। अगर आप हर स्टेट को पैसा एडवांस में रिलीज कर दें और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, एक महीना, दो महीना लेट भी हुआ, तो आप, बाद में, ऑडिट के समय, मार्च में उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जहां-जहां, जिस-जिस स्टेट में यह पैसा रुका हुआ है, उसे जल्दी से रिलीज कर दीजिए और इन-एडवांस आप पैसे भेजने की कोशिश कीजिए।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष जी, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और पश्चिम बंगाल में मैंने "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के तहत, नक्सलवाड़ी के एक ब्लॉक हाथीघीसा को चुना है। जब मैं अपने प्रोग्राम को वहां लाँच करने गया, तो मुझे पता लगा कि पिछले 6 महीने से उस ब्लॉक में मनरेगा की वेजेज के पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। लोगों के पैसे पैंडिंग पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में, कई जगह, लोगों से, मजदूरों से, जॉब कार्ड के अगेंस्ट काम करा लिया गया है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिये गये हैं, जिसके कारण लोगों में बहुत नाराजगी है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है कि क्या आप सांसद ग्राम योजना के तहत, जो ग्राम पंचायत आती हैं, उन्हें मैनडेटरी करेंगें कि वहां मनरेगा का पैसा नहीं रुकेगा।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy Speaker Sir, I would like to raise only one question. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow only one person from each party to speak.

DR. P. VENUGOPAL: You have already told the House that dairy should be included in the scope of work of MGNREGS. There is a demand for coir industry that they should also be included in the scope of work under MGNREGS. The Kerala Government has already requested for dairy and coir industries to be included in the scope of work in MGNREGS. Will the Minister consider including dairy and coir industries in MGNREGS?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Hon. Deputy Speaker Sir, the initial purpose of this MGNREGS was to enhance the livelihood security, to create productive assets and to strengthen grassroots democratic setup. These are the three major things. During the NDA regime of Atalji, Vigilance and

Monitoring Committee came into existence under Rural Development Ministry.

We want to know what productive assets are being created in MGNREGS? Are you maintaining any register at district level, state level or Union level for keeping record of the productive assets which are being created? Can you give us the status of the productive assets which have been created during the last three years or is it just getting washed away? Lakhs of crores of rupees are being spent in MGNREGS. My only concern is whether any productive asset is being created and whether we are keeping a register at some level for this purpose.

PROF. SAUGATA ROY: Hon. Deputy Speaker, I thank the hon. Minister for clarifying several misgivings we had about MGNREGS. The Finance Minister said earlier and he also emphasized that there will be no dilution of MGNREGS. In spite of the circular that was issued, you have mentioned that in 2500 blocks you will be concentrating on improving and strengthening MGNREGS.

The other thing you clarified is that the proportion of wages and materials would continue to be 60:40. You also clarified that there will be no slash in the budgetary allocation of Rs 34,000 crore which was announced in the Budget. I thank you for the same. But till last week, several States including West Bengal had a lot of arrears in MGNREGS. In West Bengal, the total arrears were to the extent of Rs 1,034 crore. I cannot tell the status upto this week, but till last week in many places job card holders were not getting wages. I am told that several other States like Karnataka also had arrears of MGNREGA allocation. They are saying that the condition is the same in Kerala also. I would like to know from the hon. Minister whether all the dues of arrears to the States with regard to payment of wages from MGNREGA, to the job card holders have been cleared. If so, when was it and if not, when will it be cleared?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे कि 60 और 40 का रेश्यो रहे। पहले ग्राम सभाओं के लेवल पर करते थे। अब 60

परसेंट लेबर कम्पोनेंट रहेगा, 40 परसेंट मैटिरियल कम्पोनेंट रहेगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में कोई ऐसा काम नहीं रह गया है, जिसमें लेबर कम्पोनेंट को ज्यादा किया जाए। क्या इसको मैटीरियल कम्पोनेंट से जिससे स्थायी परिसम्पत्तियां गांव में निर्मित हो सकें, उस स्थायी परिसम्पत्तियों को देखते हुए मैटिरियल मैनेजमेंट का कम्पोनेंट 60 परसेंट और लेबर कम्पोनेंट 40 परसेंट किया जाए और दूसरे विभागों में डवटेलिंग के लिए दिया जाता है, लेकिन वहां मैनुअल काम नहीं होता है, बल्कि मैकेनिकल तरीके से कांट्रेक्ट पर काम कराते हैं, उसको रोकने के लिए क्या कोई कार्रवाई करेंगे?

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): I thank the hon. Minister for clarifying that there will be no dilution and the proportion of 40:60 will be maintained. But why was this confusion created? During the last 4-5 months, a number of notifications have been issued from the Ministry saying that certain number of blocks will only benefit out of the MGNREGA. The States have been asked to prepare the plan for the intensive blocks. The Ministry has issued the notification to the States communicating the indicative amount within this limit. But the Government is saying that it is demand-driven. If it is so, it may be one or it may be 100; and so, you cannot have an indicative amount or figure. By this way, the Ministry itself is creating all the confusion. If what the hon. Minister stated here is implemented, then it would be very much helpful.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि डिल्यूट करने की कोई पालिसी नहीं है, लेकिन इसमें सुधार करने की जरूरत है। जैसे मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स को कहा गया कि प्लांटेशन की जाएगी। छोटे किसान प्लांटेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर बड़े किसानों की भी बात की जाए, तो मैं समझता हूं कि प्लांटेशन करने से पौधों की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण में भी सुधार होगा। किसान भी इससे फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा डायवर्सिफिकेशन के लिए सब्जियों और फलों को भी लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। जहां तक एरियर की बात है, पंजाब का काफी एरियर बकाया है। मैं चाहता हूं कि पंजाब के एरियर क्लीयर किए जाएं। 60-40 के रेश्यों में स्कूल, डिसपेंसरी और कम्यूनिटी सेंटर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। अभी केवल आंगनवाड़ी और मनरेगा भवन ही लिए जाते हैं।...(व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हीं के विभाग की वर्ष 2013 की ऑडिट रिपोर्ट यह कहती है कि 48 प्रतिशत डायवर्जन हुआ है।

वर्ष 2009-10 नेशनल सेम्पल सर्वे है, वह कहता है कि 48-49 प्रतिशत का डायवर्जन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को जमीनी हकीकत पर तथ्य बता दूं कि लाखों करोड़ों रुपया मनरेगा पर खर्च हुआ, लेकिन कम से कम बिहार में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैं कहीं पर उसका नामोनिशान नहीं देखता हूं। अगर सौ योजनाएं ली गई होंगी तो उसका कहीं नामोनिशान नहीं है।

दूसरी बात, क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि जो जॉब कार्ड्स हैं, वे मुखिया के पास रहते हैं, जो पास बुक्स हैं, वे मुखिया के पास रहती हैं और 50-60 प्रतिशत से ज्यादा इसमें फर्जी काम हो रहा है। इसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं?...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we are thankful for the assurance given by the hon. Minister that there will be no dilution in MNREGA. But the problem is that since it is a demand driven wage employment programme, it totally depends on the demand. There are huge arrears of West Bengal as well as Kerala. Definitely the demand will decline... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now the hon. Minister to reply. We cannot take the time of the Private Members' Business. I cannot give you more time.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions) ... *

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: माननीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय खरगे जी ने यह चिंता ज़ाहिर की है और यह ठीक है कि यह डिमांड ड्रिवन है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी हमने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा रिलीज किया है और उसमें पहली शर्त यह रखी गई है कि जो लेबर कंपोनेंट है, उसकी पेमेंट में जहां दो महीने या तीन महीने का डिले है, मैं इस बात से भाग नहीं रहा हूं। कई राज्यों में यह डिले और भी ज्यादा है लेकिन इसका सारा जिम्मा आप अगर यह कहें कि हमारे मंत्रालय का है, ऐसा नहीं है। आपने खुद माना कि कई जगह ऑडिट रिपोर्ट नहीं आती, कई जगह पूरा ब्यौरा नहीं पहुंचता फिर भी मैं आपको इतना आश्वासन जरूर देता हूं कि यह डिमांड बेस्ड है क्योंकि यह लेबर बजट है। हम इस लेबर बजट को प्राथमिकता देंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 220 करोड़ मेनडेट्स लेबर बजट के हिसाब से हमने उसके लिए रखे थे लेकिन मैंने साथ साथ यह भी कहा कि पचास दिन से ज्यादा का रोजगार लोग प्राप्त नहीं कर सके। अब आप यह कहें कि रोजगार तो पचास दिन से ज्यादा का भी लोगों को मिला है। लेकिन लोगों को पैसा तीन-तीन, चार-चार महीने से नहीं मिल रहा है। यह

^{*} Not recorded.

विरोधावास है। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं न कहीं एकाउंट करने में, उसको आगे पहुंचाने में, उसके ऑडिट करने में कहीं न कहीं देरी राज्य सरकारों से हुई है और वही एक कारण है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: लेकिन गरीब लोगों को उनके वेजेज नहीं मिले।...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अगर राज्य सरकार हमें पूरी सूचना नहीं देगी तो हम कोई ज्योतिषी तो हैं नहीं कि हम बता देंगे कि इनको इतना पैसा मिलेगा। राज्यसरकार से पूरी सूचना आने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी नौ राज्यों को मैंने भिजवाया है। वैस्ट बंगाल की बात माननीय सदस्य सौगत राय जी ने कही।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सौ दिनों के काम में वैस्ट बंगाल फस्ट है।...(व्यवधान)

16.00 hrs

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मैं यह कहना चाहता हूं कि 2013-2014 में वैस्ट बंगाल को मनरेगा के तहत 2894 करोड़ रुपये रिलीज किये गये और अभी 2014-15 खत्म नहीं हुआ, अब तक हम वैस्ट बंगाल को 3745 करोड़ रुपये रिलीज कर चुके हैं।...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): हमारे इलाके में अभी तक नहीं मिला, नक्सलवादी को ...(व्यवधान) वहां सारे पैसे रोक दिये। जब से चुनाव के रिजल्ट आये हैं, वहां सारे पैसे रोक दिये। ...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो असैट्स क्रिएट होती हैं, उनका कोई रिकार्ड रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विलेज लैवल पर हमने असैट्स का रजिस्टर मेनटेन किया हुआ है। उसमें रोड, स्टेशन, लैंड लैवलिंग और दूसरे जो भी काम हैं, जो उस गांव में हुए हैं, यह सही है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको आंखों से नजर नहीं आयेंगे, लेकिन लैंड लैवलिंग एक ऐसा काम है या अफोरेस्टेशन ऐसा काम है, जिसे आप अगले साल नहीं देख सकते। इसीलिए मैंने यह कहा कि क्वालिटी असैट्स भी पैदा हों, ताकि उनकी उम्र भी 40, 50 या एक सौ साल हो, ताकि यह लगे कि यह काम मनरेगा के तहत हुए हैं। इसीलिए हमने लैंड डिपार्टमैन्ट को साथ जोड़ने की कोशिश की है और उसके रिजल्ट्स भी हमारे लिए अच्छे आए हैं, 35 परसैन्ट लैंड डिपार्टमैन्ट का पैसा हमने मनरेगा के माध्यम से जोड़ा है और खर्चा किया है।

16.02 hrs

GOVERNMENT BILLS - IntroducedContd.

(ii)The Constitution (One Hundred and Twenty-Second Amendment) Bill, 2014*

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 22(a). Shri Arun Jaitley

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I have given a notice under Rule 72(i) to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill. This Bill, as far as I know relates to the Goods and Services Tax which the Government wants to introduce.

SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Are you opposed to GST?

PROF. SAUGATA ROY: We have said that we are not opposed to GST.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): We have not seen it.

PROF. SAUGATA ROY: The Constitution Amendment Bill has been circulated to us this morning. The only thing why I am opposing the introduction is that there was an Empowered Committee of State Finance Ministers formed to finalise the Bill. The Empowered Committee met. The State of West Bengal in particular said that we have to be compensated for past Central Sales Tax dues to the tune of Rs. 4000 crore before an agreement could be reached. After that there was no meeting of the Empowered Committee of Ministers. The Finance Minister was made the Chairman of the Empowered

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section 2 dated 19.12.2014

Committee. The Finance Ministers of Gujarat and Punjab were the members of the Committee. The Bill was then taken to the Cabinet. The Cabinet approved the Bill and as a result of that it has been circulated today. If without achieving a consensus among all the States, then it will be an attack on the federal principles. I have mentioned this in the morning in the presence of the hon. Prime Minister. In the Rajya Sabha also he has replied to this. Nobody is opposed to the fact that with the passing of this Bill the tax regime would be simpler. But the concerns of the State have to be addressed and the State has to be adequately compensated for the loss they are suffering. Yesterday the hon. Finance Minister of West Bengal had written to the Chairman of the Empowered Committee saying that these are his objections. They have not been addressed yet.

So, on behalf of our Party, we are opposing this Constitution (Amendment) Bill. Before it is pushed further, I think, the hon. Minister should clarify the position.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am also objecting the Bill because of two reasons under rule 72 as well as Direction 19(b) of the Speaker of this honourable House.

The main point to be considered is that this is a Constitutional Amendment which is affecting the Centre-State relationship. It is a very important Bill which is amending the Constitution. I have received a copy of the Bill this morning at 9.30. So, the right of the Member to object the constitutional validity as well as the legislative competence of the Bill in the House is being denied by way of presenting this Bill by means of a Supplementary List of Business. It is a very important Bill amending the Constitution. We are all for the goods and services tax. The State Government of Kerala is also supporting it. Our only condition is that the State should be adequately compensated. We hope that it will be there in the Bill.

Definitely, we will support the contents of the Bill but the way in which it is brought to the House is objectionable. This is the objection which I would like to raise.

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, I am on a totally different point. Besides what the previous Members have said, how is the Government treating the Parliament and Lok Sabha? A Constitution (Amendment) Bill is being introduced. Normally, the Government comes out saying that these are the Government Bills pending and that they intend to introduce them. It is not so in this case. Only yesterday, we met in the BAC. The Government did not say that they are coming up with the Bill. How is the Government functioning? Ad-hocism is there. This is how the Parliament is taken for granted. Even the Minister for Parliamentary Affairs was not in a position to say in the morning that this Bill is going to be circulated after it will be introduced. If you treat a Constitution (Amendment) Bill in such a manner, I think, difficult days are to come for parliamentary democracy and moreover, this Bill is particularly concerning the Centre-State relations.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this is a Constitution (Amendment) Bill. The Goods and Services Tax Bill was introduced in the 15th Lok Sabha by the UPA Government. It was referred to the Standing Committee on Finance. The Standing Committee on Finance deliberated on that issue and also gave its Report to the House.

Subsequently, with the wisdom of the UPA Government, they had formed a Ministerial Empowered Committee under the Chairmanship of the then Finance Minister of West Bengal, Shri Asim Dasgupta. Then, when the Government went out, another Finance Minister of Bihar, Shri Sushil Kumar Modi, became the Chairman of that Committee. Today, the Finance Minister of Jammu and Kashmir is the Chairman of that Ministerial Empowered Committee. As election is going on in Jammu and Kashmir, there is a possibility that the result will have a different impact on this Committee.

My concern here is, invariably, all the political parties cutting across the country support and are in favour of GST Bill. We are not opposed to the GST Bill. We are only seeking certain clarifications. This will be a new Bill. It is not the same Bill which was introduced in the last Lok Sabha. New suggestions have come from the Ministerial Empowered Committee. More interactions

have taken place with the concerned Ministries of the concerned State Governments. Will the Government send this Bill again to the concerned Committee or not? Is it under consideration or are we going to discuss this Bill on Monday and Tuesday? It is because this was not discussed in the Business Advisory Committee.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Sir, this is a very important Bill. There are some lacunae and irregularities in it. The sentiments of the Members should be incorporated in the Bill. We oppose this Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): As the hon. Members, Shri Mahtab, Shri Saugata Roy, Shri Premachandran said, this should have been brought in the Business Advisory Committee. There, they did not present it. At the same time, as per the rules, as Shri Premachandran has pointed out, it should have been informed to the Speaker at least seven days before. Only this morning, it has come up and you are introducing it now.

We have to see what are the minus points and what are the plus points in this. Why every Bill is being brought forward in such a hurry like this? I am not able to understand this.

HON. DEPUTY-SPEAKER: It is only introduction of the Bill.

Mr. Minister please.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: On the justification of introduction, can anything, like the Supplementary Demands for Grants, be brought before the House? ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister explain that.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am very sorry. Despite hearing us, if you support him, I cannot say anything. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I am not supporting. I am sorry. You cannot cast any aspersion on the Chair. The hon. Minister has sought leave to introduce the Bill. You have made your comments on that. Let him answer. Then you decide about that. Why are you telling that I am supporting him? I am not supporting him. I am sorry for that.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I am not taking any decisions. It is the House which has to take a decision. Let the Minister reply. You have raised your points. You have explained that. Let the Minister reply. Then, take a decision. I have no objection.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister explain it to you.

... (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: There are two important points which I want to make in response to the Members. The first is, the constitutional issue which has been raised and I will respond to it; and the second is regarding the substance, which Prof. Saugata Roy and others have mentioned.

Any Bill can be opposed on two grounds. It can be opposed if it lacks either legislative competence of the Parliament or if it violates the basic structure, fundamental rights in the context of an ordinary legislation and basic structure as far as a constitution amendment is concerned. Now, none of the objections come within that parameter.

In fact, let me remind the hon. Members that this Bill, in the context of how taxation is to be levied, has earlier been introduced. It has been cleared by the Standing Committee. It has been the good luck of this Parliament and the country that conventionally West Bengal was the greater supporter of this Bill. Therefore, if there is any change in thinking, I do not know. In fact, it was the effort of Shri Asim Das Gupta, who conferred not only with Chief Ministers but also with me on some occasions when I was the Leader of Opposition in order to mobilise support for this Bill.

On substance, I have just two things to say to allay any fear that you have. It was mooted in 2006 by the UPA in its Budget, and was originally conceived by Vajpayee ji. It was pushed by both the UPA Finance Ministers. The object behind the GST is to have a seamless transfer of goods and services across the country. Let there be no tax on tax. So, if you have multiple taxations imposed, the burden and the procedural complications increase. On the destination principle, the tax is at the last stage.

Now, one legitimate fear was there. Therefore, I am not going to rush through with this, as Shri Mahtab ji has said, though the Standing Committee has cleared it, though I have discussed it repeatedly, though Shri Chidambaram has discussed it repeatedly with the Empowered Committee and the State Governments. I have met several Chief Ministers and Finance Ministers, and discussed this issue with them individually also.

We have added several safeguards to this. I called a meeting on the last occasion on Friday. The Finance Ministers expressed some three or four points of concern. Then a smaller group came and met me, which comprised of people from various political parties. But they came really speaking in one voice. On Friday we arrived at a near consensus. But they wanted to see the draft amendment. Somebody had to go back to Kolkata, so he could not join them, which was not a problem that I created, though I read a statement to the contrary. But I do not want to get into that small issue. Then, they came back to me on Monday. Representatives of Tamil Nadu and Karnataka also joined them. Finally the draft Constitution Amendment was shown to this smaller group. These meetings went on for hours together. Thereafter, they wanted some change in the language which was to give more liberal rights to the States. I acknowledged that request. Even now, the intention, Shri Mahtab, is not to push it through. Whether a Standing Committee is again required or not required is a separate issue. But we want this to be debated after it is introduced, after the Draft to be out so that if anybody has any suggestion to offer. I am willing to accept that. We have made sure that no State will lose a rupee of revenue. It will be a win-win situation where they will gain.

Amongst the other factors, I will just give you three factors. Service tax is entirely in the domain of the Centre today. It is going to be shared with States now. Places like Maharashtra, from where one-third of the national service tax comes, will benefit. When we share it with them, it more than takes care of the octroi absorption into the GST. Service tax on Bengaluru in Karnataka takes care more than that. Additionally, we will make sure that for some period, two years, a one percent additional tax is permitted to the States. Even then, the consuming States are all going to benefit. If some producing State, for some period, loses some money, in the Constitution Amendment itself, I have provided that for five years, there is a mechanism. For the first three years, it is there entirely and then it is on tapering basis. The Centre will assure them to compensate them for any loss which has been suffered.

As far as the past is concerned, from 2010 to 2013, the CST compensation which was payable to the States, amongst the various debts which have been left behind on my table by the UPA, this is one of them. They have not paid it. In the discussion on the Demands for Supplementary Grants, I have already said that I intend to honour that commitment which the UPA had made. Therefore, the first instalment in that repayment also, I will try to pay in this financial year itself. So, we will make sure that no State loses. All the States are going to gain more.

As far as our Government is concerned, one of the objects behind replacement of the Planning Commission is that a large number of schemes, which mandatorily go as Central Schemes to the States, should go directly to the States. That is empowering the States. For example, we had taken up the Coal Bill, the Ordinance which you have approved, along with that. The coal-producing States include four States which need help – West Bengal, Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh. A large part of what comes from the auction, that revenue will go to the States themselves. We are interested in strengthening the States because then only the national economy will be strengthened. Therefore, when the Bill is take up for discussion, perhaps in the next Session, we will

make sure that the interest of every State is well looked after in this. I will be open to all suggestion till the very last minute.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I will take only one minute. I just want to know one thing. This octroi abolition is mostly in Maharashtra or one or two States. All other States have abolished it long back except Maharashtra as also some urban areas like Mumbai. The rest of the country accepted abolition of Octroi. I want to know whether Maharashtra has also accepted this now.

I have had a detailed discussion with the Finance SHRI ARUN JAITLEY: Minister of Maharashtra also. I had earlier discussion with the Chief Minister. I just indicated that I have not the least doubt that Maharashtra would benefit from year one, for the simple reason I will give you the figure. The total Octroi comes to Rs.15,000 crore. The national service tax collection is about Rs.1,75,000 crore, one-third of which comes from Maharashtra. When I start sharing with them, the compensation package to Maharashtra will be more than that. In the initial years, they will get an additional one per cent additional tax. Still, if there is a loss, I will cover up for the five years. Therefore, just as in the case of VAT which was the fear of the unknown that will go down, the Centre benefited, the States benefited. I have not the least doubt that both will benefit even in this case. Once both the Houses of Parliament approve this and this becomes a law, certainly, with the approval of the States, we will address the concerns of each one of those States. This is not a partisan piece of legislation. When the UPA Government brought it in, you have had persons from the CPM, the BJP and the National Conference as Chairpersons. The States are certainly concerned about their rights.

We will ensure that their rights are preserved. No State is a loser.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce the Bill.

16.20½hrs

MOTION RE: FOURTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा 17 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 17th December, 2014."

The motion was adopted.

16.21 hrs

RESOLUTION RE: IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF NATIONAL COMMISSION ON FARMERS – Contd...

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we take up Item No.26, further discussion on Resolution regarding implementation of the recommendations of the National Commission on Farmers.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, जब भी कृषि पर चर्चा होती है तो मुझे एक किव की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उस किव ने किसानों को गांव का देवता कहा था। इस देश की अर्थव्यवस्था भी किसान आधारित है। आंकड़ों के आधार पर हो सकता है कि कृषि का बहुत योगदान न हो, लेकिन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि जरूर है। इसीलिए उस किव ने कहा है- हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने-चांदी से नहीं, किंतु मिट्टी से तुमने किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। गांव के किसानों का देवता के रूप में चित्रण हमारे किवयों ने पहले से ही किया है।

<u>16.22 hrs</u> (Shri Konakalla Narayana Rao *in the Chair*)

भारत कृषि प्रधान देश सदियों से रहा है और यह पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि आज भी किसान दुर्दशा का शिकार है। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी 66 परसेंट थी, लेकिन आज पीड़ा होती है कि विकास की इतनी योजनाओं के बावजूद भी कृषि की भागीदारी घटकर केवल 13.7 प्रतिशत पर आ कर टिक गयी है। यह बहुत चिन्तनीय है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा है। यदि किसानों की पीड़ा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं समझा होता तो जो किसान आंदोलन के नायक कहे जाते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर बारदोलोई आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। जिसके बाद उनको सरदार की उपाधि दी गयी थी, जो किसानों ने दी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलीय भावना से ऊपर उठकर, देश भावना के आधार पर, किसानों की भावना के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित करने का कार्य किया और पूरे विश्व में सबसे बड़ी स्टेच्यू लगायी जाएगी। उन्होंने इस कार्य का श्रीगणेश कर दिया है। इससे किसानों की भावनाओं का सम्मान किया है।

जहां तक भारत के ऋषि और कृषि की बात है, इस संबंध में कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन जी भी अच्छे कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। भारत में कृषि वैज्ञानिक सदियों से रहा करते थे। आज विज्ञान का

युग है। आज विज्ञान के आधार पर उन्हें वैज्ञानिक कह दिया जाता है। पहले जब देश में ऋषि परम्परा थी, तब भी हमारे ऋषि कृषि के आविष्कारक के रूप में थे।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में घाघ एक बहुत लोक कि हुआ करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा घाघ सैंकड़ो वर्ष पहले नक्षत्रों के आधार पर किसानों के लिए जो भविष्यवाणी करके गए, आज भी वह भविष्यवाणी 90 परसेट सच साबित हो रही है। आज किसान दुर्दशा का शिकार है। आज देश में 30 परसेंट धान की खेती होने के बावजूद किसानों के पास उसे सूखाने का कोई आधुनिक तरीका नहीं है। सब्जी की फसल होने के बाद उन्हें स्टोर करने की, संरक्षित करने की कोई व्यवस्था आज भी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक बहुत बड़ा विषय है कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। मैं अपने कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उन्होंने बहुत पहले से ही काम शुरू कर दिया है। जब से हमारी सरकार आयी है, हमारे कृषि मंत्री जी हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी से प्रेरणा लेकर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ही तरह राष्ट्रीय सिंचाई आयोग की आधारशिला रख चुके हैं और उस पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में या अगले सत्र में वह योजना मूर्त रूप में आ जाएगी, जिस पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में चिंता जताई गयी थी।

आज हम हमेशा किसानों की बात करते हैं। अभी महिला किसानों के सशक्तीकरण की बात आयी है। आज सबेरे इस विषय पर एक सवाल किसी माननीय सदस्य ने पूछा था। जब मैंने उसके आंकड़े देखे तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश से महिला किसानों के सशक्तीकरण के लिए जो प्रस्ताव बन कर आए हैं, वे मात्र दस प्रस्ताव ही हैं। यह बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश इस देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वहां से महिला सशक्तीकरण के आधार पर जो परियोजना बनायी गयी हैं, वे मात्र दस हैं। मैं तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देता हूं कि छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी 73 परियोजनाएं भेजी हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों के हित के लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना का श्रीगणेश किया है। इस योजना के अन्तर्गत गांवों में बैठा हुआ गरीब किसान बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। क्रेडिट की भागीदारी कृषि में बहुत कम थी। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने आज क्रेडिट कंपनियों की भागीदारी ग्रामीण स्तर पर गरीब किसानों के लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शुक्त किया है।

महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। मैं संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां पर हमारा एक विकास खण्ड खलीलाबाद है। वहां पर कार्बन डेटिंग के आधार पर कृषि तकनीक के प्रमाण मिले हैं। वहां लहुरादेवा एक ऐसा स्थान है, जो पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा ऐसा स्थान है,

जहां कार्बन डेटिंग के आधार पर कृषि की वैज्ञानिकता के प्रमाण मिले हैं। वह आठ हजार वर्ष पुराना है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं।

इसिलए मैं आपके माध्यम से अपने माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे उसी खलीलाबाद विकास खण्ड के अन्तर्गत चोकहर एक गांव है। उसमें सौ बीघा ज़मीन आज भी पड़ी है। वहां के सारे लोग किसान हैं। वे गन्ना की खेती करते हैं और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करें, जिससे वहां के किसानों को और सशक्त बनाया जा सके।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापूर): सभापति महोदय, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होना निःसंदेह इस देश के किसानों के हित में है और ये लागू होनी चाहिए। लेकिन, इसके साथ-साथ हमें एक बात को जरूर से याद रखने की जरूरत है कि पूरे देश के तमाम राज्यों में किसानों की जो स्थिति है, वह एक जैसी नहीं है। इसलिए वन-साइज़-फिक्स-ऑल वाली नीति नहीं अपनायी जा सकती है। साथ ही, एक बहुत अहम सवाल है, जिस पर आज पूरे सदन को एक स्पष्ट नज़रिया अपनाने की जरूरत है कि आखिर इस देश में किसान है कौन? किसान की परिभाषा क्या है? क्योंकि जो मूलतः इस देश के किसान हुआ करते हैं, वे एक वक्त में बड़ी-बड़ी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, भूपति हुआ करते थे। लेकिन, गुज़रते हुए वक्त के साथ-साथ पीढ़ी-दर-पीढ़ी जब वही बड़ी-बड़ी ज़मीनों का बंटवारा हुआ तो आज बंटते-बंटते उन ज़मीनों के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो चुके हैं। जो एक वक्त बड़ा ज़मींदार, बड़ा भूपति हुआ करता था, वह आज एक खेतिहर और खेतिहर से बदल कर अपने ही ज़मीन के छोटे-से टुकड़े में काम करने वाला एक मज़दूर बन चुका है। यह इस देश के किसानों की परिस्थिति है। उस ज़मीन का टुकड़ा इतना छोटा है कि उस से पैदा होने वाली उपज से वह अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है। यह किसान की सबसे बड़ी दुविधा है। इसके ऊपर भी एक और विडम्बना यह है कि केन्द्र और राज्य की तमाम सरकारों द्वारा कृषि को लाभान्वित करने के लिए जो योजनाएं-परियोजनाएं चलायीं जा रही हैं, उनमें से 75% योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। यहां मैं सोन नहर परियोजना का उदाहरण देना चाहती हूं, जिसमें वर्ल्ड बैंक से भी बहुत सारे पैसे मिले, लेकिन वे सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ गए।

अगर यह योजना सफल होती तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के चार राज्यों के किसानों को फायदा मिलता। लेकिन यह योजना पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों की पहली समस्या यह है कि उनकी जमीन का टुकड़ा इतना छोटा है कि उससे पैदा होने वाली उपज में वे अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते। दूसरी समस्या यह है कि जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचता। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती किसानों के सामने यह है कि हमारे देश की तमाम सरकारें आजादी के बाद से किसानों को अगर कुछ देने का काम कर रही हैं तो वह प्रक्योरमेंट प्राइस है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के किसानों को प्रक्योरमेंट प्राइस की आवश्यकता नहीं है, उन्हें लागत मूल्य, प्रोडक्शन कास्ट की जरूरत है। प्रोडक्शन कास्ट देने के बारे में कोई भी सरकार विचार नहीं करती है। अगर किसान के ऊपर कोई आपदा आ जाए, बाढ़, सूखे, एवं वर्षा में उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो सरकारें किसानों को मुआवजा देने का काम करती हैं, उस मुआवजे को देने का भी कोई क्राइटीरिया नहीं है। लेकिन अगर किसानों को प्रोडक्शन कास्ट दे दी जाए तो शायद हमारा जो किसान सूखे या बाढ़ जैसी आपदाओं की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के बाद

आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, तो हमारा किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा। इसलिए आज हमारी संसद कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर विचार करे। किसान को उसकी प्रोडक्शन कास्ट मिलनी चाहिए और जैसा हम मैनस्ट्रीम उद्योग को बढ़ावा देते हैं, उद्योगों को जैसा प्रोत्साहन मिलता है, वैसा ही कृषि को मिलना चाहिए। आज अगर बिजली देने की बात आती है तो तमाम सरकारों का यही नज़िरया होता है कि बिजली पहले उद्योगों को दी जाए, बाद में खेती के लिए दी जाए। अगर हम ठीक से याद करें तो 80 और 90 के दशक में कृषि आधारित ऐसे तमाम उद्योग थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में कॉटन, शुगर और जूट मिलें थी। ये मिलें 80 और 90 के दशक में थीं, लेकिन आज लगभग ये सब चौपट हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। सरकार द्वारा जैसा प्रोत्साहन मैनस्ट्रीम उद्योग को दिया जाता है, वैसा कृषि आधारित उद्योगों को नहीं दिया गया। यह जरूरी है कि कृषि को उद्योग की तरह बढ़ावा मिलना चाहिए, कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आज चेताना चाहती हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा न मिलने से, किसानों को उनकी प्रोडक्शन कास्ट न मिलने से, जिन तमाम समस्याओं का मैंने उल्लेख किया, उनका समाधान न होने से आज देश में एक ऐसी विकट समस्या पैदा हुई है। एक ऐसी परम्परा विकसित होती जा रही है कि जो भी हमारे छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीनों के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े बचे हैं, उनका काम उसमें नहीं चलता, उनका पेट उसमें नहीं भरता, इसलिए अब वे अपने इन छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों को बड़े पूंजीपितयों को बेच कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज किसान बदल चुका है, जो पूंजीपिती हैं, वे छोटे-छोटे किसानों की जमीनों के टुकड़े को खरीद रहे हैं। सौ-दो सौ, पांच सौ बीघा की बड़ी-बड़ी जमीनें उनके पास आ चुकी हैं। कृषि के लिए सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, जो मूल रूप से किसान भारत का हुआ करते थे, उनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है, बिक्क बड़े-बड़े पूंजीपितियों को मिल रहा है। यह इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है।

इसिलए मैं इस सदन से और सदन के माध्यम से सरकार से यही अपील करती हूं कि किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको संज्ञान में लेते हुए इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के बारे में गंभीरता से विचार करें। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करें और यह जरूर तय करें कि इस देश का असली किसान कौन है और सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ कैसे उन तक पहुंचे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.34 hrs

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Mr. Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on this issue. First of all, I would like to congratulate my colleague, Shri Raju Shetti for moving this Resolution. It is a very good Resolution. I had the opportunity to work a little bit with Dr. Swaminathan when I was the Minister of Water Resources. I could see what kind of a scientist he is and with what dedication he is serving the country.

Dr. Swaminathan submitted five reports till October, 2006. There are mainly 10 findings in those reports. Out of those 10 findings, I would like to touch upon only two-three issues. The first one is related to land reforms. It is a very important issue. I suggest that for the cause of farmers, agriculture should be brought under the Concurrent List.

Secondly, there are certain areas where land is shrinking. More and more land has become idle due to mining and industry. As a result, the agricultural land has become less. We should give proper incentive to farmers so that they can reclaim their land which has been lost.

A lot of land has been lost in my State Meghalaya because of coal mining and other activities. I would like to request the Government to provide better incentives to the farmers to reclaim their land. There must be an announcement from the Central Government for a special package because when the mining was done the Government gained a lot of royalty. This royalty should also be shared with the farmers to reclaim their lands.

Irrigation is also an area of concern. It should be properly done. In hilly areas, if it rains heavily, within a short period of time the whole water goes back to the plains. I suggest that there should be a recharge of aquifer. Once the aquifer is recharged and check dams are built, then the rain water can be utilised for irrigation.

I would like to say certain things about bio resources. In hilly areas, especially in the North East, there are a lot of forests enriched with medicinal plants. I want to suggest that the Government should encourage export of medicinal plants. They should encourage farmers to cultivate not only rice,

maize and wheat but also rich forest medicinal plants. In that way, we can produce medicines out of these plants and farmers will not go through a lot of tensions.

The MSP should also be increased by 50 per cent of the average cost of production. If we do that, it will generate a lot of employment opportunities. As agriculture is the major sector which gives employment to the people, we should look forward to encourage the farmers. It is possible only if the Central Government pushes a lot of funds with the help of the State Government in this sector.

The other thing I would like to suggest is with regard to the credit insurance which we are giving to farmers. Farmers must be given credit cards. Their crops will be damaged because of adverse climatic conditions. A proper insurance cover should be there for their crops. It is necessary because if anything of this kind happens, they will not suffer any loss. This will help them to survive.

These are a few things which I would like to raise here. With these words, I support this Resolution. I think, the Government will take these things seriously and implement them. Thank you, Sir.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): महोदय, मैं भाई राजू शेट्टी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने इस देश के 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग जिस काम में लगे हुए हैं और जो उनकी आजीविका का साधन है, उनके विषय को लाकर, उस पर चर्चा का अवसर सदन को प्रदान कराया है।

महोदय, अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कम से कम लागत का 50 परसेन्ट वृद्धि कर किसान को मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने पाँच वॉल्यूम में अपनी जो रिपोर्ट दी है, वह सर्वाधिक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। उसके आधार पर अगर हम लोग यहाँ काम करना शुरू कर दें, यह सरकार उसे पूर्णतया स्वीकार करके लागू कर दे तो मेरा अपना मानना यह है कि इस देश का का सबसे ज्यादा विकास सम्भव होगा। हम देखते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई वर्ग सबसे अधिक विपन्न स्थिति में है तो वह इस देश का किसान है। किसान के सामने इतनी समस्याएं हैं, मैं खुद किसान हूँ, इसलिए में जानता हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। हम लोग सब तरफ देखते हैं कि उनकी स्थिति में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। उनकी वही स्थिति है और खास तौर से मैं जिस बुन्देलखण्ड से आता हूँ, वहाँ के किसानों की स्थिति तो यह है कि वहाँ पर आज भी शायद ही कोई ऐसा सौभाग्यशाली किसान हो, जो अपना पक्का घर भी बनवा पाया हो। यह बात सही है। अभी जैसा अनुप्रिया जी बोल रही थी कि उनकी लैंड होल्डिंग और कम होती जा रही है एवं उनकी परिस्थितियां और जटिल होती जा रही हैं।

सभापित महोदय, हम सभी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि किसान को उसकी लागत का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता है, जो उसे मिलना चाहिए। उसका सॉल्यूशन स्वामीनाथन साहब ने दिया है कि किसान की लागत मूल्य पर कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि करके उन्हें देना चाहिए। उसी आधार पर एम.एस.पी. निर्धारित होना चाहिए।

सभापित महोदय, मैं उनकी एक और सिफारिश की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मूलतः किसान जैसे-तैसे अपनी जीविका चलाते रहते हैं। जब उनके ऊपर कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, चाहे वह जलवायु के कारण आयी हो या किसी कारण से आई हो, जब उनके सामने वह समस्या आती है, तब उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। हम सबको उन परिस्थितियों में सरकार के सामने, कलैक्टर के सामने और मंत्री के सामने खड़े होकर विनती करना पड़ता है कि उनको बचाओ, वे भूख से मरने की स्थिति में आ गए हैं। ओला गिर जाए, पाला पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए या कमवृष्टि हो, हर बार वह सरकार की और याचक की तरह देखते हैं। हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं का निराकरण करें। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस देश का अन्न दाता है, वह छोटी-सी आपदा आने पर भी भिखारी की स्थिति में पहुंच जाता है। उसके लिए उपाय स्वामीनाथन साहब ने सुझाए हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय यह हो सकता है कि हम

"कृषि बीमा योजना" को सुदृढ़ करें, उसको व्यवहारिक करें। आज की तारीख में कृषि बीमा योजना बहुत अव्यावहारिक है। वह किसान हितैषी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि किसानों से बीमा के लिए जो राशि इंस्टॉल्मेन्ट के रूप में बैंक्स दो-तीन साल में लेती है और जब उन पर विपत्ति आती है तो उनको उतनी राशि भी नहीं मिलती है। ...(व्यवधान)

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार उसको पूरा देखे। मैं दो-तीन सजैशंस देना चाहता हूं। वर्तमान बीमा योजना में सबसे बड़ी कमी यह है कि आपदा निर्धारण की इकाई क्या है। कई जगह पटवारी हल्का है, कई जगह ग्राम सभा है, इस प्रकार से वह बहुत ही विसंगतिपूर्ण है। मैं अपने प्रदेश के बारे में बताता हूं कि हमारे यहां उन्होंने पटवारी को हल्का यूनिट माना है। ...(व्यवधान) सदन यह समझे कि खेती पर जो विपत्ति आती है, वास्तव में वह पूरे एरिया में या पूरे गांव में नहीं आती है। हमारे यहां पिछले साल भारी मात्रा में ओला पड़ा। कई किसान ऐसे थे जिनके आधे खेत में ओला पड़ा और आधा खेत सुरक्षित रह गया। अब हम यह कहें कि जब पूरे गांव में ओला पड़ेगा तभी उन्हें बीमा दिया जाएगा, यह ठीक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके लिए यूनिट खेत होना चाहिए, खसरा होना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Hon. Chairperson, Sir, I would like to express my profound gratitude for giving me an opportunity to take part in the important discussion on the Resolution for the implementation of Swaminathan Commission recommendations to overcome the crisis in the agricultural sector.

The Swaminathan Commission Report is a landmark Report in the agricultural development of our country. We all know that agriculture is the mainstay of the people of India and it is the backbone of our economy. Around 70 per cent of our population depends upon agriculture for their livelihood directly or indirectly. The committed and hardworking farmers of our country, in fact, have transformed this country into a self-reliant nation.

We may recall that at the time of our Independence, our population was around 36 crore and we were undergoing abject poverty and want. It was in the year 1943, just four years before our Independence our country had undergone the great famine, that is, the Bengal famine. We all know that Prof. Amartya Sen had said that millions of people perished for want of food in that Bengal famine. That was the condition at the time of our Independence.

Now, Sir, can we imagine that our country has scaled bigger heights; and India is now one of the world's top producers of wheat, rice, fruits and vegetables?

Our country was able to enact the Food Security Act, thanks to Madam Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh for ensuring food security to all sections of society including the disadvantaged and marginalised people of society. This shows the resilience of our agricultural economy.

It was in the Sixties that we started the strenuous journey from 'ship to mouth' to 'food security to all'. The Green Revolution brought about in the Sixties, was a great leap forward in attaining self-sufficiency in food production. The then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, the then Food and Agriculture Minister, Shri C. Subramaniam and also Dr. M.S. Swaminathan, were the guiding spirits behind this Green Revolution. I am

happy that Dr. Swaminathan has come out with Reports on the agricultural development of this country and the sustainable development of agriculture in the country.

It was intended to enhance productivity, profitability and sustainability of our major farming systems in different agro-climatic regions of this country. It aims towards attracting and retaining educated youngsters in the farming; and it also aims at working out a comprehensive plan for food strategy and food security.

Sir, Dr. Swaminathan Commission recommends that Agriculture should be included in the Concurrent List of the Constitution of India. It is a very good suggestion. I welcome it.

Now, I would also like to focus on a couple of vital issues regarding problems being faced by the farmers of our country. The credit crunch being faced by the farmers is a major problem. So, my suggestion is that the credit facilities must be ensured to the farmers through public sector banks at a low rate of interest. Secondly, the Government of India also should, in fact, alert the State Governments so that the State Governments alert the cooperative banks spread across the country asking them to give loans to the farmers at a very low rate of interest. This would be one way by which we can boost agricultural production in the country. Wherever required, moratorium on the loans taken by the farmers for agricultural activities, should be declared.

Sir, horticulture is an area, which plays an important role for the economy of our country. So, a greater amount of attention is to be paid to this sector. This sector comprises wide array of crops from fruits and vegetables to nuts, spices, medicinal plants, flowers and plantation crops. It provides many opportunities for income-generation. Globally, India is the second largest producer of fruits and vegetables. India is also the largest producer of mango, banana, coconut, cashew, papaya, pomegranate, etc. India is also the largest producer and exporter of spices.

But it is sad to note that some of the agricultural produce, which we are exporting to various countries, are rejected by many countries because of the

high presence of pesticides, insecticides there. Therefore, Sir, it is to be taken into account that we should not send such agricultural produce abroad. Otherwise, it would be bringing a bad name to our entire nation.

Coming to the question of seeds, good seeds must be provided to the farmers at reduced rates. What is the most important critical ingredient for agriculture? It is water. Every drop of water is important. Therefore, drip irrigation system is to be encouraged. It is a well-known fact that in India, the water table is receding every year. So, rainwater harvesting is to be encouraged on the line of what Tamil Nadu is doing. Tamil Nadu is doing exceeding well in regard to rainwater harvesting. I specially compliment the then Tamil Nadu Chief Minister, Dr. Jayalalitha for taking such innovative steps.

Sir, crop insurance is also very important. So, crop insurance scheme is to be implemented. The Minimum Support Price for the farmers should also be given. I do not want to take much of the time of the House. I am happy that the hon. Minister has said that the dairy development is being brought under the MGNREGA. It is a very good step.

Lastly, Sir, in spite of all these progress and development, there is an alarming trend across the country that millions of hectares of agricultural land are being indiscriminately converted and being used for non-agricultural purposes and commercial activities. In the last decade alone, more than 2.57 million hectares of land have been converted on account of urbanisation, industrialisation, infrastructural growth and other developmental works. Unless we stem this trend, it would be very dangerous and disastrous for the growth of this country.

With these few words, I conclude. Thank you very much for giving this opportunity.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इम्पिलिमिन्टेशन ऑफ द रिकोमेन्डेशन ऑफ दि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मस, स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। किसान असंगठित है, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत की आत्मा खेत, खिलहानों और किसानों के महल में बसता है। इस देश में कई महान किसान नेता हुए। बिहार में स्वामी सहजानन्द सरस्वती हुए, बड़े किसान नेता रहे, दर-दर की ठोकरें खाते रहे, असंगठित किसानों को संगठित करते रहे। किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए।

आज देश में चौधरी चरण सिंह जी को सभी जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी यही कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत और खिलहानों से होकर गुजरता है। इस देश को समृद्ध बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, जब किसान खुशहाल होगा, तभी हमारी खेती बेहतर होगी। आज तकनीकी रूप से किसानों को सहयोग नहीं किया जा रहा है, मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है, जलवायु का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है, हम अच्छी सिंचाई का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। हम नारा तो लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिन्दुस्तान। किसान जब खुशहाल होगा तभी रोटी मिलेगी, तभी कपड़ा मिलेगा, तभी मकान मिलेगा। इसिलए आज खेत सूखा है और इंसान भूखा है। खेत में अगर सिंचाई का प्रबंध होगा, तभी हिरयाली आएगी, तभी खुशहाली आएगी, तभी पेट की भूख मिटेगी, तभी गरीबी मिटेगी। यह नारा दिया गया कि जो जमीन को जोते-बोए, वही खेत का मालिक होए। जो खेती करता है वही खेत का मालिक हो सकता है। आज हम इससे अलग पड़े हए हैं।

प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। प्रकृति ने अपने मिजाज को बदला है। इसिलए किसानों के लिए जीवन बीमा होना चाहिए। राज्य अनुदान को काटा गया है। बिहार में 85 परसेंट लोग खेती पर निर्भर करते हैं। देश में कई जगह आत्महत्याएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं और उनका पलायन हो रहा है। आज दलहन, तिलहन, रबी, खरीब या मक्का हो, इन चीजों को बेहतर तरीके से कैसे उत्पादन कर सकते हैं। लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था हो, सिंचाई कृप की व्यवस्था हो।

पहले कहा जाता था कि किसान जमींदार है, किसान अब जमींदार नहीं है, वह केवल सीमांत किसान है, वह खेतिहर मजदूर है। आज उद्योगपित जमींदार हो गए हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। सरकार को विचार करना चाहिए कि बड़े-बड़े उद्योगपित दस हजार एकड़, बारह हजार एकड़, पन्द्रह हजार एकड़, अच्छी जमीन खरीद कर रख देता है, घेराबंदी कर देता है। हम पेट से भूखे हैं, हमें पानी नहीं, खेती नहीं। हमें खेती की उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, जीवन बीमा होना चाहिए। इसके साथ साथ कम समय में अनाज के उत्पादन वाली बीज का प्रबंध होना चाहिए। चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, हमें इसके लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए। स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट को लागू करना

चाहिए। किसान जब समृद्ध होगा, तभी देश समृद्ध होगा, तभी भारत बनेगा। इसलिए भारत की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): एक संशोधन था, जय प्रकाश जी ने कहा कि स्वामी सहजानन्द जी बिहार के थे, इनका जन्म मूलतः गाजीपुर में हुआ था, लेकिन बिहार में इन्होंने काम किया और किसान सभा की स्थापना की। एक जाने-माने किसान नेता के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं। यह सिर्फ सूचना के लिए है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय सभापित जी, राजू शेट्टी जी द्वारा जो संकल्प यहां विचारार्थ लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित तौर से किसानों की हालत आज देश में बहुत ही खराब है। लोग इस खेती के धंधे से हट रहे हैं। बुन्देलखंड में किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां लगातार कई वर्षों से कभी सूखा पड़ता है तो कभी अतिवृष्टि होती है। वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी किसानों की हालत खराब है, लेकिन बुन्देलखंड के किसानों की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। केन्द्र सरकार की तरफ से जो पैकेज जाता है, उसकी कोई मौनीटरिंग संस्था न होने के कारण उसका खर्चा भी मनमाने तरीके से किया जाता है।

पूर्व में हमारे यहां तीन से चार हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज गया था, जिसे राज्य सरकार ने अनावश्यक मदों में खर्च कर दिया। किसानों के हित में उस पैसे को कहीं भी खर्च नहीं किया गया है। हमारा कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लागत वसूल नहीं हो पा रही। जो समर्थन मूल्य घोषित होता है, उसमें उन किसानों की लागत का ध्यान रखना चाहिए, तभी किसानों की हालत में सुधार हो सकता है। जैसे गेहूं का इस समय जो समर्थन मूल्य है, उससे किसान को अपनी खाद, बीज या सिंचाई की लागत भी वसूल नहीं हो पाती। जब गेहूं का समर्थन मूल्य दो हजार रुपये होगा, तभी उसे अपनी लागत वसूल हो पायेगी।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को धान, गेहूं का समर्थन मूल्य किसान की लागत के अनुसार घोषित करना चाहिए। आज एक चर्चा का जवाब माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी दे रहे थे। उस चर्चा में एक बात आयी कि हम किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों को 7 परसेंट ब्याज पर ऋण देने का काम करते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि यदि कोई ट्रैक्टर लेता है, तो उसे 14 परसेंट ब्याज पर ऋण मिलता है। चूंकि किसान की खेती के लिए ट्रैक्टर बहुत जरूरी है तो उसे इसके लिए 14 परसेंट ब्याज देना पड़ता है।

मेरा सुझाव है कि जिस तरह से उसे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 7 परसेंट ब्याज पर ऋण दिया जाता है, उसी तरह कृषि यंत्र विशेषकर ट्रैक्टर के लिए 7 परसेंट ब्याज पर ऋण देना चाहिए। जब किसान क्रेडिट कार्ड लेने जाता है तो उसे भी शिविर लगाकर बांटने का इंतजाम करना चाहिए। जब तक किसान उन्हें 5 से 10 परसेंट तक पैसा नहीं देता तब तक उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। कई बार यह मुद्दा उठाया जा चुका है कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए शिविर लगाकर पारदर्शी तरीके से बांटा जाये। उसे कम्प्यूटर में फीड किया जाये कि कितनी एप्लीकेशन्स आयी हैं, लेकिन मैनेजर जिसे चाहता है, उसे ही देता है। वह भी जब उससे 5 से 10 परसेंट हिस्सा पा जाता है तब उसे देने का काम करता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि आज मनरेगा पर चर्चा हो रही थी। उसमें विशेष तौर से बुन्देलखंड में, वैसे मैं हर जगह समझता हूं कि अगर मजदूरों को काम करने के लिए जगह नहीं है, तो पूरे गांव की खेतों की मेड़ों को ऊंचा करने का काम मनरेगा से होना चाहिए जिससे कम से कम वहां खेत का पानी खेत में ही रुक सके। इससे किसान को सुविधा होगी।

मेरा एक सुझाव और है कि उत्तर प्रदेश में किसान बिजली का कनैक्शन लेने जाता है तो उसे साढ़े सात हार्स पावर से नीचे कनैक्शन नहीं दिया जाता है। उसे साढ़े सात हार्स पावर से ऊपर का पैसा देना पड़ता है, जबिक उनकी मोटर ढाई या पांच हार्स पावर की होती है। छोटे कृषक इनसे सिंचाई करते हैं। हमारा कहना है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके यहां जितने हार्स पावर की मोटर लगी है, उतने का ही कनैक्शन दिया जाये।

इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय सभापित महोदय, माननीय सदस्य राजू शेट्टी द्वारा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो एक रेजोल्यूशन लाया गया है, वह बहुत अच्छी बात है, सुन्दर कार्य है। मैं किसानों से संबंधित, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वास्तव में इस देश में more then 70 percent population is earning their livelihood through agriculture. कृति पर आधारित जनसंख्या होने के बावजूद देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की मार्फत कृति की पैदावार बढ़ी है। सिंचाई के साधनों की सुविधा भी हुई है।

17.00 hrs

वास्तव में किसान की स्थिति में जिस तरह से सुधार होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। उत्पादन जरूर बढ़ा है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर जरूर हुए हैं लेकिन किसान की दशा खराब है। किसान ऋण में डूबा हुआ है। हम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बारे में हर रोज सुनते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उत्पादन लागत बहुत महंगी पड़ रही है। आज की स्थिति में यदि उत्पादन लागत को कैलकुलेट किया जाए तो देखेंगे कि फार्मर अपनी ख़्द की लेबर को काउंट ही नहीं करता है और इसलिए वह बहुत संतुष्ट रहता है कि उसे कुछ मिल रहा है। वास्तविकता यह है कि यदि वह अपने परिवार या अपने श्रम की लागत को जोड़ ले तो आप देखेंगे कि उसे किसी भी उपज में लाभ नहीं मिल रहा है। मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले बिंदु के बारे में कहना चाहता हूं कि किसान को उत्पादन मूल्य मिलना चाहिए अन्यथा इसी प्रकार से आत्महत्याएं जारी रहेंगी। उसे उतनी लागत ही नहीं मिल रही है, वह जितना खर्च कर रहा है। डीज़ल महंगा, बिजली महंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आने के बाद 10-12 रुपए प्रति डीज़ल का दाम कम हुआ है। पूर्व में 30-35 रुपए डीजल का रेट था और दो साल में 60 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीज़ल, बिजली, खाद सब कुछ महंगा हो गया है। मैं आपको कॉटन का उदारहण देता हूं, राजस्थान में प्रति एकड़ चार या पांच क्विंटल कॉटन होती है और 4000 रुपए दाम मिल रहा है जबिक पिछली बार 5500 रुपए था। ऐसी कई उपज हैं जिनकी लागत ज्यादा है और उत्पादन मूल्य कम मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि स्वामीनाथन जी ने 2006 में बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है, इसे लागू किया जाए। Why are you taking only the marginal and small farmers into consideration? Why do not you take the whole community of farmers into consideration? आप सबको लैंड डेवलपमेंट, इरीगेशन, वाटर कन्जर्वेशन के लिए पैसा दीजिए। सब किसानों को एक श्रेणी में लेना चाहिए फिर चाहे वह मध्यम श्रेणी का हो या लघु किसान हो।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह रिजॉल्यूशन बहुत अच्छा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भारत सरकार लागू करे। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, five hours' time allotted to the discussion on this Resolution is almost over. As there are three more Members who are desirous of taking part in the discussion on this Resolution, the House may extend the time for discussion on this Resolution.

If the House agrees, the time for discussion on this Resolution may be extended till the discussion on this Resolution is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Dr. Arun Kumar. Please try and conclude in three minutes.

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय सभापित जी, डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट सदन में आई है। स्वामी सहजानंद सरस्वित जी की चर्चा माननीय सदस्य ने की है। आज से 60 साल पहले स्वामी सहजानंद सरस्वित जी ने लिखा था कि देश का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब संसद के चिंतन के केंद्र में किसान होगा।

<u>17.04 hrs</u> (Dr. P. Venugopal *in the Chair*)

किसान भारतीय संस्कृति, संस्कार, मूल्य, मानवता, अर्थ सबका संवाहक है। पिछले काफी दिनों से स्वामी सहजानंद सरस्वति जी के चिंतन को दरिकनार रखा गया। आज माननीय सदस्य ने चर्चा की है। स्वामी सहजानंद के बारे में चर्चा तब शुरु हुई जब जर्मनी के विद्वान प्रोफेसर डॉ. बॉल्टर हाउज़र ने शोध करके कहा कि दुनिया का सबसे ईमानदार और बड़ा किसान नेता खामी सहजानंद सरस्वती हैं। तब से लोग चिन्तन करना शुरू किये। इसलिए आज जो स्वामी जी के चिन्तन में मौलिकता है, निश्चित तौर से डा. स्वामीनाथन ने उस पर एक लकीर खींचने का कार्य किया है। हमारे किसान वैज्ञानिक थे, उनकी धारणा, अवधारणा सब कुछ लाभ से जुड़ा हुआ था, मानवीय विकास से जुड़ा हुआ था, मूल्यों से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक साज़िश के तहत उन सारी सिंचाई परियोजनाओं को ध्वस्त कर दिया गया, एक साज़िश के तहत उनके लाभांश को तोड़ा गया। आज विभिन्न कारणों से देश के किसानों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसान की माली हालत खराब हुई है। इसलिए चाहे इसे समवर्ती सूची में रखें, केन्द्रीय सूची में रखें या राज्य की सूची में रखें, आज जरूरत इस बात की है, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार, जो सिंचाई योजनाएँ हैं, उनमें सिर्फ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रबंधन हो रहा है। सिर्फ किसानों के लिए सिंचाई का प्रबंधन कर दिया जाए, उसके फसलों की मार्केटिंग का प्रबंधन कर दिया जाए, उनके फसलों के स्टोरेज का प्रबंधन कर दिया जाए तो उनको किसी तरह के अनुदान की जरूरत नहीं है। वे सम्पूर्ण देश को खिलाने में सक्षम हैं। इसके संस्कार, संस्कृति और मूल्यों के संवाहक के रूप में, एक मजबूत धारा के रूप में स्थापित रहने में भी सक्षम हैं। राष्ट्रीय आज़ादी के जो सबसे बड़े फलक थे, वे ही आज शोषण के शिकार हो गये हैं। इसलिए हमें इस आलोक में किसान के एक समृद्ध गांव के निर्माण के लिए संकल्प लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री राजू शेटटी जी का बह्त-बह्त धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने किसानों के हित के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो स्वामीनाथन आयोग इस देश में गठित किया गया था, उस समिति की सिफारिश तुरंत लागू की जाए, इस मांग के लिए आज इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों के प्रश्न पर आयोग बनते हैं। आयोगों को पूरी रिपोर्ट देने में कम से कम दो-तीन साल लगते हैं। आज पूरे देश में हम किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं। हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज जो स्थिति बनी है- बारिश समय पर नहीं आना, ओले गिरना, सूखा होना, इन परिस्थितियों से किसान कठिनाइयों में आ रहा है। हमारे देश के किसान के बारे में कहा गया था कि किसान इस देश की रीढ़ हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1885 में एक किताब लिखी थी, उसमें कहा गया था कि एक किसान कर्जा में पैदा होता है और कर्जा में ही मर जाता है। क्या हम लोग इतने वर्षों में इस संसद के माध्यम से किसानों के हित के लिए एक अच्छा उदाहरण बना नहीं सके। इसलिए 67 वर्षों के बाद आज भी इस सदन में किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी उद्योगपति का दूकान जल गया या फैक्ट्री जल गया तो उसे तुरंत इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, लेकिन किसानों की खेती में नुकसान होता है, कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है तो हम किसानों की मदद नहीं करते हैं। में सरकार से इतना ही कहूंगा कि स्वामीनाथन समिति की जो सिफारिशें हैं, जिनसे हम किसानों को आत्महत्या से बचा सकते हैं, उन्हें तुरंत लागू करना चाहिए। यह मेरी मांग है। सरकार किसानों के हित में निर्णय ले क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, वहाँ पर धान की खेती होती है। पाँच -छह सौ रुपए कम कीमत में वहाँ धान बिक रहा है। किसानों के अनाज के भाव निर्धारित करने का काम व्यापारियों के हाथों में है। लेकिन किसानों को मेहनत करने के बाद भी उसका कोई अधिकार नहीं रहता।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापित महोदय, आपने कृषि के सवाल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही मैं माननीय सेठी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों की चिंता उन्होंने की और स्वामीनाथन आयोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, हम लोग किसान परिवार से आते हैं और इस देश में 70 प्रतिशत के करीब किसान हैं। जब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, तब तक इस देश की तकदीर नहीं बदल सकती है। ऐसा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि सभी नेताओं ने इस बात को कहा है। चाहे सहजानंद सरस्वती हों, चाहे किसानों के कितने ही बड़े नेता हुए, उन्होंने भी यह बात कही। आज किसानों की हालत दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, गांव में किसानों की क्या हालत है, यह हमसे छिपी नहीं है। कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ की मार किसानों को सहनी पड़ती है। दूसरी तरफ उद्योगपित जो अपने सामान को बनाते हैं, वे उसका मूल्य खुद ही निर्धारित करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। किसान की उपज में जो खर्च होगा, उसका 50 प्रतिशत लाभांश हम किसानों को देंगे। आज माननीय प्रधान मंत्री जी को किसानों की चिंता करने की जरुरत है।

सभापित जी, हम लोग बिहार से आते हैं और आज बिहार एक तरफ बाढ़ की चपेट में है, तो दूसरी तरफ सुखाड़ की चपेट में है। वहां कोई ऐसी परियोजना नहीं चल रही है जिससे किसान सुदृढ़ हों। वहां खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवैल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, उत्तम बीज मिलने चाहिए। बिहार की राज्य सरकार ने जो कृषि रोड मैप बनाया है, उसके माध्यम से, निश्चित रूप से किसानों को कुछ लाभ मिल रहा है। अच्छे बीज मिल रहे हैं, अच्छी उपज हो रही है लेकिन उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से एक पत्र गया है कि राज्य सरकार, जो किसानों को धान पर बोनस के रूप में अनुदान दे रही थी, वह भी आज बंद हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह चिंता का विषय है। अगर किसानों को मजबूत करना है तो एक सिंचाई परियोजना, क्षेत्र की बनावट के अनुरूप, हर प्रदेश में

लानी चाहिए, जिससे किसानों की हालत सुधरे।

महोदय, आज किसान ऋण में पैदा होते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। अगर किसान को अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो वह खेत बेचता है, अगर उसके घर में कोई बीमार होता है, तो वह खेत बेचता है, अगर बच्चे को पढ़ाना होता है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की शिक्षा दिलानी होती है, तो वह खेत बेचता है। अगर इस देश के किसानों की हालत नहीं सुधरी, तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। मैं सरकार से मांग करुंगा कि किसानों की हालत कैसे सुधरे, इस ओर चिंता करने की जरुरत है।

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Sir, the National Commission on Farmers was formed on 18th November, 2004. It is also called Swaminathan Committee because Prof. M.S. Swaminathan was its Chairman.

Now, this House is discussing about the need to implement the recommendations made by the Committee.

The previous UPA Government gave as terms of reference the priorities listed in their Common Minimum Programme. The final report was submitted to the previous Government in October, 2006. The recommendations were considered as mere suggestions and were put in cold storage. That is why, we are discussing now on a resolution to implement the recommendations.

The pity is that we are discussing the pitiable conditions of our farmers after ten years. When suicide deaths of farmers were rampant in States like Maharashtra and Andhra, this Committee was formed to make agricultural growth faster and inclusive. Its key finds are incomplete land reforms, irrigation water problem, non-availability of technology, absence of formal credit facilities, lack of marketing facilities, non-availability of remunerative prices.

I am pained to point out that even after understanding the problems, much has not been done. The M.S. Swaminathan Committee further recommended PDS for all with one per cent of GDP, involving panchayats and local bodies in nutrition support programmes for people of different age groups.

There has been an establishment of Women Self Help Groups based on the principle store grain and water everywhere. Another is, livelihood initiatives to improve productivity and profitability helping small and marginal farmers.

As far as Tamil Nadu is concerned, under the able leadership of our People's former Chief Minister, Amma, a comprehensive programme with integrated schemes were effectively implemented. When the National Food Security Act was introduced by the previous Union Government, many people

were about to be removed from the BPL layer of society, whereas our leader, Amma was keen on giving people not only subsidized food grains but also free rice to the really needy people. When the Centre increased price of rice sold through PDS, even while facing great financial challenge, our leader, hon. Amma continued with subsidies. Though the Centre did not come forward to assist the State Government financially, our Tamil Nadu Government continued with additional subsidies for special PDS.

When it comes to agricultural insurance which can protect the farmers from the losses due to climate changes, the Centre wants to increase the premium burden on the farmers. That is why, our invincible leader, Amma wants the Centre to continue the National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) instead of the National Crop Insurance Programme (NCIP).

Usually, Central grants are not coming in time for our rural agricultural cooperative societies. Under the National Mission for Sustainable Agriculture, our Government of Tamil Nadu has contributed its share fully whereas the Centre has not released so far more than 60 per cent of its share, approximately Rs. 10,000 crore.

The Madras Fertilizers and the SPIC which met 40 per cent of the total urea required for Tamil Nadu remain closed. Gas based production facilities are not there. Till such time, gas is made available, naphtha based urea production must be permitted. But the Centre is neither giving permission nor are they giving urea. This leaves great distress among farmers. How can we increase agricultural production? How can we improve the conditions of farmers?

At this juncture, I would like to request the Union Government to bear at least 50 per cent of the cost of Rs.1,500 crore for the desalination plant to be set up by the Government of Tamil Nadu in Ramanathapuram District. Since Ramanathapuram is an agro marketing centre with acute drinking water crisis, the Agriculture Ministry and the Rural Development Ministry must come forward to help the pioneering schemes of our State Government.

Before I conclude, I would like to draw your attention to the much appreciated Farmers' Protection Scheme which seeks to meet the needs of

farmers at every stage of crop cultivation. It also takes care of the primary health care of their families and education for their children including day-care centres for infants. I would urge upon the Centre to take note of the Tamil Nadu model and to come forward to extend more financial assistance for our farmers' welfare schemes.

With these words, I conclude my speech.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले किसानों की समस्या उठाने के लिए अपने मित्र राजू शेट्टी को बधाई देता हूं।

महोदय, इस पर काफी सांसदों ने अपने सुझाव दिए हैं। कृषि की समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि 2.4 परसेंट क्षेत्र हमारे पास है। 4 परसेंट वॉटर रिसोर्सिज हैं और इसके साथ-साथ टोटल पोप्यूलेशन 15 परसेंट है और 17 परसेंट पोप्यूलेशन है, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इस बार भी चार राज्यों में सूखा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। स्वामीनाथन आयोग की घोषणा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को की थी। इसके बाद वर्ष 2004 में किसान आयोग बना। वर्ष 2007 में कृषि नीति तैयार हुई। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आयोग की 201 सिफारिशें थीं, जिसमें 175 सिफारिशें मान ली गयीं। 26 सिफारिशें पैंडिंग रहीं। इस सदन में 40 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। एक बात निकल कर आयी और सभी को यह लगा कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं का निदान स्वामीनाथन आयोग में है। इस तरह का माहौल रहा है। उन 26 सिफारिशों में से दो या तीन सिफारिशों को छोड़ कर बाकी का किसान की हालत सुधारने से कोई वास्ता नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें मुख्य रूप से उस समय नहीं मानी गई थीं, उनमें कुछ हैं कि To permit farmer to protect crops by killing wild animals, Nilgai; एमएसपी, सबसे महत्वपूर्ण, लागत का 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य। to set up Agriculture Risk Fund; Food Guarantee Act, जो अब उसके बाद लागू हो चुका है, to establish an Indian Trade Organisation; every State should set up the State Farmer Commission; to include agriculture under Concurrent List. ये कुछ चीजें हैं, इसमें कुछ राज्य सरकार के विषय हैं। ज्यादातर राज्य सरकारों ने इसके विपरीत राय दी कि कृषि को राज्य का ही विषय रहने दिया जाए। जहां तक एमएसपी का पचास प्रतिशत लाभकारी मुल्य देने की बात है, पिछली सरकार के दौरान ही उस पर एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी में दो राज्यों- उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं तथा पांच किसानों के प्रतिनिधि इस समिति में हैं। 2013 में यह कमेटी बनी। लगातार इसकी पांच बैठकें हो चुकी हैं और निकट भविष्य में बहुत जल्दी यह समिति अपनी रिपोर्ट देने वाली है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करने का क्या क्राइटीरिया होगा? कुछ क्राइटीरिया पुराने थे लेकिन करीब 22 फसलों का एमएसपी हम डिक्लेअर करते हैं और एक गन्ने का भी है, जो 22 फसलों से अलग है।

मोटे तौर पर पिछले काफी समय से सरकारों द्वारा गेहूं और चावल के अलावा, इस बार कॉटन की खरीद पांच साल के बाद हुई है नहीं तो अगर आप गेहूं और चावल की बात भी करेंगे तो उत्पादन के तीस प्रतिशत की खरीद सरकार द्वारा की जाती है, बाकी प्राइवेट एजेंसी खरीद करती हैं।

इन दो तीन फसलों के अलावा किसी चीज की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाती। एमएसपी ही सब समस्याओं का समाधान है, इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि एमएसपी घोषित कर दिया जाए। उसकी खरीद कैसे होगी, यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा इस साल सरकार बनने के बाद जिन कुछ मुद्दों पर स्वामीनाथन जी ने लगातार प्रकाश डाला जो हो नहीं पाए थे, मैं सदन को बताना चाहूंगा और जिन पर सरकार द्वारा कार्य शुरु किया गया है, कृषि के साथ साथ कल राजू शेट्टी जी और हम आपस में दूध के गिरते हुए दाम की बात कर रहे थे।

आज भी देश में जो 80 प्रतिशत हमारी देशी गाय हैं, उनके दूध का उत्पादन एवरेज 2.7 से 2.9 लीटर के बीच है। यानी तीन लीटर से भी कम एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है। अगर क्रॉस ब्रीड्स की बात करेंगे तो 7 लीटर है। बफेलो- 4 लीटर है। कीमत के साथ साथ जो इस सरकार का विशेष ध्यान था कि 80 प्रतिशत हमारी देशी ब्रीड्स हैं, अगर उनमें दो-दो लीटर दूध भी हम उनका बढ़ा सकें क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा है तो शायद दूध के उत्पादन में इजाफा हो सके। एक तरीका यह है कि दूध के उत्पादन में इज़ाफा किया जाए जिससे ज्यादा दूध का उत्पादन हो तो कम कीमत में भी किसान को कुछ मिल सके। इसी के तहत देशी गायों की ब्रीडिंग के सुधार के लिए गोकुल मिशन की शुरुआत 500 करोड़ रुपये से सरकार ने की है।

फिशरीज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सात प्रतिशत की दर से लैंड फिशरीज में आज भी हमारी ग्रोथ है। उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने विशेष जोर दिया है और उन्होंने शुरु में ही इसी बजट में ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से एक प्रोजेक्ट फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए शुरु किया है। 2014-2015 में किसानों के लिए संस्थागत ऋण 8 लाख करोड़ रुपये के करीब किया है जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश में भंडारण का मुद्दा लगातार रहा है कि खरीद भी हो जाए तो देश में उसके लिए वेयरहाउसेज नहीं हैं कि सब चीजों को वहां रखा जा सके। इसके लिए 5000 करोड़ रुरपये का आबंटन इस बजट में किया गया है। इसके साथ साथ नाबार्ड को दीर्घ अवधि के ग्रामीण ऋण के लिए 4000 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि आज भी टोटल 45 प्रतिशत से ऊपर सिंचाई की व्यवस्था जमीन के लिए नहीं है। इसीलिए हम बारिश पर निर्भर करते हैं। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है।

एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो स्टेबिलाइजेशन करना होगा, उसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये के मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इनपुट कास्ट की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात फर्टिलाइजर की आती है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, वैस्टर्न यू.पी. हो, जो एवरेज 4:2:1 का रेश्यो होना चाहिए, वह आज 24:12:1 का रेश्यो है। उसके लिए इस साल सॉइल हैल्थ कार्ड की योजना सौ करोड़ रुपये से

शुरु की गई है। तमिलनाडु से एक माननीय सांसद बोल रहे थे कि तमिलनाडु इस मामले में सबसे आगे है। देश के किसी प्रदेश में सॉइल हैल्थ पर अगर कहीं काम हुआ है तो वह तमिलनाडु में हुआ है। इसके साथ-साथ किसान टीवी की शुरूआत सौ करोड़ की योजना है और साथ ही साथ जिस चीज पर स्वामीनाथन जी का विशेष ध्यान था।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर स्वामीनाथन जी का विशेष रूप से ध्यान था, वह कृषि के क्षेत्र में रिसर्च था, नई-नई टैक्नोलोजीज पर था। उसके लिए पहली बार दो एग्रीकल्वर युनिवर्सिटीज और दो हार्टीकल्वर युनिवर्सिटीज और दो आई.आर.ए. की स्थापना इसी में शुरू हुई है। ये कुछ योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से सरकार बताना चाहती है कि हमें किस दिशा में जाना है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि समय कम है, उनका आदेश हुआ है तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां लगातार सरवार पटेल का जिक्र हुआ, मैं भी भाई राजू शेट्टी को बताना चाहता हूं कि मैं चौ.महेन्द्र सिंह टिकैत की जन्मभूमि और चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि से आता हूं। किसानों के बारे में उनकी सोच और जितनी उन्हें उनकी चिंता थी, उतनी चिंता मुझे भी है। हम अलग से बात भी करते रहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमीशन की बची हुई सिफारिशें ऐसी कोई चीज नहीं हैं, जिस एक सिफारिश की आप बात कर रहे हैं, आप मूल्य आयोग की रिपोर्ट आने दीजिए, यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कृषि की हालत बिल्कुल सुधर जाएगी। कृषि में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन यह एक रामबाण नहीं हैं। मैं श्री राजू शेट्टी जी से आखिर में निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें, हम और वह मिलकर आपस में बातें करते रहेंगे और किसानों की समस्याओं के बारे में इस पर आगे बढते रहेंगे।

मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें लें। धन्यवाद।
श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले): सभापित महोदय, मंत्री जी ने संक्षेप में जवाब दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये हैं, जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूं। आपने कहा कि एमएसपी से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एमएसपी से कोई समस्या हल नहीं हो सकती और आपने कहा कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है तो फिर सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्यों लिया और उसके तहत आप मार्केट में हस्तक्षेप करके रेट कंट्रोल करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि इस साल आलू और प्याज के निर्यात पर आपने पाबंदी नहीं लगाई होती तो किसान आपके पास कतई एमएसपी मांगने के लिए नहीं आता। जब मार्केट में अच्छे रेट होते हैं, अच्छा दाम मिलता है, तब आम आदमी के नाम पर आप इन सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम को कंट्रोल करते हैं, उसके रेट गिरवाते हैं, कभी इम्पोर्ट करके डम्प करते हैं और उस वक्त किसानों का हाल क्या होता है। आज प्याज का किसान रो

रहा है। आज प्याज के किसानों को ओले पड़ने से बहुत नुकसान हो रहा है और वे भीख मांग रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापित महोदय, यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर यह चर्चा आई है। लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक और विस्तृत चर्चा नियम 193 के तहत इसी सदन में कृषि पर ली जाने वाली है। इसलिए स्वामीनाथन कमेटी की इस रिपोर्ट के अतिरिक्त भी और जो विषय आयेंगे, उन पर और कृषि पर चर्चा की जानी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें।

श्री राजू शेट्टी : लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके बारे में मुझे बोलना चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: उन्होंने इसका जो जवाब दिया, वह वस्तुस्थिति के हिसाब से पर्याप्त है और चूंकि इसके बाद भी एक ऐसे विषय को आगे सदन के बिजनेस में लगाना है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृषि पर चर्चा की सीमा बांधी नहीं जा सकती है। आप इस पर चर्चा में भाग लेते रहे, अगले पांच वर्षों के लिए यह सदन आपके लिए है और आपके ज्ञान से सबको लाभ मिलता रहे।

श्री राजू शेट्टी : मैं यह चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां किसानों के लिए न्याय मांगने के लिए आया हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, आप आगे के कार्यक्रम का आग्रह करें। ...(व्यवधान)

श्री राजू शेट्टी: मंत्री जी ने बोला कि उस एक सिफारिश से कृषि की हालत नहीं सुधरेगी।

डॉ. संजीव बालियान: मैंने यह कहा है कि यह राम बाण नहीं है।...(व्यवधान) मैने यह कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की एक ही रिपोर्ट लागू होने से सारे देश में किसानों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। राजू जी ने जो मुद्दा उठाया था मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The time now is 5.30 p.m. The 'Half-an-Hour discussion' shall be taken up after some time. I hope the House agrees.

The hon. Member may please continue.

श्री राजू शेट्टी: सभापित महोदय, जब लोक सभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त हमारे प्रधान मंत्री जी महाराष्ट्र में और पंजाब में गए थे। उस वक्त उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि स्वामीनाथन कमीशन के तहत लागत मूल्य से 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य का हम एमएसपी देंगे। मैं मंत्री जी ये यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपना आश्वासन भूल गई है? क्या सरकार की नीति बदल गई है? स्वामीनाथन आयोग, जो अटल जी की सरकार ने बनाया था, उसके सुझाव आ गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि लागत मूल्य से 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। वही अहम सुझाव है,

अगर वह आप मानते हैं तो मैं रेज़ोल्युशन वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आश्वासन चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका कुछ समाधान हो।

डॉ. संजीव बालियान : सभापित जी, माननीय सदस्य ने एक बात कही कि गवर्मेंट इंटरवीन तब करती है, जब हाई प्राइस होते हैं, तब नहीं करती है, जब किसानों को समस्या होती है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी सरकार ने गन्ने की इंपोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत किया है। सरकार ने किसान के हित के लिए इंटरवीन किया है। साथ ही साथ पोल्ट्री में उन्हें पता है, मैंने उन्हें खुद बताया था, कि जब डब्ल्यूटीओ की बात आई, पोल्ट्री इंपोर्ट की, उस पर भी सरकार ने स्टेंड लिया है। हाँ, आलू और प्याज़ की जहां तक बात थी, कृषि मंत्रालय ने अपना मत कॉमर्स मिनिस्ट्री को भेज दिया है कि आलू और प्याज़ दोनों के निर्यात से रोक हटाई जाए। यह कृषि मंत्रालय की तरफ से जा चुका है और जल्दी ही इस पर कोई निर्णय कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से होगा। जहां तक बात है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की, तो मैंने यह कहीं भी नहीं कहा है कि इससे हल नहीं होगा। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने यह कहा था कि जो कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। अभी तक कमेटी ने यही नहीं बताया है कि एमएसपी क्या होनी चाहिए, जो नई कमेटी है, उसकी रिपोर्ट जल्द आएगी, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा।

HON. CHAIRPERSON: Are you withdrawing your Resolution?

श्री राजू शेट्टी: सभापित महोदय, कृषि राज्य मंत्री यहां जवाब दे रहे हैं, मैं उनकी मर्यादा जानता हूँ, वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत बड़ी तादात में किसानों की आत्महत्या हो रही है। मैं आपको दो आत्महत्याओं का उदाहरण देता हूँ। अभी महाराष्ट्र में 15 दिन पहले एक आत्महत्या इस तरह से हुई कि किसान ने खुद अपनी चिता जलाई और उसमें कूद कर उसने आत्महत्या कर ली। दूसरे किसान ने अपने हाथ-पांव बांध कर इलैक्ट्रिक शॉक ले कर आत्महत्या कर ली। आज कल किसान सिर्फ आत्महत्या कर रहा है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister has already replied. Now, are you withdrawing your Resolution?

श्री राजू शेट्टी: सभापति जी, अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन यह किसान हत्या करने पर उतर आएगा। उससे पहले ही कुछ न कुछ कीजिए। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ और यह रेज़्योल्युशन वापस लेता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Raju Shetty be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.35 hrs

RESOLUTION RE: SCHEME FOR DEVELOPMENT OF TECHNICAL SKILLS AMONGST YOUTH TO ENABLE THEM TO CONTRIBUTE TOWARDS MAKING INDIA A MODERN COUNTRY AND ACHIEVING THE GOAL OF 'MAKE IN INDIA'.

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

" कि हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ सरकार की प्रतिबद्धता, जिसे 'कौशल विकास' के माध्यम से प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है, को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह युवाओं में ऐसे तकनीकी कौशल विकास उपलब्ध कराने वाली व्यापक योजना बनाए, जिससे उन्हें भारत को आधुनिक देश बनाने तथा 'भारत में बनाओं' के लक्ष्य को पूरा करने वाली दिशा में योगदान करने में सहायता मिलेगी।

HON. CHAIRPERSON: Mr. Patil, you may continue later.

19.12.2014 206

17.35 hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

HON. CHAIRPERSON: Now, we will take up Item No.31.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana had commenced during the illustrious administration of Shri Atal Bihari Vajpayeeji and that NDA had done pride to this country and had given self-esteem to the people of this nation. These projects were meant to connect villagers and rural areas which till that time were extremely neglected and had no communication facilities and had no means of either reaching urban areas or their agricultural produce or themselves reaching centres of medical care or something.

Sir, the Minister of Rural Development in his reply on December 4, had said that 16771 kilometres of roads were constructed against a target of 21775 kilometres under the PMGSY in the first seven months of this fiscal year. Simply sitting with the computer one can calculate that 16771 divided by 210 - that many days in seven months -- it comes to about 80 kilometres of roads being constructed every day. This is good and we all welcome this. But the remainder of the target can only be achieved if the funds are released from the Centre to the States on a timely basis. Somehow that has not been done. Many Chief Ministers including my Chief Minister and leader, Shri Naveen Patnaikji, has written to the Central Government many a time demanding that their dues which are to be disbursed to them for the work that has already been completed should be paid. Plus, he had demanded more money because in Odisha the work of PMGSY has been going on at a very good speed and the achievements have been commendable.

On similar lines, when Nitish Kumarji was the Chief Minister of Bihar, he had also written letters and many other States which are non-BJP States have demanded similar attention from the Centre. But unfortunately, this NDA Government has sadly somehow been a little intolerant, I would say, and has not done justice to States on their needs and on their actual demands or on their

ability to implement projects. It has brought in political considerations into everything which is not a welcome step as far as the country is concerned.

There were certain things earlier in the guidelines of PMGSY. For example, I will tell you one thing. There used to be a thing called the 'transact walk' where if these roads were built under ADB funds or under PMGSY funds given by the Central Government, peoples' representatives, especially, local Lok Sabha Members of Parliament were invited by the engineers to come and walk on the road or on the path or on the way where the roads would be built. So, we had an interaction with people and many a times when people had taken up or squatted on land which was actually not theirs we could convince them to leave space for the roads to be built. Over a period of time such things somehow vanished from the process and today we see that people's representatives are not being involved in this work which has affected this work badly. How has it affected? For example, these roads require land acquisition. But unfortunately when funds are being allotted for PMGSY projects, there is no scope for land acquisition to be included as part of the road construction project. Therefore, what happens is that if land cannot be acquired, then the progress of the road construction gets impeded. In reality, roads are lying incomplete in many parts of the State of Odisha as well as I am certain that it is also the same scenario in other parts of the country.

Forest clearance is another problem. I would not like to get into it. But the other issue is the purchase of land from the land owners especially -- you may also have noticed it in your constituency, it has happened in many parts of my constituency as well – from a villager in one village but owning land in another village. If his land is taken for PMGSY road, they simply do not agree to give their agricultural land because they are not getting any compensation. In addition to that, since they are not directly benefiting if the road is constructed, they are unwilling to part with their land. I hope I am clear about what I am trying to say. So, compensation for land acquisition is an important part which people's representatives, to a certain extent, solved it as a problem because we could negotiate, we could talk to them and we could convince them that this is

in a greater national interest and so they should give away their lands. But since that has vanished and also since there is no compensation, many roads are lying incomplete. I am not saying that the Government does not give compensation and instead ask the MPs, the MLAs, the *Sarpanches* to fill up that vacuum. That is not the idea. The idea is that the Government should involve people's representatives and at the same time the Government should also consider how that land can be acquired.

Earlier, when the work started they used to have targets of population of one thousand, then it came down to 500, then it came down to 250. But these were for non-IAP districts and where there is no Maoist or LWE threat, this does not apply. So, what happens is, we also have to consider the fact as to how did Maoists, first of all, take roots. Maoists took root because there was a huge portion of this country which was neglected and which fell prey to the rich and big industrialists and people revolted against that. Maoists took roots there and they could mobilise the local people to revolt against the administration and against the people. Now what we are doing is, we are creating another set of people, another tract of land which we are neglecting. The Government is attending solely to the LWE affected areas and completely ignoring other areas. It is quite possible, in my opinion, that the LWE has to simply shift this from one area to another area which would be an extremely green pasture for them. Are we again going to create a similar kind of a problem from another area? I would also like to say that these roads that are being built under PMGSY are being treated as extremely low quality rural roads.

Eventually, what happens is when you have road communication, then traffic starts. It is not the other way round. It is not that traffic exists and therefore, you are building roads. When you build a road, traffic starts. When you build a road, you give access to trucks, bigger and heavier vehicles. Therefore, when PMGSY roads connect to PWD roads or National Highway roads, their quality is extremely inferior but they are connecting to a completely national level high quality roads. So, those roads come under the definition of IRC 37 which is the PWD standard for all States. When vehicles

ply on the PWD roads or NH roads and they turn off into PMGSY roads, the PMGSY roads break up, get demolished and get spoilt very soon. So, the Government should also think on strengthening the roads. They have to think of ways and means on how to build roads which are strong enough so that when traffic starts on those roads, they can handle heavier loads which may come up on them.

There are ADB-assisted PMGSY roads also. Our specifications for these roads have to improve if we want that communication to rural India remains long term and that our investment which we are making now is not to be repeated again and again. We should make roads that last in this nation.

Somehow my feeling is that, I am sure that the hon. Minister would have noticed in his constituency also, what we are doing now is mostly a patch work which is a low quality work. That kind of a work will make the country bleed and will not give us the desired effects which our able leader, Shri Atal Bihari Vajpayee had thought of.

I will not take too much time. I hope that special attention will be given to States like Odisha. Our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has written to you asking for Rs. 1800 crore more than what is due to us because we are implementing your work very efficiently. That part should be taken care of.

Sir, States like Bihar, Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh and of course, Tamil Nadu, require special attention.

I would request the Government, through you and the hon. Minister, that special care should be taken so that funds are released immediately as the hon. Chief Ministers have requested.

Arrangements should also be made for land acquisition and for strengthening the roads so that we make better quality roads and we should facilitate the construction of roads by involving the representatives of people. श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): महोदय, पांच सौ तक की आबादी के लिए यह महाअभियान शुरू हुआ था। मैं मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हूं। तीन साल पहले पूरे रोड्स बन चुके थे, लेकिन 500 तक की आबादी के लिए इस योजना के तहत पैसा नहीं दिया गया। पिछली सरकार के समय से ऐसा करना शुरू हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के

अंतर्गत 500 तक की आबादी तक के क्षेत्र तक पहुंचने का लक्षित वर्ष 2008 था। दो महत्वपूर्ण योजनाएं, पहली स्वर्णिम चतुर्भुज और दूसरी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना था। इनके विलम्ब का क्या कारण है? पहले चरण की गुणवत्ता और दूसरे चरण के बाद से गुणवत्ता में जो परिवर्तन आया, वह स्पेसिफिकेशन किसने बदला? मुझे लगता है कि पूरी परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जब अटल जी की सरकार थी तो हम लक्ष्य से नौ महीने पहले चल रहे थे।

महोदय, मुझे बस दो प्रश्न पूछने हैं। मैं नक्सलवादी क्षेत्र से हूं और अभी डकैत एरिया में हूं। मल्टी कनेक्टीविटी के बारे में जो भी वामपंथी या उग्रवाद से ग्रसित जिले हैं या डकैत एरिया है, वहां आपने इसे रखा है। मेरी प्रार्थना है कि जब एक बड़ा गांव एक जगह से जुड़ता है तो दो बड़े गांव बन जाते हैं। क्या ऐसी मल्टी कनेक्टीविटी के बारे में मंत्री जी विचार करेंगे?

जम्मू-कश्मीर ऐसा राज्य है, जहां पैसा देते रहे हैं, लेकिन वहां से कोई भी रिटर्न नहीं आया है। क्या ऐसे ही पैसे पानी में फैंके जाते रहेंगे? अभी तक इस योजना में कुल कितनी राशि खर्च हुई है? इसके लक्ष्य में विलम्ब के क्या कारण हैं? पहले चरण में जो गुणवत्ता थी, वह बाद में क्यों नहीं बनी रही? इस बारे में हमारे साथी सत्पथी जी ने अपनी बात कही है। जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य, जहां से एक भी पैसे का हिसाब आपको नहीं दिया जा रहा है, वहां आपको यह पता नहीं है कि सड़कें बनी हैं या नहीं। मैं बालाघाट से भी रहा हूं। मैं सत्पथी जी से थोड़ा सा डिफर करता हूं। वह नक्सलवादी एरिया है। सड़क बनाने का वहां यह फायदा हुआ कि कम्यूनिकेशन फ्लो हुआ और वहां से नक्सलवादियों को जाना पड़ा। यह मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो उड़ीसा से भिन्न हो सकती है।...(व्यवधान) हमारे यहां तो कम्युनिकेशन के कारण लाभ हुआ है। मैं इस पर गर्व करता हूं। मैंने पैकेज लेकर वह काम पूरा किया। में दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां इसका लाभ हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन के कारण पुलिस को वहां जाने में सुविधा हुई और हमने वहां नक्सलवाद पर फतह पाई।...(व्यवधान) मेरा मानना यह है कि इसकी गुणवत्ता की चिंता होनी चाहिए और पिछली सरकार ने इस योजना की गति को जो धीमा किया है, उस गति को ठीक करके मल्टी कनेक्टीविटी के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। जहां तक अटल जी की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए न तो दूरी के बारे में कहा गया है और न ही उनकी संख्या के बारे में कहा गया है, और ये काम अटल जी ने दो दिनों में कर दिया था। अगर आप समाज के हित में निर्णय करना चाहें, तो यह काम जल्दी हो सकता है।

HON. CHAIRPERSON: Requests to participate in the Half-an-Hour Discussion must come before 10 a.m. But a few requests came after 10 a.m. All those notices are time barred. But as a special case I am permitting three more Members.

Shri Jagdambika Pal.

श्री जगदम्बिका पाल (ड्मरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने की अनुमति दी है। सौभाग्य से आज केन्द्र की सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए संकल्पित है। इस योजना का भी शुभारंभ 25 दिसम्बर, 2000 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसमें ऐसे बसावट, ऐसे गांव, जो वर्जिन हों, जो मुख्य सड़कों से जुड़े ही न हों, जहां आवागमन का कोई साधन ही न हो, मैदानी इलाके में ऐसे 500 की आबादी वाले गांव और पहाड़ी इलाके में 250 की आबादी वाले गांव लिए गए। उस समय इसके लिए कोर नेट बना। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। 25 दिसम्बर, 2000 को राज्यों से जो कोरनेट आया, उस समय जिस गांव को वहां के जिला प्रशासन ने कोरनेट में डाल कर भेज दिया, उसी को लिया गया। आज भी अगर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लिया जाना है तो उसी कोरनेट में दिए हुए गांवों में से हमें चिह्नित करना पड़ता है। ऐसे बहुत-से गांव हैं, जिनकी आबादी दो हजार है, तीन हजार है, लेकिन उस समय के कोरनेट में नहीं पड़े। उस समय पूरे देश में जनपद वाइज जो कोरनेट तैयार हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के बारे में मैं सुनिश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वहां पांच सौ से ऊपर की आबादी आज भी मुख्य सड़क से नहीं जुड़ी है। लेकिन चूंकि वह गांव कोरनेट में नहीं है, इसलिए आज वह गांव प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से आच्छादित नहीं हो पा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि आज चौदह वर्षों के बाद जब यह सरकार फिर से आयी है तो उस कोरनेट में आज जो गांव 500 की आबादी से ज्यादा हैं, वे जोड़े जाएं। आज गांव में जब कोई संसद सदस्य जाता है तो उससे लोग स्टेट पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मांग नहीं करते, उससे कोई ग्रामीण सड़कों की बात नहीं करते हैं। अगर उससे वे लोग मांग करते हैं तो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की मांग करते हैं।

में कहना चाहता हूं कि इसमें दो बातें हैं। जब सड़क का कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो वह छः महीने में पूरा हो जाएगा और कभी वह चरणों में नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज 22 सड़कें हमारे क्षेत्र में ऐसे हैं, जिनकी एक किश्त गयी है और दूसरी किश्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें ठेकेदारों के लिए पांच साल की गारंटी है कि पांच सालों तक उनकी सिक्यूरिटी ज़मा रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी वे उस सड़क को रिपेयर नहीं करते हैं और पांच सालों का इंतज़ार करते हैं। जब हम इसकी जांच के लिए कहते हैं तो इसकी जांच नहीं होती।

में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि इतनी मानक की सड़कें जाती हैं, इनके लिए पैसा स्टेट पीडब्ल्यूडी से ज्यादा मात्रा में मिलता है, और इसके कार्य की गुणवत्ता में

गिरावट आती है तो भविष्य यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी कार्य की गुणवत्ता में गिरावट न आए। इसकी जांच हो और दोषी लोग पकड़े जाएं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Next Shri Bhairon Prasad Mishra.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Bharion Prasad Mishra

(Interruptions) ... *

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक-दो बातें पूछना चाहता हूं। आज जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जैसा माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि वे सड़कें कम चौड़ी बनाई जा रही हैं। पहले सड़कें काफी चौड़ी बनती थीं और उससे वे स्थाई भी रहती थीं। विशेषकर मेरे उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बन रही हैं, उनकी चौड़ाई कम कर दी गई है और गुणवत्ता तो निश्चित तौर से बहुत ही कम हुई है। जब वे उखड़ जाती हैं, उनको पांच साल का बंधन जरूर है, लेकिन उनको ठीक करने कोई नहीं आता है। इन चीजों में सुधार करने के लिए माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था करेंगे? दूसरा मेरा कहना यह है कि इसके साथ प्रधान मंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरूआत की थी। उसके शिलान्यास से लेकर लोकार्पण में भी सांसद को पूछा नहीं जाता है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में उसको कोई पूछता नहीं है, तो कम से कम उसके शिलान्यास में और फिर लोकार्पण में सांसद को अनिवार्य रूप से बुला कर उनसे कराया जाए, ऐसा माननीय मंत्री जी निर्देश देने का काम करें।

^{*} Not recorded.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पीएमजीएसवाई स्कीम बहुत अच्छी है, किन्तु इसमें कुछ किमयां हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है। जैसे इसमें कंडीशंस रखी हैं, पैरामीटर कई प्रदेशों के ठीक नहीं बैठते। जैसे पंजाब प्रदेश है, इन्होंने जो कंडीशंस रखी हैं, एक गांव से दूसरे गांव के लिए शर्त नहीं होनी चाहिए। पंजाब में 1966 से लेकर 70 तक सब गांवों में सड़कें लगी हुई थीं। पंजाब का जो टारगेट है, दूसरे प्रदेशों के टारगेट के साथ ही लिया जाता है। मैं समझता हूं कि जब टारगेट फिक्स किए जाते हैं, वे अब तक राज्य की तरजीह से ही किए जाते रहे हैं। वहां कितना ईंघन कंज्यूम होता है, अनाज कितना पैदा होता है, ऐसी चीजें आधार बनानी चाहिए। दूसरी इनकी जो चौड़ाई है, वह हमारे यहां दस मीटर रखी हुई है, दस मीटर में हमारी कोई सड़क नहीं आती। हमारे रास्ते बहुत तंग हैं, कम से कम इसको पांच मीटर में रखना चाहिए। आबादी की जो शर्त है, आबादी की शर्त पहाड़ी क्षेत्र में ढाई सौ की है, प्लेन में पांच सौ की है। जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी आनंदपुर साहिब है, गुरदासपुर, होशियारपुर, इनका 60 परसैंट पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल के जो नजदीक के गांव हैं, जे एंड के के हैं, उनमें ढाई सौ की आबादी है और हमारी पांच सौ की है। आबादी की शर्त खत्म होनी चाहिए। प्रदेश सरकारों को काँफीडेंस में लेकर, उनकी सुविधा के अनुसार ये पैरामीटर, कंडीशन होनी चाहिए। जिससे इसका फायदा सब प्रदेशों को हो, यह मेरा सरकार से निवेदन है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, rules do not permit to allow more than five Members.

... (Interruptions)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : इस योजना का नाम अटल जी के नाम से कर देना चाहिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: After the reply, we will see. Let the hon. Minister answer now.

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह): सभापित महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी समस्याओं का जिक्र किया है। सत्पथी जी ने जो ओडिशा के बारे में कहा।...(व्यवधान) मैं सब के बारे में बोलूंगा। मैं ओडिशा के बारे में कहूंगा। His main complaint is that his Chief Minister is demanding Rs.1800 crore more. Shri Satpathy, these were the last words which you used.

18.00 hrs

But the fact of the matter is, Odisha is a State, where if you put all the programme funds together of this financial year, 12 per cent of the programme funding goes to Odisha alone. That means, you are having one-seventh of the

share of the entire country has gone to your Exchequer. Odisha's total allocation in this financial year is Rs.1,778 crore..

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, a minute.

Hon. Members, it is 6 p.m. We still have to complete Half-an-Hour discussion, also as the Private Members' Business was taken up late, we have one hour and 15 minutes left for Private Members' Business. Shall we extend the time of the House till the Half-an-Hour discussion is over?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): This is a very important subject. We should complete the discussion which the hon. Minister is answering.

As far as Private Members' Bill is concerned, we would request the House to take it up in the next Session because it is on skill development and it is a very important Ministry. So, we can take it to the next Session.

HON. CHAIRPERSON: If the House agrees, we would take it up.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Out of Rs.1,178 crore which I have told you, which is 12 per cent of the programme fund under the PMGSY, we have already released a sum of Rs.1,051 crore to Odisha till date. State has reported an expenditure of Rs.787.29 crore up to October, 2014. Still you are having a balance of Rs.100 crore, and the rest of the balance – Rs.126.50 crore - is with us, which together comes to Rs.226 crore. This amount would be released to the State after the submission of the Utilization Certificate based on audit report. That audit report is of 2013-14.

The other issue pointed out is acquisition of land for roads. As far as land acquisition is concerned, this is totally the domain of the State Government. Neither we provide the funds for acquisition of land nor this is under the PMGSY. Wherever land is to be acquired, either as you have put it rightly, if it can be with any negotiations with the villagers, but that too, if they

want some compensation, that has to be made by the State Government. ... (*Interruptions*)

Of course, there are certain factors which hamper the progress of the road construction. One major factor has been forest clearance. That is applicable to the case of Uttarakhand and Odisha. Some of the States like Jharkhand which has 40 per cent or more of forest area. As far as Uttarakhand is concerned, 66 per cent of the area is under forest. There, speed or pace is very slow. That is why, they are not even demanding funds because forest clearance is the major problem.

You were talking of load on traffic. Roads which are connected with the main road, as a layman, I am of this opinion that if you go by the standards fixed by our Ministry with the help of other organizations, the specifications of PMGSY second phase is not less than the specification of any Highway. But in my opinion, if a road is going to a village, which is having a population of 400 or 500 or 1,000, there the possibility of traffic, at least for some years to come, may not be heavy on that road.

I want that more kilometres should be covered with fewer specifications because fewer specifications can provide durability also. This is what, I think, should be done in Phase II. Odisha may not be in Phase II at present, but wherever we have taken up Phase II, if you see the condition of the road, there is a provision that for the next five years, after the completion of the road, the same contractor would ensure the repairs of the road and if technically something has gone wrong with the construction of that very road, then the entire expenditure or the funds would be borne by the very contractor, not by the State Government.

As far as the issue raised by Shri Prahlad Singh Patel is concerned, we have already provided that in 267 Left Wing Extremism affected blocks, habitations with a population of 100 or above is sufficient to take up this work and there multi connectivity is also permitted. In other areas, multi connectivity is not permitted. But still, I think that in some of the roads if multi connectivity is provided, then the distance covered by the villagers is shortened which can

19.12.2014 216

give more access to the hubs, where commercial activities take place and where market is there. So, at present, I cannot give any assurance. But this is one of the factors which can be considered. आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो कोर नेटवर्क था उसने आज से दस साल पहले या बारह साल पहले बैठकर निर्धारित किया था कि कौन-से ऐसे गांव हैं जिनको सड़क की जरूरत है और उनकी आबादी 250 और 500 का जो मापदंड है उसके अनुसार है।

माननीय सदस्य सेनथिलनाथन जी तमिलनाडु से निर्वाचित होकर आए हैं उन्होंने कहा था कि 2001 की जनगणना नहीं, बल्कि 2011 की जनगणना के अनुसार अब नए सिरे से कोर नेटवर्क निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके लिए मैंने सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि आप वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े जिसमें हैबिटैशन वह शर्त पूरी करती है, जो मापदंडों में है। अभी कुछ राज्यों से वह आंकड़े आने बाकी हैं। ज्योंहि वह आंकड़े आएंगे, हम उन पर विचार करेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना में कितनी हैबिटैशंस और हैं जो इस परियोजना के तहत आ सकती हैं।

प्रेम सिंह जी पंजाब से हैं। उन्हें पंजाब के गांव-देहात का बहुत अनुभव है और पंजाब और हिरयाणा के गांव में कोई खास फर्क नहीं है। यह सही बात है कि वहां 33 फीट सड़क की मापदंड है - मतलब दस मीटर। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो 10 मीटर या उससे ज्यादा रखे नहीं गए। जब भी कन्सॉलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हुई थी, Punjab is such a State where consolidation of land holding took place 40 or 50 years back. There are three types kachcha rasta. One is, of course, of 10 metre. दूसरा 27 फीट का है और तीसरा 22 फीट का है। वे उस वक्त उस गांव के साइज के मुताबिक निर्धारित किए गए थे। अगर किसी बड़े गांव का कनैक्शन छोटे गांव से था तो वहां पूरा रास्ता दिया गया था। यह एक समस्या है और इस पर आज के दिन हमारी नीति में अगर सड़क की चौड़ाई 10 मीटर से कम की है तो पक्की सड़क नहीं बन सकती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नई जनसंख्या के आंकड़े आ जाएं, उसके अनुसार कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनकी इन्फार्मेशन हम मांग सकते हैं, जो 10 मीटर से कम हैं और जिनकी कनैक्टिविटी अभी बाकी है। ये दोनों प्रकार के आंकड़े आने के बाद इन पर विचार किया जा सकता है।

फेज़ 2 के बारे में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि देश के जितने भी राज्य हैं, उनमें से फेज़ 2 में जिन्होंने प्रवेश किया है, वह कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हैं। जब देश का फेज़ 2 लिया जाएगा, उसमें से अभी तक ये राज्य इनमें आ सके हैं और इनका सड़क बनने का जो है, उसमें 92 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है और नम्बर ऑफ रोड्स 1894 होंगी, ब्रिजेस 178 होंगे। मैं उन सात राज्यों की बात कर रहा हूं जो उस कैटेगरी में अभी तक आए हैं। सड़कों की लैंग्थ 13,698 किलोमीटर होगी। हमें ये आंकड़े पीएमजीएसवाई 2 प्रोग्राम में मिले। लेकिन इसमें से हमने 6,609 काम सैंक्शन किए हैं, 1436 सड़कों पर यह काम होगा, 166 पुल बनेंगे

और सड़क की लैंग्थ 11,234 किलोमीटर होगी। ये हमने सैंक्शन किए हैं, अंडर कंसीड्रेशन 1,619 करोड़ रुपए के प्रपोजल, 281 सड़कें हैं और 2,567 किलोमीटर की लैंग्थ है। जैसे मैंने कहा कि स्पैसीफिकेशन बहुत ही मजबूत है, लेकिन जिन सड़कों पर मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 साल में ट्रैफिक मल्टीप्लाई होगा, उनमें इस स्पैसीफिकेशन की कोई लम्बी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने अपनी मिनिस्ट्री को कहा है कि दुबारा देखें कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनमें भारी स्पैसीफिकेशन की जरूरत नहीं है ताकि हम किलोमीटर ज्यादा कवर कर सकें।

मैंने कोशिश की है कि हर मैम्बर के सवाल का जवाब दे सकूं। मुझे उम्मीद है कि हम इस योजना के तहत गांवों को कनैक्ट करने की कोशिश करेंगे।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet on Monday, the 22nd December, 2014 at 11 a.m.

18.15 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 22, 2014/Pausha 1, 1936 (Saka).